खण्ड-183, अंक-3
मंगलवार, 10 वैशाख, शक संवत् 1879
(30 अप्रैल, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 183 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय			पृष्ठ संख्या
राज्य की और विशेष रूप से पहाड़ी जिलों की खाद्य स्थिति पर विवाद	..	..	१८९–१९०
उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पूर्व अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के, एवं एक ही दिन अधिष्ठाता मंडल के दो सदस्यों के सभापतित्व पर आपत्ति	..	..	१९०–१९३
बैठक का समय बढ़ाने का प्रस्ताव	..	..	१९३–१९७
सदन को ४ मई के ११ बजे तक के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)			१९७–२०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १० वैशाख, शकाब्द १८७९

(३० अप्रैल, १९५७ ई०)

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६९)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुंवर
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी०ग्राइस, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कैलाशप्रकाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानी सिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्श सिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री

गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपांकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह,श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुशमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद "हंस", श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री

राजेंद्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती

सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३० अप्रैल, १९५७ ई०

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत राज्य में केन्द्रीय सरकार द्वारा खुलने वाले उद्योग

**१--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसकी सूचना के अनुसार केन्द्रीय सरकार कौन-कौन से भारी उद्योगों को उत्तर प्रदेश में द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में खोलना स्वीकार कर चुकी है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--भारत सरकार ने दूसरी पंचसाला योजना के दौरान में उत्तर प्रदेश में एक रेल इंजन के कल व पुर्जे बनाने का कारखाना मंडुवाडीह नाम की जगह पर वाराणसी जिले में कायम करने का फैसला कर लिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यू० पी० सरकार ने अपनी ओर से किन-किन अन्य उद्योग-धन्धों के खोले जाने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है ?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक राज्य सरकार का ताल्लुक है राज्य सरकार बराबर कारखानों को खोलने के लिये कहती रहती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--किन-किन के लिये ?

श्री रऊफ जाफरी--मैं जवाब दे रहा हूं इत्मीनान रखिये। जब पिछली दफा हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर साहब आये थे तो उस वक्त बात हुई थी और यह अन्दाजा हुआ था कि दो कारखाने खोले जायंगे, एक अलमोनियम का और एक सिंथेटिक रबर बनाने का। ये दो यू० पी० में आ जायंगे। लेकिन उस पर अभी तक कोई आखरी फैसला नहीं हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या कन्द्रीय सरकार की ओर से भी या प्लानिंग कमीशन की ओर से भी कोई पत्र इधर हाल में यू० पी० सरकार के पास आया है जिसमें किसी भारी उद्योग-धंधे के खोले जाने के सम्बन्ध में परामर्श मांगा गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--इस किस्म का पत्र-व्यवहार तो होता ही रहता है, लेकिन उस सब को यहां बतलाया भी नहीं जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को कोई ऐसी जानकारी है जिसके कारण केन्द्रीय सरकार यहां इतनी मांग होते हुये कि उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग-धंधे खुलने चाहिये, इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--ऐसा कहना कि कोई कदम नहीं उठा रही है, शायद सही नहीं होगा, लेकिन इस बात की तो हमको हमेशा ही केन्द्रीय सरकार से शिकायत रही है कि जिस मात्रा में हम लोग चाहते हैं, उतनी वह हम लोगों की मदद नहीं कर रही है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--क्या गवर्नमेंट बताने की कृपा करेगी कि वह कौन कौन सी तजवीजें हैं जो इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सामने रक्खीं और उन सब को बाकायदा रखने के बाद केंद्रीय सरकार ने उनको नामंजूर कर दिया ?

श्री रऊफ जाफरी--मैं समझता हूं, मैंने पहले जो जवाब दिया था। उसमें इसका भी जवाब हो चुका है। इस किस्म की तजवीजें होती रहती हैं, मगर जब तक कोई फैसला न हो, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री मोहनलाल गौतम--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाय कि कौन कौन सी तजवीजे नामंजूर हुई हैं ? यही मेरा सवाल है।

श्री अधिष्ठाता--माननीय गौतम जी, मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि मैं किसी मंत्री को कम्पेल नहीं कर सकता कि वह उस रूप में जवाब दें जिस रूप में आप चाहते हैं। यह तो उनके ऊपर है कि जिस तरह से चाहें जवाब दें। मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस कारखाने के खोलने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार ने दे दी है, उस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि कहा गया है, रेलवे के कारखाने वाली बात, तो उसमें लैन्ड अक्वीजीशन की बात हो रही है, फाउंडेशन स्टोन रखा जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मड़ुवाडीह में रेलवे इंजिन का जो कारखाना खोला जाने वाला है, उसके लिये जो जमीन ली जा रही है, उसके विरुद्ध वहां के किसानों में असन्तोष है ?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक असन्तोष का सवाल है, जब कभी जमीन ली जाती है, असंतोष जरूर हो जाता है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार महरबानी करके यह बतलायेगी कि इस सूबे के अन्दर, ज्यादा इंडस्ट्रीज को जो केन्द्रीय सरकार नहीं बढ़ाना चाहती है, उस की क्या वजह है ?

श्री रऊफ जाफरी--बढ़ाना नहीं चाहती, इसकी क्या वजह है, यह तो बहुत सी बातें वहां से आती हैं। कभी पावर की बात होती है, कभी कहते हैं कच्चा माल अवेलेबिल नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है कि राज्य सरकार भी उनसे सहमत होती है, ऐसा शायद नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज के लिए केन्द्रीय सरकार ने यू० पी० के लिए कितना ऐलोकेशन मंजूर किया है ?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या यह सही है कि भारत सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि या तो यू० पी० के लोग भारत सरकार के मिनिस्टर बन जायं या इंडस्ट्रीज ज्यादा ले लें ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--यह सही नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मडुवाडीह का कारखाना जिस जगह पर बनाया जा रहा है वह बनारस की बड़ी जरखेज जमीन है, जहां सब्जी बोयी जाती है और गरीब लोग अपने कुन्बों को पालते हैं ? यदि यहां कारखाना बन गया तो लोग भूखों मरेंगे ? इसलिये क्या इस कारखाने के लिये इस जगह के बजाय दूसरी जगह नहीं ली जा सकती है ?

श्री रऊफ जाफरी--बहुत कोशिश की गई और कई जगहें देखी गईं और बहुत गौर करने के बाद रेलवे अथारिटीज ने इसी जगह को पसन्द किया है और कारखाना जब बनेगा तब जमीन पर ही बनेगा, इसीलिये जमीन ली जाती है। पूर्वी जिलों की मांग है कि वहां कारखाने खोले जायं। लेकिन जमीन की कमी है। इससे जमीन लेने पर असंतोष होता है और इस किस्म के सवाल उठाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ तो तकलीफ उठानी ही पड़ेगी, यदि पूर्वी जिलों में कुछ इंडस्ट्रीज पैदा करना चाहते हैं।

राज्य में ट्रान्स्पोर्ट कार्पोरेशन बनाने पर विचार

**२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि प्लानिंग कमीशन की ओर से हाल ही में प्रान्तीय सरकार को सुझाव दिया गया कि रोडवेज के प्रबन्ध हेतु ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन बनाये जायें ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

परिवहन राज्य-मंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी हां। मामला अभी विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी, प्लानिंग कमीशन का जो सुझाव आया है, उसका संक्षेप में प्रारूप बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--चूंकि मामला विचाराधीन है और केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी चल रही है, इसलिये इसको स्पष्ट करना उचित नहीं प्रतीत होता है। लेकिन इतना कहना मैं उचित समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकार को लिखा है कि कार्पोरेशन बनाने के लिये रेलवे बोर्ड के कुछ आफिसर्स हों, कुछ प्रान्तीय सरकार के आफिसर्स हों, इस तरह से बनाया जाय। इस संबंध में अभी बहुत सी बातें हैं, जिनके लिये अभी केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी उन बातों पर प्रकाश डालेंगे जिन पर पत्र-व्यवहार चल रहा है ?

डाक्टर सीताराम--चूंकि अभी मामला गोपनीय है अतः मैं विचार प्रकट करने में असमर्थ हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ट्रांसपोर्ट बोर्ड के निर्माण के सम्बन्ध में कौनसी चीज गोपनीय है ?

डाक्टर सीताराम--सभी बातें गोपनीय हैं।

कानपुर मेडिकल कालेज में नियुक्तियां

**३--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में मेडिकल कालेज में कितनी नियुक्तियां फरवरी-मार्च, १९५७ में की गईं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)--गत फरवरी तथा मार्च में कानपुर मेडिकल कालेज में कोई नियुक्तियां नहीं हुईं।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी और मार्च के आस पास कुछ नियुक्तियां कानपुर मेडिकल कालेज में की गयी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फरवरी, मार्च के आस पास का तो सवाल उठता नहीं है। अप्रैल के पहले हफ्ते में नियुक्तियां की गयी हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी नियुक्तियां की गई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--फेहरिस्त इसकी लम्बी है।

श्री अधिष्ठाता--संख्या बतला दें।

श्री त्रिलोकीसिंह--और किस तनख्वाह के आदमी थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--डिटेल्स के लिए तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता--इतना बतला दें कि कितनी नियुक्तियां हुईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२४-२५ हुईं।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर की गयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह अप्वाइन्टमेंट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के पास क्यों नहीं भेजे गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--टाइम काफी नहीं था।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कैन्डिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं, उनके क्वालिफिकेशन्स वैसे ही थे जो उन्होंने मांगे थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सम्भवतः वैसे ही थे।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जितनी नियुक्तियां की गयी हैं, उनका विज्ञापन अखबार में नियुक्तियां करने के पहले किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जरूर।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार ने जो नियुक्तियां की हैं उनको फाइनल एप्रूवल के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने भेजा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास न भेजने की क्या वजह है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई जरूरत इस वक्त थी नहीं। साल भर तक तो सरकार ही कर सकती है। लेकिन मैं भेजूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चाहे वह नौकरी परमानेंट हो, यानी एक साल से ज्यादा के लिए उसकी जरूरत महसूस हो, वह एक साल तक खुद एप्वाइन्ट कर सकती है या जो पहले ही एक साल से ज्यादा के लिए है, उसको पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहले से भेजने की जरूरत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह जरूरी नहीं है। हम टेम्पोरेरी जगहों पर मुकर्रर कर सकते हैं और वह साल भर तक चलते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---मैं फिर साफ कर दूं, मेरा प्रश्न यह है कि जिस नौकरी की मियाद एक साल से ज्यादा पहले ही मालूम हो, क्या सरकार को यह अधिकार है कि वह बगैर पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे ही उस पर नियुक्ति कर दे या जो टेम्पोरेरी जगहें एक साल से कम की मियाद की होती हैं और जिनको एक साल से ज्यादा रखने की गुंजाइश नहीं है उन पर सरकार नियुक्ति कर सकती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जवाब तो मैं दे चुका बहुत मुख्तसर।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये जगहें कब क्रियेट हुई थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मिडिल जनवरी में यह लिस्ट तैयार हुई थी।

श्री त्रिलोकीसिंह---उनको कब एडवर्टाइज किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसके फौरन बाद।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि यह मेडिकल कालेज खोलने का निश्चय कब किया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दो वर्ष पहिले।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो नियुक्तियां की गयी हैं वे काम किस तारीख से शुरू करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सब लोग अभी काम शुरू करेंगे।†

श्री त्रिलोकीसिंह---कितने जुलाई में करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनका काम जुलाई में शुरू होगा उनके लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन में भेजने के लिए समय पर्याप्त नहीं था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नहीं था।

आगरा जिले की एतमादपुर तहसील को तोड़ने का विचार

**४---श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले के तहसील एतमादपुर का विघटन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

---

†९ मई, १९५७ को सहकारिता उपमन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—सरकार के सामने न केवल तहसीलों को तोड़ने का ही सवाल है बल्कि बड़ी-बड़ी तहसीलों को छोटा करने का प्रश्न भी विचाराधीन है ताकि शासन में आसानी पैदा हो जाय। अतः यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि आगरा जिले की तहसील एतमादपुर या किसी और छोटी तहसील को तोड़ा जायगा अथवा नहीं।

श्री रामसिंह चौहान—तो क्या मन्त्री जी का विचार है कि कुछ अधिक तहसीलें बढ़ायी जायंगी ?

श्री चरणसिंह—जी, आगरे में तो बढ़ने का कोई सवाल नहीं है, वहां तो कम होने का सवाल है। लेकिन पूर्व के कुछ जिलों में उनके बढ़ने का सवाल है।

श्री रामसिंह चौहान—क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एतमादपुर तहसील को तोड़ने का कोई नोटिस दिया गया था ?

श्री चरणसिंह—अभी नोटिस का सवाल नहीं उठता है। अभी तो कोई फैसला ही नहीं हुआ है।

गोरखपुर जिले के अन्नाभाव वाले क्षेत्रों में सहायता देने का आश्वासन

**५—श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार ने गोरखपुर जिले के कछार एवं बांगर क्षेत्र की खरीफ फसल की बाढ़, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से बर्बादी की विस्तृत सूचना प्राप्त कर ली है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह—जिले की गत खरीफ फसल को बाढ़, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से हुई बर्बादी के सम्बन्ध में जिलाधीश से प्रारम्भिक रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। अन्तिम रिपोर्ट आने पर नियमानुसार मालगुजारी में छूट या मुल्तवी दी जायगी। फिलहाल ८ आने या उस से अधिक क्षति ग्रस्त खातों की मालगुजारी की वसूली स्थगित है।

श्री केशव पाण्डेय—क्या माननीय माल मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के बांगर क्षेत्र के बारे में जिलाधीश की प्रारम्भिक रिपोर्ट के बावजूद वहां लगान या तकावी सख्ती के साथ वसूल की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—मैं यह तो नहीं कह सकता कि कौन से गांव बांगर में हैं या कौन से खादर में हैं। २,७२४ गांवों में मालगुजारी की वसूली स्थगित है। कलेक्टर नें २,८२८ गांवों के लिए सिफारिश की थी, लेकिन इनमें से १०४ गांवों की बात तो लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर ने नहीं मानी बाकी २,७२४ गांवों में वह स्थगित है।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार के पास गोरखपुर के विभिन्न प्रतिनिधियों ने सूचना दी थी कि बांगर क्षेत्र में भी फसल की हालत वही रही है जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में खरीफ के फसल की है ? तो क्या सरकार वहां पर कोई सहायता हेतु व्यवस्था करेगी ?

श्री चरणसिंह—मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि बांगर के मुताल्लिक विशेष रूप से मुझ से कोई बात कही गयी हो या प्रार्थना आयी हो। मैं उस से इनकार भी नहीं करता, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता। उस एरिया में पांच हजार गांव मुश्किल से होंगे और उनमें से आधे से ज्यादा में वह आलरेडी स्थगित है।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गत वर्ष की अति वर्षा के कारण रबी की फसल की भी भारी क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह—ज्ञात है।

श्री गेंदासिंह—क्या माल मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर जिले में रबी की फसल करीब-करीब सभी गांवों में १० आने और १२ आने तक बर्बाद हुई है ?

श्री चरणसिंह---यह सवाल तो खरीफ की फसल के मुताल्लिक था, लेकिन माननीय मित्र पूछ रहे हैं रबी की फसल के मुताल्लिक। इतना मुझको मालूम है कि देवरिया जिले की फसल बनिस्बत गोरखपुर के ज्यादा खराब है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर के कछार एवं बांगर क्षेत्रों में कच्ची रसीदों पर लगान वसूल किया जा रहा है?

श्री चरणसिंह---जी, मुझे तो इल्म नहीं है इस बात का। कच्ची रसीदों पर आम तौर पर वह वसूली की नहीं जा सकती, क्योंकि इस सिलसिले में बहुत ताकीद है।

गोरखपुर जिले की खाद्य-स्थिति

**६---श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार के पास गोरखपुर के जिलाधीश ने इस वर्ष की खाद्य स्थिति के बारे में कोई सूचना दी है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर रही है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---सरकार को इस वर्ष की खाद्य स्थिति के बारे में जिलाधीश गोरखपुर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री केशव पांडेय---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में इस वर्ष रबी की जो फसल हुई है, उसकी हालत को देख कर जिले की ओर से खाद्य की बहुत गम्भीर स्थिति की सूचना सरकार को दी गयी है?

श्री सैयद अली जहीर---गोरखपुर में खाद्य की स्थिति इत्मीनानबख्श नहीं है। इसी वजह से वहां पर सरकारी गल्ले की दुकानें दो किस्म की, एक तो फ्लड रिलीफ शाप्स और दूसरे फेयर प्राइस शाप्स, यह दुकानें खोल दी गयी हैं और यह दोनों बराबर आज भी चल रही हैं। इस वक्त वहां की दूकानों के जरिये २ सेर १२ छटांक प्रति रुपया अनाज बिक रहा है। और जगहों के ऊपर प्रदेश में तो ऐसी दुकानें बन्द कर दी जा रही हैं, लेकिन गोरखपुर और चन्द और जो अजला पूर्व में हैं, उन में ये दुकानें अभी खुली रहेंगी।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार गोरखपुर की खाद्य स्थिति की अच्छी तरह से जानकारी करने के लिए कोई जांच नियुक्त करायेगी?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे खयाल में काफी इत्तला अभी सरकार के पास है। उस के अलावा और कोई जांच की जरूरत नहीं मालूम होती और जो कभी होगी तो वह माननीय सदस्य से हासिल हो जायगी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो दुकानें खोली गयी हैं वह अपर्याप्त हैं और इनसे जनता को बड़ी परेशानी होती है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---इस समय तो अपर्याप्त नहीं हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि गोरखपुर की बांसगांव तहसील में, जिसकी आबादी ४,००,००० के आसपास है कितनी फेयर प्राइस शाप्स हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कुल तहसीलों की सूचना यहां नहीं है, लेकिन गोरखपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में १२९ दुकानें खुली हुई हैं।†

श्री रामजीसहाय---क्या सरकार के सामने इस जिले के लिए आस्टैरिटी योजना भी विचाराधीन है?

---

†९ मई, १९५७ को सहकारिता उपमन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री सैयद अली जहीर---आस्टैरिटी योजना की कोई जरूरत इस समय नहीं मालूम होती। लेकिन मैं एक बात माननीय सदस्य और सदन की इत्तिला के लिए अर्ज कर दूं कि हमने इन ७, ८ पूर्वी जिलों के कलेक्टरों की कान्फ्रेंस बुलायी है और वह गालिबन दो, चार रोज में यहां जमा होंगे और उस वक्त वहां की स्थिति पर फिर से गौर किया जायगा और जो सूरते हाल होगी, उस पर विचार किया जायगा।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सरकार को क्या इन क्षेत्रों से गैरसरकारी या सरकारी सूत्रों से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है कि गोरखपुर जिले के कुछ हिस्सों में भूख से मौतें भी हुई हैं?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*१---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---[स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में पंचायत मंत्रियों का निकाला जाना

*२---श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में कितने पंचायत मन्त्री सन् १९५५, १९५६ और १९५७ में सेवा कार्य से मुक्त किये गये?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---बलिया जिले में सन् १९५५ में ७, १९५६ में १० तथा १९५७ में २ पंचायत मन्त्री सेवा कार्य से मुक्त किये गये।

*३---श्री मान्धातासिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निकाले हुए मंत्रियों में कितने पुनः सेवा कार्य में रक्खे गये?

श्री रामस्वरूप यादव---निकाले हुए पंचायत मंत्रियों में से किसी को भी पुनः सेवा कार्य में नहीं रखा गया।

श्री मान्धातासिंह---क्या सरकार बतलायेगी कि जिन मंत्रियों को निकाला गया है, उन पर कौन सा अभियोग लगाया गया था?

श्री रामस्वरूप यादव---उन पंचायत मंत्रियों का कार्य असन्तोषजनक था और इस लिए ३ माह का नोटिस दे कर उनको अलाहिदा कर दिया गया।

श्री मान्धातासिंह---क्या उन मंत्रियों को अपनी सफाई देने का मौका दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---उनको १७४घ के अनुसार अलाहिदा किया था। उसमें मौका देने की जरूरत नहीं थी। उस पत्र के अनुसार अगर उनका कार्य असन्तोषजनक रहेगा और ३ माह के अन्दर वह उसे नहीं सुधार सकेंगे तो उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

लखनऊ नगरपालिका के सार्वजनिक मार्ग सम्बन्धी कार्य

*४---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या सरकार यह बतायेगी कि लखनऊ नगरपालिका ने १९५५-५६ में तथा १९५६-५७ में कितनी गलियों में खड़ंजा लगवाया तथा १९५५-५६ व १९५६-५७ में कितने सार्वजनिक रास्तों में लालटेनें व बिजली लगवायीं?

श्री रामस्वरूप यादव---नगरपालिका लखनऊ ने वर्ष १९५५-५६ व १९५६-५७ में क्रमशः ५ व १४ गलियों में खड़ंजा लगवाया। वर्ष १९५५-५६ में ११९ सार्वजनिक रास्तों में ११४ लालटेनें व ४१५ बिजली के लैम्प लगवाये। वर्ष १९५६-५७ में २४८ सार्वजनिक रास्तों में ९१ लालटेनें व ६५८ बिजली के लैम्प लगवाये।

*५---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या सरकार यह बतायेगी कि इस मद में १९५६-५७ के बजट में कितना अनुमानित व्यय लगाया गया था और कितना दरअसल खर्च हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---१९५६-५७ के बजट में ५,३०,००० रु० ड्रेन्स तथा पेवमेंट के लिए और ३,१२,०९५ रु० प्रकाश के लिए अनुमानित व्यय था, जिसमें से क्रमशः ४,३७,५२५ रु० और २१,८२८ रु० व्यय हुआ। खड़ंजों के लिए अलग खर्च का व्योरा नहीं है और वह ड्रेन्स व पेवमेंट के खर्च में सम्मिलित है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह कार्य चुनाव के दौरान में किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह काम जैसा कि ५५-५६ के बारे में और ५६-५७ के बारे में पूछा गया है उसी के बारे में है। यह कार्य ३१ मार्च, सन् १९५७ तक किया गया और साल ५६-५७ पहली अप्रैल, सन् १९५६ से शुरू होता था।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या सरकार यह बतलायेगी कि सन् १९५५-५६ में ११९ रास्तों में जो ४१५ बल्ब लगाये गये और ५६-५७ में जो ६५८ बल्ब लगाये गये तो यह तरक्की इस साल कैसे हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह कार्य आवश्यक था, इस वजह से किया गया।

श्री त्रिलोकी सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस आवश्यकता का ज्ञान लखनऊ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को कब हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---समय-समय पर जैसी कि उनको सूचना मिलती गयी, उसी हिसाब से आवश्यकता का ज्ञान उनको होता गया और वह कार्य करते गये ?

श्री गेदासिंह---क्या सरकार ने १९५६-५७ में जितनी जरूरत समझी, सन् १९५७-५८ में उससे कुछ कम या ज्यादा जरूरत समझी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में तो इस वक्त प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि सन् १९५७-५८ तो अभी चालू है। जैसी आवश्यकता समझी जायगी किया जायगा।

लखनऊ वाटरवर्क्स की सप्लाई कैपेसिटी के संबंध में परिप्रश्न

*६---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ वाटर वर्क्स की सप्लाई कैपेसिटी सन् १९४८-४९ में कितनी थी तथा सन् १९५६-५७ में क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---लखनऊ वाटर वर्क्स की सप्लाई कैपेसिटी सन् १९४८-४९ में १५.० million gallons तथा १९५६-५७ में २६.० million gallons प्रतिदिन थी।

श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार को मालूम है कि लखनऊ के उत्तर पूर्वी हिस्सों में ज्यादातर पानी की बहुत कमी है और प्रतिदिन कितने मिलियन गैलन पानी की यहां जरूरत है ?

श्री रामस्वरूप यादव---२६ मिलियन गैलन से ज्यादा आवश्यकता नहीं है। १९५६-५७ में जो खर्चा हुआ है वह २५ मिलियन गैलन के करीब खर्चा हुआ है।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में साल के तीन महीने पानी की सप्लाई बहुत कम है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके बारे में नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह सूचना है कि प्रातःकाल लखनऊ के नागरिक स्नान पूर्ति के लिये जब नलों पर पहुंचते हैं तो मन्त्रियों और विधायकों से लेकर नीचे तक प्रत्येक नागरिक को यह मालूम होता है कि वहां नल में पानी नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार के इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है।

बरेली में जल-कर की दर कम करने के लिए प्रार्थना

*७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार के पास बरेली नगर की जनता की ओर से ऐसी मांग आई है कि १० प्रतिशत जल-कर की दर बहुत अधिक है ? उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—टैक्स की दर में कमी करने के लिए सरकार के पास एक गुमनाम पत्र आया था, परन्तु बोर्ड की आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए टैक्स में कमी करने के सुझाव को सरकार ने उचित नहीं समझा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी दर जल-कर की सरकार ने स्वीकार की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कम से कम १० और ज्यादा से ज्यादा १२।

बिना वापसी चुंगी लगाने की आज्ञा के लिए प्रार्थना

*८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार प्रदेश भर में बिना वापसी चुंगी लगाने के सम्बन्ध में वही आदेश जारी करने का विचार कर रही है जो उसने अलीगढ़ के लिए किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार के पास अलीगढ़ नगरपालिका के अलावा भी अन्य नागरपालिकाओं से प्रार्थना-पत्र आये हैं जिसमें उन्होंने सरकार से बिना-वापसी चुंगी लगाने की आज्ञा मांगी है। सरकार ने इस विषय पर विचार करके एक आदर्श बिना वापसी चुंगी कर-तालिका बनाने का निश्चय किया है जिससे वे सारी नगरपालिकायें, जो बिना वापसी चुंगी लगाने की इच्छुक हैं, इस आदर्श चुंगीकर-तालिका के समान ही अपनी कर-तालिका बनायें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह बिना वापसी चुंगी नगरपालिका की तालिका कब तक बन जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके बारे में नगरपालिकाओं से जानकारी की गई है और उनके उत्तर आने के बाद सोचा जायगा।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या फिरोजाबाद नगरपालिका ने भी इस प्रकार बिना वापसी चुंगी की आज्ञा मांगी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नहीं, फीरोजाबाद ने नहीं, फैजाबाद न मांगी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार उन नगरपालिकाओं के नाम पढ़ने की कृपा करेगी जिन्होंने सरकार से ऐसी आज्ञा मांगी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—फैजाबाद, जौनपुर, झांसी, ललितपुर, पीलीभीत, रामपुर, वाराणसी, मथुरा और अलीगढ़।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना है कि इस बिना वापसी चुंगी के बारे में लोकल कमेटी फाइनेंस बॉडो ने जो हरगोविन्द कमेटी कहलाई जाती है, उसकी सिफारिश आई है और सरकार ने उस पर क्या किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गरीबदास तथा श्री मदन पांडेय द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अधिष्ठाता—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री गरीबदास ने भेजा है। ऐसा ही प्रस्ताव कल प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय अधिष्ठाता ने अस्वीकार किया था। इसलिये मैं भी इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, उसे पढ़ दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं।

एक दूसरा प्रस्ताव श्री मदन पांडेय का है। यह बिल्कुल अनिश्चित है और अरजेन्ट भी नहीं है, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री राजनारायण—पहले प्रस्ताव का विषय तो बतला दीजिये। कल जितने भी काम रोको प्रस्ताव आये, उन सब के लिये माननीय अधिष्ठाता ने कह दिया था कि अनियमित और अनिश्चित हैं। सदन अन्धकार में है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी से मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि वे मेरे कमरे में आ जावें। इसके बारे में जो नियम हैं, वह मैं उन्हें दिखा दूंगा। इसका नियम यह है कि जिस काम रोको प्रस्ताव को स्पीकर महोदय अस्वीकार करते हैं, उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि अध्यक्ष महोदय को कुछ पूछना हो तो वह माननीय मंत्री जी से या काम रोको प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य से पूछ सकते हैं। परन्तु जिनके बारे में अध्यक्ष का निश्चित मत है कि उन्हें अस्वीकार करना चाहिये, उनके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—जो प्रस्ताव सदन में पेश हुआ है, वह सदन की प्रापर्टी है और हर सदस्य को उसे जानने का अधिकार है। मैं इस प्रस्ताव पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय रावत जी को बड़ी ग़लतफहमी है। कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है। काम रोको प्रस्ताव स्पीकर के पास जाते हैं। जब स्पीकर उन्हें स्वीकार कर दें, तभी सदन को उनको जानने का अधिकार है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में काम रोको प्रस्ताव को पढ़ कर न सुनाने से हमको मालूम नहीं होगा कि किस विषय का काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है और कल को हम भी वैसा ही प्रस्ताव दें सकते हैं, जो व्यर्थ होगा।

श्री अधिष्ठाता—आप आफिस में आकर जान लें।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—मैं यह निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय काम रोको प्रस्ताव पेश करने वालों से अपने चेम्बर में बहस कर लें और उन्हें बतला दें कि क्या बात है। वहां उनको बता दिया जाय कि वह गलत है और उसको यहां आने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बारे में यहां जानने की जरूरत न होगी कि कौन सा काम-रोको प्रस्ताव नामंजूर किया गया है। लेकिन अगर कोई काम रोको प्रस्ताव यहां आता है, तो उसके साथ ही अधिष्ठाता महोदय यह ऐलान करें कि यह अनियमित है तो यह भी बता दें कि वैसा क्यों किया गया है। इससे लाभ यह होगा कि दूसरे मेम्बर

[श्री मोहनलाल गौतम]

वैसे अनियमित रूप में कोई काम रोको प्रस्ताव नहीं भेजेंगे, न सदन का वक्त ही खराब होगा और माननीय सदस्यों को जो ग़लतफहमी होती है, वह भी न होगी।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय गौतम जी से सहमत हूं। मगर असेम्बली के जो नियम हैं, उनमें यह है कि ११ बजने में अगर एक मिनट भी हो तो भी कामरोको प्रस्ताव आ सकता है। ऐसी सूरत में यह कठिनाई होगी कि माननीय सदस्यों को बुलाकर उनसे कैसे बातचीत की जाय। इसके बारे में नियम बनने वाले हैं। अगर नियम बन गये तो उनके अनुसार आधा घंटा पहले कामरोको प्रस्ताव आया करेगा और उस सूरत में जैसा वे चाहते हैं, वैसा ही किया जायगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, आज जो आपने प्रथम काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार किया, उसके बारे में आपने कहा कि कल जो आपके स्थान पर अधिष्ठाता महोदय आसीन थे, उन्होंने जिस तरीके से कामरोको प्रस्ताव को अस्वीकार किया, उसी तरीके से आपने भी आज किया और उस प्रस्ताव को हमको पढ़कर नहीं सुनाया। ऐसी हालत में हमारे सामने यह दिक्कत आती है कि हम यह नहीं जान सके कि कल कौनसा प्रस्ताव आया और कौनसा नहीं आया। हो सकता है आज जो माननीय सदस्य ने भेजा है, उसी प्रकार हो जो कल अस्वीकार किया गया था। लेकिन फिर भी यह ठीक होता यदि सदन को यह बता दिया जाता कि फलां विषय का यह प्रस्ताव था और यह कि इसलिये उसको नामंजूर किया जाता है, तो हम लोगों को आसानी हो जाती और इतना इस सदन का समय खराब न जाता। आइन्दा हमारे काम की आसानी को देखते हुए ऐसा कर दिया जाय तो सहूलियत होगी।

***श्री राजनारायण**—श्रीमन्, माननीय मोहनलाल जी गौतम ने जिस प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित किया है, कल भी इस तरह का निवेदन इस सदन में किया गया था। मैं नहीं चाहता कि कोई कटुता पैदा हो, लेकिन मैं देखता हूं कि अनावश्यक ढंग से कटुता पैदा होती जा रही है। यह देखकर मैंने माननीय अध्यक्ष से संबंध स्थापित करने की पुनः कोशिश की, मगर न कर पाया।

आज मैं एक वैधानिक प्रश्न की ओर आता हूं। मैं यद्यपि उसपर आपकी व्यवस्था नहीं चाहूंगा, लेकिन आपको उसकी जानकारी करा देना चाहता हूं। लोगों का ऐसा भी विचार है कि अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में जो कार्य अधिष्ठाता महोदय करेंगे वह अवैध होगा। इसकी ओर मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब मैं आपका ध्यान नियम ७१ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है—

"कार्यस्थगन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञा माँगने की रीति—प्रश्नों के अनन्तर और कार्य सूची में दिये हुए कार्य के आरम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष प्रस्ताव को लेगा और यदि उसका यह विचार है कि प्रस्थापित विषय नियमानुकूल है और नियम ६८ के अन्तर्गत वह अपनी सम्मति दे सकता है, तो वह सम्बद्ध सदस्य का नाम पुकारेगा जो अपने स्थान पर खड़ा हो जायगा और सदन के स्थगित करने के लिये प्रस्ताव उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगेगा।"

अब अधिष्ठाता महोदय अथवा अध्यक्ष महोदय उसको नियमानुकूल नहीं समझते कि प्रस्ताव को लिया जाय या उसको लेना चाहिये और फिर भी न लें, जैसा कि आपने कहा कि ग़लत भी कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस नियम के अन्तर्गत यह कह कर किसी प्रस्ताव को टाला जा सकता है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल वैसा ही प्रस्ताव अधिष्ठाता महोदय ने टाल दिया था ? अगर एक अधिष्ठाता महोदय गलती करते हैं, उन्होंने उस विषय के महत्व को नहीं समझा जैसा कि मैंने कल उनको समझाने की कोशिश की, अगर आप सेक्रेटरी से जानकारी हासिल करें तो वे बतलायेंगे । मैंने कल उनको बतलाया था कि अलीगढ़ के करीब एक हजार हरिजन गिरफ्तार हुए हैं, उसकी जानकारी मुझे अभी हुई, तो उन्होंने कहा कि इसमें आपने यह लिखा नहीं है यद्यपि मेरे काम रोको प्रस्ताव में लिखा हुआ था। मगर उन्होंने कहा कि जो रूलिंग मैंने पहले दी है, उसी पर कायम हूं और वे कायम रहे। जो भी रूलिंग हो, यदि हमें इस माननीय सदन में काम करना है तो उसे नतमस्तक होकर स्वीकार करना ही यहां की परम्परा है और उसी को लोग मर्यादा भी मानते हैं। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस नियम के अनुकूल आपने-अपनी रूलिंग दे दी—चूंकि कल अधिष्ठाता महोदय ने एक गलत काम कर दिया तो आप फिर उसी गलती को दुहरा रहे हैं । इसलिये मैं तो जानकारी के लिये जानना चाहता हूं।

कई बार इसी तरह के सवाल पहले भी पैदा हुए, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम इसे अनियमित करार देते है, लेकिन फिर एक-दो शब्द के हेर-फेर से दूसरे दिन अध्यक्ष महोदय ने खुद उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की परम्परा, इस तरह की परिपाटी इस तरह के ट्रेडिशंस रहे हैं काम रोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में, इसलिये मैं निहायत अदब के साथ अपील करता हूं कि आज कल हम लोग बड़ी दिक्कत में पड़े हुए हैं, क्योंकि बार-बार, नयी-नयी मूर्तियां, नयी-नयी विभूतियां, यहां प्रतिष्ठित होती हैं, जिनके सामने हम आदर प्रदर्शित करते हैं और आदर और श्रद्धा का भावक भाव रहते हुए हमें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कृपया आप इस पर अपनी एक साधु सम्मति दें कि किस नियम के अनुकूल आपने कह दिया कि चूंकि यह कल अनियमित था, इसलिये आज भी अनियमित है ?

श्री अधिष्ठाता—मुझे माननीय राजनारायण जी की बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ कि जो व्यवस्था इस सदन में समय-समय पर दी जाती है, उसके ऊपर वे आक्षेप करते हैं। वे एक पार्टी के नेता हैं, उन के लिये यह शोभा की बात नहीं है। मैंने पहले भी इस पर उनसे निवेदन किया था कि वे मेरे कमरे में आ जायं या वे इजाजत दें तो मैं उन के कमरे में आजाऊं और जो मेज पार्लिमेंटरी प्रैक्टिस है उसमें मैं उन को दिखला सकता हूं कि जिस रेजूल्यूशन को, कामरोको प्रस्ताव को, अध्यक्ष महोदय अस्वीकार कर देते हैं, उस को सदन में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह बहुत साफ दिया हुआ है । जो नियम माननीय राजनारायण जी पढ़ रहे थे उसके सब क्लाज (२) को देखें, जिसमें ऐसा लिखा है —

"(2) If the Speaker is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order or has refused his consent under rule 68 he may, unless he thinks it otherwise, read the notice of motion and state the reasons for holding the motion as not being in order or for refusing his consent."

तो जहां तक रूलिंग का सम्बन्ध है, कोई जरूरी बात नहीं है कि अध्यक्ष महोदय उसको पढ़ें। जहां तक अर्जेंसी का सवाल है, ऐसा वह विषय नहीं है, इसलिये मैंने इसको अस्वीकार किया है। अगर माननीय राजनारायण जी को उससे असन्तोष है तो मैंने पहले भी उनको दावत दी थी और अब भी दावत देता हूं कि वे लंच के बाद मेरे कमरे में आ जांय, मैं उनको रूलिंग दिखला दूंगा ।

श्री राजनारायण—मेरा प्वाइंट तो यह है कि आप यदि कहते हैं कि यह इन आर्डर नहीं है, नियमित नहीं है तो मैं समझता, लेकिन आपने कहा कि कल भी नहीं पढ़ा गया, इसलिये मैं इसको अनियमित समझता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—ऐसी बात नहीं है। मैंने बतलाया कि इसी प्रकार का एक प्रश्न कल आया था जो अनियमित करार दिया जा चुका है और उसी प्रकार का आज आया है, इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रूखाबाद)—अधिष्ठता महोदय, एडजर्नमेंट मोशंस के मुताल्लिक आजकल रोज दिक्कतें पैदा होगयी हैं और तरह-तरह के इनके इंटरप्रिटशन बयान किये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह दिक्कत इस तरह रफा हो सकती है कि जो हमारे रूल्स ६८ और ६९ हैं इसके मुताल्लिक, इसके डिटेल्ड वर्किंग के मुताल्लिक आप कोई फैसला कर दें। इसके लिये मैं आपका ध्यान नियम २२३ की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें साफ दिया हुआ है कि स्पीकर सहाब के रेजिडुअरी पावर्स क्या हैं —

"223. All questions not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct."

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि पावर, जो नियम ६९ के मुताबिक दी गयी है, उसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि यह ऐडजर्नमेंट मोशन कितने वक्त पहले तक आवे। ११ बजने में एक मिनट रह जाय, उस वक्त तक वह आ सकता है, लेकिन डिटेल्ड वर्किंग के लिये आप फैसला कर सकते हैं कि वह आधा घंटा या १५ मिनट पहले आपके पास आ जाय और जब एडजर्नमेंट मोशन आता है तो नियम ५८ (२) के मातहत आपको सरकार के पास भी उसकी एक कापी भेजनी पड़ती है, तो अगर आप १५ मिनट का मौका दे दिया करें तो उस पर गवर्नमेंट की भी व्यू मिल जायेगी और माननीय सदस्य से भी चेम्बर में विचार विनिमय हो जायेगा और उसके बाद जो कुछ फैसला हो, उसका एलान यहां हो जाया करे। फिर इस बात का मौका न रह जायेगा कि लोग रूलिंग के ऊपर एतराज करें और उस को फ्लाउट करें। मैं समझता हूं कि यह हाउस के प्रस्टीज, शान और डेकोरम के एतबार से सही नहीं है। मैं समझ ता हूं कि आप अपनी रेजीडुअरी पावर से कोई वक्त मुकर्रर कर दें कि इतने वक्त पहले कामरोको प्रस्ताव आ जायगा। इस तरह से यह दिक्त रफा हो सकती है और इस तरह से एतराज करने का हाउस के मेम्बरान को मौका न रह जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—यह प्रश्न अभी माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। वह इस विषय में नियम बनाना चाहते हैं, इस के लिये वह एक कमेटी भी बनाना चाहते हैं। माननीय सुल्तान आलम खां ने जो बात कही है, मैं उसको माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दूंगा। यह प्रश्न विचाराधीन है, इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न आपके सम्मुख नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि जब ऐसा कोई संकट सदन के सामने आये तो मैं आपकी सेवा में अर्ज करूं कि इस तरह की बात का निर्णय कैसे हो, सलाह के तौर पर, निवेदन के तौर पर, वह मैं बता रहा हूं। जो नियम श्रीमन् ने अभी पढ़ा था, नियम ७१ का सरा भाग, मैं उसको श्रीमन् की आज्ञा से फिर पढ़े देता हूं :—

"(2) If the Speaker is of opinion that the matter proposed to be discussed is not in order or has refused his consent under rule 68 he may, unless he thinks it otherwise,. . . . . "

मैं "अनलेस" (unless) जो इस में है .....

श्री अधिष्ठाता—"मे" (may) शब्द भी तो इसमें है, वह भी देख लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकीसिंह---यह बिलकुल साफ है, वह केवल एक्सेपशनल केसेज के लिये है। इस सम्बन्ध में मैं इंटरवल में मेक्सवेल तथा राइस की किताबें भेज दूंगा। "unless he thinks it otherwise" जब तक अध्यक्ष महोदय किसी एक्सेपशनल केस में उसका पढ़ा जाना उचित न समझें तब तक आमतौर से वह पढ़ा जायेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां उस एक्सेपशनल को ही रूल बनाया जा रहा है। मैं रूलिंग की आलोचना नहीं करता और न मैं इस चीज को मुनासिब ही समझता हूं, लेकिन सदन के माननीय सदस्य यदि कोई प्रश्न उपस्थित करते हैं तो पूरे सदन को भी यह जानने का हक है कि उस कामरोको प्रस्ताव में क्या बात थी और क्यों वह अर्जेन्ट या निश्चित नहीं माना गया। स्पीकर को यह अधिकार है कि वह एक्सेपशनल केसेज में अगर मुनासिब नहीं समझते तो न पढ़ें। लेकिन वह कोई रूल नहीं हो सकता "अनलेस" वाला जो भाग है, वह इसलिये एगजिस्ट नहीं करता। इसलिये माननीय सदस्यों के संतोष के लिये यह बताना जरूरी है कि यह मोशन इसलिये अनिश्चित है या इसकी अर्जेन्सी नहीं है या पब्लिक इम्पार्टन्स का नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---मैं श्री त्रिलोकीसिंह जी से निवेदन करूंगा कि या तो मैं स्वयं उनके कमरे में आ जाऊं या माननीय अध्यक्ष महोदय के कमरे में वे आ जांय तो मैं उनको स्पष्ट दिखला दूंगा कि मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस में लिखा है कि स्पीकर महोदय ने अगर कामरोको प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय अधिष्ठाता जी, इसी सम्बन्ध में एक प्रार्थना मैं आपसे और आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय से विचारार्थ करना चाहता हूं। यह तो स्वयं आपने अभी माना है कि यह अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि वह उसे पढ़े या न पढ़े। मैं इसी अधिकार को मान कर के यह प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसा नियम तो है नहीं कि अध्यक्ष अगर चाहे तब भी वह पढ़ नहीं सकते। पढ़ने की बात को मनाही नहीं है। तो अध्यक्ष, जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, जब तक जनहित के विरुद्ध न हो या कोई विशेष कारण न हो, तब तक अपने डिक्रिशन को हम लोगों की सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करें, तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी। यही मैं विचारार्थ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---मैं पालीवाल जी से इस मामले को डिस्कस कर लूंगा। मामला यह अहम है। इसलिये मैं समझता हूं कि उन से इस बारे में डिस्कस कर लूंगा।

पंचायत राज नियमावली के संशोधनों को विलम्ब से सदन की मेज पर रखने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---अधिष्ठता महोदय, कल जिस समय कि पंचायत राज नियामावली के संशोधन मेज पर रखे गये उस समय माननीय गेंदासिंह जी ने यह आपत्ति उठायी थी कि यह ९ अगस्त, १९५६ का जो नियमावली का संशोधन है वह इतनी देर में क्यों आ रहा है। यह नियमावली का संशोधन १७ दिसम्बर, १९५६ की बैठक में भी सदन के सम्मुख रखा गया था। लेकिन १४ दिन चूंकि सदन नहीं चला था, लिहाजा नियम के अनुसार इसे दोबारा रखना आवश्यक समझा गया। लेकिन यह होते हुये भी यह प्रश्न भी सामने था कि १७ दिसम्बर, १९५६ से पहले ९ अगस्त, १९५६ को जबकि यह नियम संशोधित कर दिया गया था, तो क्यों नहीं रखा गया। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस नियमावली के संशोधन के तुरन्त ही बाद विभाग में इस के दोबारा संशोधित करने का प्रश्न आ चुका था। इस वजह से विभाग के अन्दर यह उचित समझा गया कि जब यह संशोधन हो जाय

[श्री रामस्वरूप यादव]

फिर यह सदन के मेज पर रखा जाय, लेकिन बाद में यह पाया गया कि इस में दोबारा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह होते हुये भी यह जाहिरा गलती है। इस गलती को मैं स्वीकार करता हूं और यह सदन के सम्मुख, चूंकि सदन की बैठक ९ सितम्बर तक चलती रही और अक्तूबर के महीने में भी चली, इस बात का लिहाज न रखते हुये कि दोबारा संशोधन आ रहा है, मेज पर रखना चाहिये था, इस सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री स्वयं आदरणीय सदन की क्षमा याचना के लिये आना चाहते थे, लेकिन विधान परिषद् की बैठक के कारण वह आज उपस्थित नहीं हो सके। मैं उनकी ओर से और अपनी ओर से आदरणीय सदन से इसकी क्षमा चाहता हूं कि यह गलती है और भविष्य में जहां तक होगा ऐसी गलती नहीं की जायेगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल अब इस सम्बन्ध में एक बात कहूंगा और वह यह है कि स्वायत्त शासन विभाग से ऐसी गलतियां बराबर हुआ करती हैं। कभी-कभी हम लोगों की निगाह इन गलतियों की तरफ पड़ती है। एक मरतबा ऐसी ही बात मैंने उठायी थी और उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्षमा याचना की थी। जब माननीय मुख्य मंत्री ने क्षमा याचना की थी उसके बाद हम यह समझते थे कि आगे स्वायत्त शासन विभाग कम से कम इस बात की परवाह करेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की क्षमा याचना के बाद इस हाउस के सम्बन्ध में कुछ परवाह करेगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री जी की क्षमा याचना के बाद भी उस विभाग ने यह मुनासिब नहीं समझा कि उसकी परवाह करे। आज भी जैसा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी की तरफ से यह बात कही गयी है, तो क्या मुझे शक नहीं हो सकता, सदन को यह शक नहीं हो सकता कि आइन्दा भी माननीय मुख्य मंत्री जी की क्षमा याचना के बाद तो यह अवस्था है, स्वायत्त शासन मंत्री की क्षमा याचना के बाद विभाग क्या करेगा? मैं इस बात को रख कर यह सोचता हूं कि अब आगे के लिये ऐसा सोचा जाय कि इस तरह के मौके न आएं। क्षमायाचना के बाद पार्लियामेंटरी पद्धति में इससे अधिक कोई बात हो भी नहीं सकती है। लेकिन इतना ही अंत में मैं कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की क्षमा याचना के बाद यह दूसरी क्षमा याचना है।

सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा वित्त समिति के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अधिष्ठाता—मुझे यह सूचना देनी है कि आज ३० तारीख तक सार्वजनिक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति तथा वित्त समिति का चुनाव होने वाला था और यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमेटी, और भी एक आध कमेटी हैं उन का भी चुनाव होने वाला था। तो उसके लिये आज की तारीख जो है स्थगित कर दी गई है और ७ मई को ३ बजे तक का समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस कार्य के लिये नियत किया है।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पूर्व अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों के सभापतित्व पर आपत्ति

*श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, सर मेरा निवेदन यह है कि कंस्टीट्यूशन के आर्टिकिल १८० पर गौर फरमाया जाय। उसमें यह है कि जब तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव न हो जाय तब तक पैनल का कोई सदस्य हाउस में प्रीसाइड नहीं कर सकता।

"180. (1) While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or, if the office of Deputy Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो यह तो जब हाउस प्रारम्भ हुआ तब के लिये एप्लाई होता है ।

"180. (2) During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker or; if he is also absent,....."

मेरा ऐमफ्रेसिस "absent" शब्द पर है । दोनों सिनोनिम्स हैं ।

"..... such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker."

तो पैनल के मेम्बर्स का नम्बर डिप्टी स्पीकर की ऐबसेंस के बाद आवेगा और ऐबसेंस के माने ये हैं कि उसकी प्रेज़ेन्स को पहले कनटेमप्लेट कर लिया जाय । अभी डिप्टी स्पीकर नान ऐगजिस्टेंट है । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि डिप्टी स्पीकर ऐबसेंट है । इसलिये पैनल के किसी सदस्य को हाउस में प्रेसाइड करने का अधिकार नहीं है । इसी बात पर मैं व्यवस्था चाहता हूं और यहां के भी रूल्स आफ़ प्रेसीजर के नियम ७ को देखें जो आर्टिकिल १८० संविधान के अन्तर्गत ही तैयार हुआ है । यह इनकांसिस्टेंट है और इसने संविधान के अनुच्छेद १८० की स्पिरिट को फ़ालो नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—आपका मतलब है कि यह अनुच्छेद १८० के इनकांसिस्टेंट है ?

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—जी हां । इस लिये कि उस में वह इम्पोर्टेण्ट पार्ट ओमिट कर दिया और जितना एमफ़ेसिस देना चाहिये था उतना नहीं दिया, हालांकि रूल्स आफ प्रोसीजर में दिया है .....

"7.....any one of whom may preside over the Assembly in the absence of the Speaker and the Deputy Speaker, when so requested by the Speaker, or, in his absence, by the Deputy Speaker."

इसमें भी शब्द "absence" है ।

तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीकर महोदय हाउस में न हों, डिप्टी स्पीकर का चुनाव न हो और स्पीकर साहब तशरीफ़ न लायें और चेयरमैन प्रेसाइड करें । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह तमाम प्रोसीडिंग अल्ट्रावायर्स हैं और आर्टिकिल १८० के विपरीत जाती हैं ।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मुझे भी निवेदन करना है कि माननीय तिवारी जी ने जो यहां के रूल्स आफ़ प्रोसीजर के नियम ७ का हवाला दिया और उस सिलसिले में यह निवेदन कर दिया कि यह रूल्स अल्ट्रावायर्स आफ़ दी कांस्टीट्यूशन है । मैं श्रीमन्, उन की इस राय से सहमत नहीं हूं । इस रूल ७ में भी लिखा हुआ है ।

"As soon as may be after the commencement of every session the Speaker shall nominate from amongst the members of the Assembly a panel of not more than ten members, any one of whom may preside over the Assembly in the absence of the Speaker and the Deputy Speaker,....."

यहां भी वही शब्द "एब्सेन्स" का इस्तेमाल हुआ है जिस प्रकार से कि कांस्टीट्यूशन में इस्तेमाल किया गया है । इन दोनों में मैं कोई विरोध नहीं पाता और यह रूल भी उसी के अनुसार है कि पैनल आफ़ चेयरमैन तभी कार्य कर सकता है जबकि डिप्टी स्पीकर की एबसेन्स मान ली जाय । डिप्टी स्पीकर जब चुना ही नहीं गया तो एबसेन्स का कोई सवाल ही नहीं है ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला, मैंने तो कोशिश की जिन साहब ने यह एतराज उठाया है, उन को फालो करने और समझने की, लेकिन बदकिस्मती से मैं उनको समझ नहीं सका । तो मैं आप से यह अर्ज करूंगा कि मैं कुछ देर में उन से बैठकर समझ लूंगा और तीसरे पहर में जब नशिस्त होगी, तब उसके मुताल्लिक मैं अर्ज कर दूंगा । मैं उनसे समझूंगा उस बात को कि वह क्या कहते हैं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह बड़ी आश्चर्यजनक बात वित्त मंत्री जी ने कही कि बाद में वे समझ कर जवाब देंगे। अगर अधिष्ठाता महोदय की अध्यक्षता में होने वाली तमाम कार्यवाहियां अवैध हैं तब तो एक मिनट भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे स्थगित किया जाय और इस मौलिक प्रश्न पर विवाद हो। इस समय मैं व्यवस्था का प्रश्न आपके सम्मुख उठाना नहीं चाहता, लेकिन जब व्यवस्था का प्रश्न आ ही गया है तो उस पर निर्णय होना ही होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, श्रीमन्, कि हिन्दी में भी देख लिया जाय क्योंकि माननीय तिवारी जी और त्रिलोकीसिंह जी ने अंग्रेजी में ही पढ़ा है।

श्री अधिष्ठाता—पहले इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय कि ये प्रोसीडिंग्स वैलिड हैं या नहीं।

श्री राजनारायण—इस पर अपनी व्यवस्था देने के पूर्व, श्रीमन्, आप इस सदन को स्थगित कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस और किसी एक कानूनी सलाहकार, आपस में विचार विनिमय कर लें। यों तो व्यवस्था आप दे ही सकते हैं। कुछ न कुछ देंगे ही। लेकिन मर्यादा की सुरक्षा के लिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं ताकि कहीं ऐसा न हो कि कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स वगैरह जो कानून बन रहे हैं ये तमाम हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज किये जायं और वहा जाकर फिर हम लोगों की बुद्धि को भी चैलेंज किया जाय। यह कहा जाय कि जितने सम्मानित सदस्य थे, किसी ने भी गौर नहीं किया। इसलिये हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया ताकि किसी तरीके से आप पर आक्षेप न हो, न दूसरों पर आक्षेप हो।

श्री अधिष्ठाता—जैसा माननीय राजनारायण जी ने कहा है प्रश्न महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा कि वह कहते हैं कि सब काम स्थगित कर दिया जाय और पहले इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाय, यह तो सही नहीं है। मैं उनका ध्यान संविधान के अनुच्छेद २१२ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें साफ तौर से लिखा है—

"The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure."

श्री राजनारायण—हिन्दी में भी समझा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—बहुत अच्छा। "प्रक्रिया में किसी कथित अनियमितता के आधार पर राज्य विधान मंडल की किसी कार्यवाही की मान्यता पर कोई आपत्ति न की जायगी।" संविधान के अनुच्छेद २१२ में जो लिखा हुआ है उसके होते हुए भी मैं यह चाहता हूं कि तीन बजे के करीब माननीय मेम्बर्स जो हैं वे माननीय वित्त मंत्री को अपनी बातें समझा दें। उसके बाद इस पर व्यवस्था दी जायगी। मैंने आपका ध्यान दिलाया कि प्रोसीडिंग्स की लीगेलिटी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि २१२ अनुच्छेद को पढ़ने की आपने विशेष अनुकम्पा की। इसमें प्रक्रिया में किसी अनियमितता के आधार पर यह कहा गया है कि मान्यता नहीं दी जायगी, यानी हाउस में अगर डिप्टी मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऐबसेंस आफ मिनिस्टर, या हाउस में कोई और अनियमितता हो, उसके सम्बन्ध में है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि माननीय आत्माराम गोविन्द खेर की जगह राजनारायण बैठ करके हाउस के प्रोसीजर को चलायें तो वह प्रोसीडिंग्स नियमित कहलायेंगी, ऐसी बात नहीं है। यह हाउस के प्रोसीजर का सवाल नहीं है। यह तो ऐग्जिस्टेंस का सवाल है यानी इस समय जो अध्यक्ष-पद पर अधिष्ठाता महोदय बैठे हैं,

उनका बैठना वैध है या अवैध है, हमारा प्रश्न तो यह है। इसलिये यह सदन की आन्तरिक कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। हम तो इसलिए चेलेंज कर रहे हैं कि अधिष्ठाता महोदय को इस समय अधिकार ही नहीं है कि वह कुर्सी पर बैठें, क्योंकि लिखा हुआ है कि "इन दि ऐबसेंस आफ दि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर" यानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में....

श्री अधिष्ठाता---आप तो वही बात कह रहे हैं जो माननीय त्रिलोकीसिंह ने कही थी और एक अन्य सज्जन ने कही थी।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रश्न का अनुच्छेद २१२ से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---तो आप यही कहिये कि इस प्रश्न का अनुच्छेद २१२ से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना है कि श्रीमन् को भी थोड़ा सा भ्रम हो रहा है इस सम्बन्ध में। अगर आप इस बात को जानने की कोशिश करें और उसमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहें तो आपको भी फर्क मालूम हो जायगा कि इर्रेगुलरिटी एक दूसरी चीज है और इल्लिगलिटी दूसरी चीज है। इस पर जरा सोचने का प्रयास करें तो आपको मालूम होगा इर्रेगुलरिटी की वजह से कोई खास चीज अल्ट्रावायर्स हो, लेकिन इल्लिगलिटी की वजह से वह पूरी नाजायज करार दी जायगी। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखकर आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---प्रक्रिया नियमावली के सातवें नियम में, श्रीमन्, बहुत स्पष्ट है और शब्दों का इतना स्पष्टीकरण है कि उसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी घुमा फिरा करके उस चीज को कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि---

"प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने पर यथाशीघ्र अध्यक्ष सभा के सदस्यों में से अधिक से अधिक दस सदस्यों का एक मंडल नामनिर्देशित करेगा और उसमें से कोई एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किये जाने पर सभा में पीठासीन हो सकेगा।"

अर्थात् जब तक अध्यक्ष रहे तब तक कोई बात नहीं, लेकिन अध्यक्ष न रहे तो अधिष्ठाता मंडल बनेगा, यह बहुत स्पष्ट है। इतनी घुमा फिरा कर चीज कही जाती है कि मुझे आश्चर्य होता है...

श्री अधिष्ठाता---आर्डर प्लीज। मैं इस प्रश्न को ३ बजे के लिए स्थगित करता हूं। माननीय सदस्य जो हैं वे माननीय वित्त मंत्री जी से बात कर लें। फिर उसके ऊपर निर्णय दिया जायगा, क्योंकि वह प्रश्न बहुत साफ नहीं है। यह सदन की प्रोसीडिंग तो चलेगी ही।

राज्य की और विशेष रूप से पहाड़ी जिलों की खाद्य-स्थिति पर विवाद

*न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुमति से मुझे यह अर्ज करना है कि हमारे इस प्रदेश में, जैसा माननीय सदस्य सब जानते हैं, जुलाई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

सन् ५२ तक कंट्रोल्स रहे और राशनिंग के जरिये से खाद्य की तकसीम हमारे सूबे में होती थी और वह राशनिंग ज्यादातर शहरों में ही थी, देहातों में नहीं थी। उसके बाद कंट्रोल खत्म हुए और हमारे यहां की खाद्य की स्थिति बेहतर हो गयी। सन् ५४–५५ में हमारे यहां अनाज की कीमत इतनी गिरने लगी कि इसकी जरूरत हुई कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम चलावे जिससे उसकी गिरती हुई कीमत को रोका जाय। इसका नतीजा यह हुआ कि १४,२७,००० मन गेहूं १० रुपये फी मन के हिसाब से, ४,००,००० मन ज्वार ५ रुपये ८ आने फी मन के हिसाब से और २,००० मन चना ६ रुपये फी मन के हिसाब से गवर्नमेंट ने खरीदा ताकि गिरती हुई कीमतों को रोका जाय।

बहरहाल, इसके बाद जून, १९५६ से सूरतेहाल बदलने लगी। इसकी वजह यह हुई कि कई मुश्किलें हमारे सूबे में आईं और अनाज की पैदावार भी कम हुई। १९५४–५५ में १,१०,००,००० टन की पैदावार हुई जबकि १९५५–५६ में १,००,००,००० टन की ही पैदावार हुई और इसके बाद क्योंकि हमारी पैदावार में कमी हुई थी लिहाजा जो अनाज जमा रहता था और वक्त पर काम आता था, वह भी बाकी नहीं रह गया। नतीजा यह हुआ कि जुलाई, १९५६ में जब मुजफ्फरनगर में बड़े जोर की बारिश हुई, जैसा कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि ४० घंटों में ३० इंच पानी बरसा और इतना सख्त नुकसान हुआ कि खेतों को ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि जो गल्ला गोदामों में जमा था वह तथा गुड़ शकर वगैरह बरबाद हो गये। इसके बाद कमी पड़ी और इसका नतीजा यह हुआ कि इन कमियों के पड़ने की वजह से हमें फौरन कुछ न कुछ कार्यवाही करनी पड़ी। पहले-पहले मुजफ्फरनगर में २०,००० मन गेहूं भेजा गया ताकि उसके जरिये से फ्लड रिलीफ शाप्स खुल जायं और १४ रुपये मन के हिसाब से गेहूं बिकना शुरू हुआ। मगर सूरतेहाल मुजफ्फरनगर तक ही महदूद नहीं थी और दूसरी जगहों पर भी सूरतेहाल बिगड़ती चली गई।

इस तरह की चीज होने पर सरकार तीन तरह से सहायता पहुंचाती है। एक तो वह रिलीफ शाप्स खोलती है और सहायता पहुंचाती है। पहली किस्म की सहायता बहुत थोड़ी मात्रा में होती है और ऐसी मुसीबत के वक्त होती है जबकि बहैया वगैरह आ जाती है और वहां के रहने वालों के पास खरीदने की ताकत नहीं रहती तो उस वक्त लोगों को मुफ्त अनाज तक्सीम किया जाता है। मसलन अभी आपने सुना होगा कि मांसियारी और ढारचूला में अनाज की बड़ी मुश्किल हो गई थी और लोग परेशान थे, इसलिये वहां पर थोड़ी मिकदार में गेहूं लोगों में मुफ्त तकसीम किया गया। इसके अलावा और भी कार्यवाही हुई। जो गल्ला मुफ्त में बांटा गया, वह तकरीबन १५० मन था।

दूसरी शक्ल यह हुई कि रिलीफ शाप्स खोली गई। बहैया की वजह से तबाही आ गई है, चुनांचे दुकानें खोली जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से सबसिडी दी जाती है। पहले २ रुपये ३ आने मन के हिसाब से सबसिडी दी जाती थी। लेकिन बाद को १५ आने मन कर दी गई और आज भी इस तरह की १,११२ दुकानें मुख्तलिफ जगहों पर खुली हुई हैं। यह आठ जिलों में हैं जैसे वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर। इन जिलों में अब भी दुकानें खुली हुई हैं।

तीसरी किस्म की सहायता वह होती है जिसको गवर्नमेंट ज्यादा तादाद में देती है। वह फेयर प्राइस शाप्स खोल कर सहायता दी जाती है। उसको इस तरह से किया जाता है कि हमको केन्द्रीय सरकार से इसके मुताल्लिक अनाज मिलता है और जो अनाज वे देते हैं, उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह होता है, उसको मुजरा दे करके २ सेर १० छटांक या २ सेर १२ छटांक के हिसाब से दिया जाता है। २ सेर १२ छटांक तो

वहां दिया जाता है जहाँ गल्ला रेल के जरिये से पहुंच जाता है। लेकिन जहां पर रेल हेड से आगे हमको अन्दर ले जाना पड़ता है वहां पर ट्रांसपोर्ट के खर्चे को मुजरा दे करके २ सेर १० छटांक के हिसाब से बिकता है। इस तरह की १,०४० दुकानें हमने अपने यहां खोलीं थीं और ये ७ अप्रैल, १९५७ तक काम कर रही थीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—कितनी किस जिले में हैं।

श्री सैयद अली जहीर—ये भी ज्यादातर मग़रबी इलाके में हैं। जो दुकानें हमने मगरबी इलाके में खोली थीं, और जो सेन्टर में थीं वे तो हमने बन्द कर दी हैं। १५ अप्रैल से या १५ मई से बन्द करने जा रहे हैं बड़े-बड़े शहरों में भी, लेकिन जो ईस्टर्न अज़ला हैं उनमें ये दुकानें अभी तक खुली हुई हैं, इस वजह से कि वहां की स्थिति अभी अच्छी नहीं हुई है।

अब पहाड़ी इलाकों का हाल आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यहा का हाल यह है कि यहां पर रबी और खरीफ दोनों में मिला कर जितना अनाज पैदा होता है, वह वहां के बाशिन्दों के लिये सिर्फ चार महीने के लिये काफी होता है और ८ महीने की खुराक हमेशा बाहर से भेजनी पड़ती है। ज़ाहिर है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट की इतनी कमी है और वह इतना एक्सपेन्सिव है कि बाज़-बाज़ जगह तीन रुपये फी मन के हिसाब से ट्रांसपोर्ट चार्जेज पड़ जाते हैं और बाज़ जगह जो बहुत अन्दर हैं, जैसे तिब्बत के बार्डर के पास, वहां १२ रुपये फी मन पड़ते हैं। लेकिन यह सब रुपया स्केयरसिटी डिपार्टमेंट से बहैसियत सबसिडी के दिया जाता है और वहां के लिये भी जो अनाज हम भेजते हैं वह नो-प्राफिट, नो-लास की बेसिस पर भेजते हैं। तो वहां की सूरत तो हमेशा गड़बड़ रहा ही करती है। बहरहाल, अबकी दफा यह ज़रूर हुआ कि वहां ट्रांसपोर्ट में स्ट्राइक वगैरह हो गई जिसकी वजह से जिस वक्त हम चाहते थे कि अनाज वहां पहुंच जाय, उसमें ज़रा सी देर हुई और हमको उसके लिये फौरन दूसरा इन्तजाम करना पड़ा। हमने प्राइवेट ओनर्स की बसेज़ वगैरह रेक्वीज़ीशन कीं। उसके बाद कुछ गल्ला हवाई जहाज़ के ज़रिये से मांसियारी और धारचूला में भेजना पड़ा। वहां की मौजूदा सूरतहाल यह है कि ७ अप्रैल, १९५७ तक ३,५४,००० मन गेहूं पहाड़ी इलाकों में तकसीम कर चुके हैं और इतनी काफी मिकदार में वहां पर अब भी गल्ला मौजूद है कि कोई कमी होने का अन्देशा नहीं है। ३७८ दुकानें इस वक्त तक खुली हुई हैं और ३२ गोदाम हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक प्लेसेज़ में बना दिये हैं, जिनमें बराबर अनाज जमा रहता है। १४ अप्रैल, १९५७ को १,१२,००० मन गेहूं इन गोदामों में मौजूद था और अगर जरूरत होगी तो हम और भेजते रहेंगे।

जहां तक पूर्वी जिलों का ताल्लुक है इनमें, जैसा मैंने अर्ज किया, फ्लड रिलीफ की दुकानें खोलीं थीं और वे चल रही हैं, लेकिन बाकी अज़ला में बन्द हो गयी हैं। ७९१ दुकानें अब भी वहां पर चल रही हैं और अब हमने यह तय किया है कि बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, बहराइच, गोंडा, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, रसड़ा, ज़मनिया, सहजनवा, बस्ती, पडरौना ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लेसेज़ पर गोदाम बनाये हैं जिनमें गल्ला जमा कर दिया गया है और हमें यकीन है कि जितनी भी हमको जरूरत होगी, वहां पर अनाज मिलेगा और हम उसको जमा करते रहेंगे। २० लाख मन के करीब इस वक्त तक गल्ला फेयर रिलीफ शाप्स के जरिये तकसीम हो चुका है और उसमें गवर्नमेंट ने तकरीबन २५ लाख रुपया सबसिडी की शक्ल में उन जगहों की दूकानों को चलाने में खर्च किया है।

एक चीज़ तो माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि हमारी जो फेयर प्राइस शाप्स होती हैं वे उसी वक्त तक चलती हैं, जब बाजार का रेट इससे कम होता है। हमको यह उम्मीद है कि जिस तरह से पैदावार आज कल खेतों में हुई है वह बराबर आ रही है

[श्री सैयद अली जहीर]

और जैसे-जैसे वह आती जायगी वैसे-वैसे अनाज के दाम भी कम होते चले जायंगे। चुनांचे इसी खयाल से हमने पश्चिमी और सेन्ट्रल के जिलों में और कबाल टाउन्स में सिवाय बनारस को छोड़ कर दूकाने बन्द कर देने का फैसला किया है, इसलिये कि अब उनकी जरूरत वहां नहीं रही। हमारा ऐसा अन्दाजा है कि फसल जितनी हुई है, उससे गालिबन सितम्बर और अक्तूबर तक हमको इन दूकानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे कि किसी वजह से अनाज का निर्ख फिर बढ़ रहा है तो हम फौरन इन दूकानों को खोल करके, इन लोगों की तकलीफों को रफा करायेंगे जो गिरानी की वजह से लोगों में पैदा हो जाती है। इस हालत को मीट करने के लिये हमने हर तरीके से तैयारी कर ली है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से वादा हो गया है और वे जितने अनाज की जरूरत होगी, हमको देंगे। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जितना अनाज वे बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं और जितना उनके पास है वह इतना काफी है कि, वैसे कोई मुसीबत आ जाय तब तो बात दूसरी है, लेकिन इस वक्त इस बात का अन्देशा नहीं है कि किसी तरीके से भी अनाज की कमी होगी या उसके बारे में परेशानी होगी।

जहां तक कीमतों का ताल्लुक है, जिन लोगों ने इस पर गौर किया है, उनको यह मालूम होगा कि जो पारसाल इस जमाने में कीमतें थीं अबकी साल उस हिसाब से कीमतें कुछ ज्यादा हैं। मसलन अप्रैल के पहले १५ दिन थे, उसमें गेहूं की कीमत में तकरीबन २ रुपये १२ आने मन ज्यादती है, चने २ रुपये ११ आने मन, जौ २ रुपये सवा ३ आने मन, और चावल २ रुपये ८ आने मन। लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे-वैसे ये कीमतें बराबर घटती चली जा रही है और हमें उम्मीद है कि जो पैदावार इस साल की है उससे ये कीमतें और गिरेंगी।

मैं माननीय सदस्यों से यह खास तौर से इस्तदुआ करूंगा कि वे इसका भी लिहाज करेंगे कि जब हम इस तरह की तस्वीर खींचते हैं कि इतनी भुखमरी सूबे में फैली हुई है और इतनी परेशानी लोगों को है तो उसकी वजह से कोई खास मदद तो होती नहीं। हम भी और आप भी, सब चाहते हैं कि लोगों की मदद हो, उनकी तकलीफ दूर हो, लेकिन इस तरह की बातों से कीमतें बढ़ जाती हैं। बनिया समझता है कि कोई और मुसीबत आने वाली है गवर्नमेंट गल्ला लेगी और वह इस बात से फायदा उठाने के लिये तेजी के साथ अपना काम शुरू कर देती है और इसकी वजह से बाजार में जो अनाज आ रहा है, वह नहीं आता और इसकी वजह से और ज्यादा तकलीफें और जहमतें बढ़ जाती हैं, बजाय इसके कि कोई आसानी हो। जहां तक किसी खास जिले की बात हो, जैसे गोरखपुर के मुताल्लिक सवाल आज पूछा जायगा, उसके लिये तो जो कुछ आप बतावेंगे हम हमेशा आप से बातें करके अपनी स्कीमें आपके सामने रखेंगे कि इस तरह से हम इस सवाल को हल करना चाहते हैं और उसमें जो आपकी स्कीमें होंगी उनमें जो मुनासिब बातें होंगी उनको मानकर हमेशा उसको हल करने के लिये तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा और आपका मकसद तो एक ही है। तो इस वजह से मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर हमने इस वक्त एक बहुत ग्लूमी पिक्चर खींचने की कोशिश की और इस वक्त बहुत ज्यादा तूल दिया, इस बहस को कि वाकई अनाज की कमी है या आगे चल कर क्या हालत होगी या नहीं होगी तो यह तो हम स्पेकुलेशन की बेसिस पर करेंगे, लेकिन उसका असर, जो कीमतें इस वक्त मुल्क में हैं और जिस तरीके से जितनी पैदावार हमारी है और उसकी जो नार्मल प्राइस होनी चाहिये, उसके ऊपर यहां पड़ जायगा। बजाय इसके कि जो गल्ला हम रखना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं उस वक्त के लिये कि जब वाकई गल्ले की कमी हो उस वक्त हम उसको तकसीम करें और बांटें, अगर ऐसा किया गया तो शायद हमको उसे पहले ही बांटना पड़े।

मैं यह निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि यह जो सूरतेहाल है उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने काफी स्टाक्स जमा कर लिये हैं और मेरे खयाल में १५ लाख टन से भी ज्यादा अनाज बाहर से वह इम्पोर्ट कर रहे है ताकि अनाज बराबर अवेलेबिल रहे और जो भाव है दो सेर १० छटांक का उसको और नीचे गिरने नहीं दिया जायगा। जहां तक गवर्नमेंट का इमकान है वहां तक। बहरहाल कुछ इलाके ऐसे जरूर हैं कि जहां पैदावार कम हुई है, लेकिन जो ओवर आल पिक्चर है वह ऐसी नहीं है कि जिससे घबड़ाहट पैदा होती हो।

जो हिल एरियाज़ है वहां पर हम गोडाउन बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलियतें पहुंचा रहे हैं और काफी अनाज वहां पहुंचाने का इन्तजाम हो रहा है। वैसे तो वहां मुस्तकिल कमी रहती है और हर साल हमको कुछ न कुछ अनाज वहां पहुंचाना पड़ता है। कुछ इलाके ऐसे हैं वहां के जिनमें कहतसाली की जैसी नौबत आ गयी है। वहां कुछ जगहों पर हम टेस्ट वर्क भी चालू करने वाले हैं। वारामंडल, मल्लापट्टी और बिछुवा पट्टी नाम की जगहों में काफी अनाज की कमी है। गढ़वाल की चमोली तहसील में भी हालत गड़बड़ है। वहां हम २५,००० रुपये का टेस्ट वर्क चालू करने जा रहे हैं और थोड़ा रुपया मुफ्त तकसीम करने के लिये भी हम दे रहे हैं। जो सूरतेहाल है उसको हम बराबर देख रहे हैं और जैसा कि अभी मैंने एक सवाल के जवाब में अर्ज किया था, हम ७, ८ पूर्वी जिलों के कलेक्टरों की एक कांफ्रेंस यहां बुला रहे हैं, उसमें जो और कोई बात होगी, उसके मुताल्लिक फिर से बात करेंगे और जितनी जनता की तकलीफें हैं और जहमतें हैं उनको बराबर दूर करने की कोशिश करेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने नियम १७२ के अधिकारों का प्रयोग कर हमको इस बात का अवसर दिया कि हम इस महत्वपूर्ण खाद्य सम्बन्धी प्रश्न पर विचार कर सकें। माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य सारे प्रदेश की अन्न स्थिति से सम्बन्ध रखता है। चूंकि हमें स्पष्टतः मालूम नहीं हो सका था कि माननीय मन्त्री जी का वक्तव्य केवल पहाड़ी इलाकों के लिए ही होगा या सारे प्रदेश भर के लिए होगा, इस शंका का समाधान न होने के कारण मैं उस रीति से तैयार नहीं हो सका जिस रीति से माननीय मन्त्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है। लेकिन जब माननीय गेंदासिंह जैसे अभाव-ग्रस्त पूर्वी जिलों के नेता यहां मौजूद हैं तो मुझे आशा है कि वह अपने वक्तव्य में वहां की स्थिति पर अवश्य प्रकाश डालेंगे।

इस समय मेरा मुख्य दायित्व अपने उस कामरोको प्रस्ताव से सम्बन्धित विषय पर सदन का ध्याना दिलाना है जिसके आधार पर आज यह विवाद संभव हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों की खाद्यान्न सम्बन्धी स्थिति पर शायद आज यह पहला वाद-विवाद है। पिछले पांच वर्षों से मैं भी इस सदन में उपस्थित हूं। मैंने भी प्रश्न किये हैं और इस बात की चेष्टा की है कि जो वहां का संकट है उसके सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, यदि अतिशयोक्ति न की जाय तो कहा जा सकता है कि हालत बहुत संकटपूर्ण है। लेकिन आज ऐसी गम्भीर परिस्थिति वहां पर आ गयी है, जिस के कारण विवश होकर मुझे वहां की विशेष समस्या की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि १२ महीनों में ४ महीने की फसल वहां पर पैदा होती है। रबी और खरीफ को मिलाकर केवल चार महीने के लिए वहां पर अनाज पैदा होता है। इस बात को माननीय मन्त्री जी ने स्वयं ही कहा है। अब आप इसकी कल्पना करें कि पिछले कई वर्षों से यह स्थिति वहां पर चली आ रही है। जहां पर ८ महीने के लिए गल्ला बाहर से भेजने की आवश्यकता पड़ती हो और कई वर्षों से लगातार वह अभाव-ग्रस्त क्षेत्र रहा हो और फिर वहां पर ३ साल से ओला, बाढ़ के कारण जो ४ मास के लिए फसल होती है, वह भी न हो, तो इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उन पर्वतीय क्षेत्रों में कितना गम्भीर संकट उपस्थित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं करूं तो वहां पर लोग घास खाकर केवल कन्दमूल फल खाकर अभी तक जीवित हैं। मैं आपकी आज्ञा से उनके नाम पढ़ देना चाहता हूं जो लगातार गेहूं, जौ और अन्य अनाज की बात तो छोड़ दीजिये--केवल घासों को खाकर लोग जिन्दा हैं। ये घास हैं तिमला, बेरू, हेटाघास, बथमसा सेकानी, लंगेरू, सिसना, बुरोसका फूल, पांगर आदि-आदि घास कन्द मूल फल खाकर लोग वहां पर जीवित हैं। बलमरा घास एक जहरीली घास होती है। और अल्मोड़ा जिले की पट्टी गौरी फाट में एक हरिजन महिला बलमरा घास के खाने के कारण मौत का शिकार हो गयी। स्वामी भगवान सिंह जो इस विवाद को सुनने के लिए खास तौर से यहां पर आये हैं, वह इस बात के साक्षी हैं, कि बलमरा घास खाने के कारण वहां पर महिला की मौत हुई है और अनेक व्यक्ति इस घास को खाने के कारण पीड़ित हैं।

गढ़वाल जिले में मल्ला कालीफाट की भी हालत खराब है। कर्मभूमि में जो समाचार छपा है उस के अनुसार भी उसी गांव के पूर्वी क्षेत्र में एक महिला की मृत्यु हुई है जो भूख के कारण हुई है। यह पत्र कांग्रेस नीति का पोषक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वह किसी विरोधी दल की ओर से बात कही गयी हो। यह दो उदाहरण मैंने वहां की परिस्थिति के विषय में सदन के सामने उपस्थित किये।

माननीय मन्त्री जी ने कुछ हवाई जहाज का जिक्र किया, जो कि अन्न वहां पर हवाई जहाजों से गिराया गया। सरकार की ओर से जो बुलेटिन निकलता है वह भी मेरे पास है और इसके विषय में अखबारों में जो समाचार छपे, हैं वे मुझे मालूम हैं। उनमें कहा गया है कि १५० मन गेहूं वहां पर हवाई जहाज से गिराया गया और उसी को वहां पर बांटा गया। अब आप समझें कि १५० मन गल्ले का अर्थ हुआ ६,००० सेर और उस ६ हजार सेर को आपने मुफ्त बांटा। एक सेर यदि प्रति व्यक्ति को दिया गया तो कुल ६ हजार आदमियों को खाने का राशन बांटा गया। तो जहां पर १२ लाख आदमियों का प्रश्न हो और वह अल्मोड़ा से लेकर टेहरी गढ़वाल तक जनता का प्रश्न हो, तो फिर सरकार किस प्रकार यह कह सकती है कि जो कुछ सरकार को करना था वह किया ? यह मेरी समझ में नहीं आता है। आपने हवाई जहाज से जो अन्न गिराया, उसके बारे में शेर सिंह जी जो खबर लाये हैं उसके अनुसार बहुत सा अन्न नष्ट भी हुआ। हवाई जहाजों का निशाना ठीक नहीं बनाया गया। वह कहीं चट्टानों में गिरा जो इधर उधर बिखर गया। वह भी ठीक से नहीं पहुंच पाया। जो पहले पहल डाला गया था।

इस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना बड़ा वहां पर अन्न संकट है, लेकिन सन् १९४७ से लेकर आज तक कोई डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर वहां नहीं गया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह भी जरा अपनी सूचना की पुष्टि करे कि क्या सन् १९४७ से आज तक कोई ऐसा अधिकारी वहां दौरे पर गया है ? सन् १९४६ में कोई अंग्रेज, जिनका नाम शायद विमसन साहब था, वह गये थे, उसके बाद आज तक सन् १९४७ से कोई नहीं गया है। बागेश्वर मोटर स्टैन्ड से कुल ५२ मील है। मुनशहरी में अनाज डालने को हवाई जहाज से डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर भी नहीं गये। पटवारियों के मारफत वहां की सूचना मिलती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर श्री साही सिंह और जवाल सिंह लेख निकालते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बड़े से बड़े अफसर भी वहां नहीं जावें, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है ?

हवाई जहाज से गेहूं डालने की नौबत आयी, इसकी भी एक कहानी है। मंत्री जी कहते हैं कि वहां ट्रांस्पोर्ट को सबसीडाइज्ड करते हैं। मेरी सूचना उसके विपरीत है। कुल ५ रु० ३ आने मुंशियारी तक गेहूं ले जाने का किराया सरकार देती है और इतना ही वहां की कोआपरेटिव सोसायटी दे और वहां पर २ रुपये सेर भी गेहूं वह बेचे। ३, ४ महीने तक लगातार आधिकारियों से कहा जाता है कि आप पूरा सबसीडाइज करिये ? मगर कोई

लाभ नहीं। कहा गया कि सवा तीन आने से चार आने कर दीजिये लेकिन वह नहीं हुआ। मुंशियारी, दानपुर और भारतूला के इलाके में सामान घोड़ों के जरिये से भी नहीं गया। तो वहां घास खाने की और अकाल की नौबत आयी। फिर सरकार कहती है कि डेढ़ लाख मन अनाज का उसने वहां पर स्टाक कर दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि उसने कभी वहां के लोगों की परचेंजिंग पावर जानने की कोशिश की है? वह आज समाप्त प्रायः हो गयी है। जो कुछ थोड़ा बहुत खरीदा है वह भेड़, गाय, भैंस, जमीन बेचकर और जेवर वगैरह गिरवी रखकर खरीदा है। तिब्बत से व्यापार बन्द हो गया। वहां से ऊन लाते थे और नमक ले जाते थे। इसी प्रकार चीन से उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है। तिब्बत से घटता जा रहा है। नैपाल से भी अनाज वहां बहुत कम आया। अब वहां पर व्यापार का कोई साधन नहीं है। घरेलू उद्योग धंधे कोई नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपया वहां मोटर सड़क बनाने के लिए स्वीकृत किया, लेकिन श्रीमान् के इलाके में यानी कमकोट से तेजम तक सड़क नहीं बनी है। बार्डर एरिया की सड़क नहीं बनी। टैस्ट वर्क भी आज तक जवार के इलाके में कोई नहीं खोला है। माननीय मन्त्री जी बतलायें कि मुंशियारी और जवार के इलाके में कोई टेस्ट वर्क खुला है? कोई नहीं। वारामंडल में ३ साल पहले टेस्ट वर्क खुला था जिसका जिक्र किया गया। हो सकता है कि आज इस विवाद की वजह से फाइल पर कुछ आर्डर कर दिये गये हों, तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वारामंडल में ३ साल पहले टेस्ट वर्क खोला गया था। मल्ला दानपुर में शायद आज खोलने का आर्डर हो गया हो। इसी कारण से आज पहाड़ों से हजारों की तादाद में लोग नीचे आ रहे हैं, तराई भावर में आ रहे हैं।

यह समस्या इतनी बड़ी है कि सदन के सब माननीय सदस्यों को बिना किसी पक्षपात के विचार करना चाहिए। उनके पास खाना नहीं है, वस्त्र नहीं है, उन्होंने अपने जेवर भी बेच दिये हैं। एक तो वहां की जमीन केवल ४ महीने ही रहती है। वह भी समाप्त हो गई तो लुटे पिटे से वहां से इधर उधर दौड़ रहे हैं और हल्द्वानी, टनकपुर, कोटद्वार, हरिद्वार आदि रेल ट्रैकों पर लोग आ रहे हैं। खाली हल्द्वानी तहसील में २ हजार ऐसे परिवार हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं। और इस पर भी मन्त्री जी नाराज थे कि वे बिना आर्डर लिये वहां बैठ गये। उनका गुस्सा जायज था, वह कानूनी गुस्सा था, लेकिन यदि मानवता से प्रेरित होकर वे इस बात को सोचते तो उन्हें मालूम होता कि वे अकाल और भूख के मारे लोग हैं। पहाड़ों में तो एक मसल है कि भेड़ भी पहाड़ को नहीं छोड़ती। जहां इस प्रकार की कोई कहावत प्रचलित हो, वहां के लोग अगर अपने पहाड़ों को छोड़ते हैं तो केवल भूख से मजबूर होकर ही। हजारों इन्सान पेट की भूख से इधर उधर भटक रहे हैं। सेक्रेटेरियट में जितने चपरासी हैं, रेस्टोरेंट्स में, दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई आदि नगरों में जो बरतन मलने वाले लोग हैं वे वही लोग हैं जो पहाड़ी कहलाते हैं। वहां मालूम पड़ेगा कि कौन सा एरिया अकालग्रस्त है। श्रीमन्, ये सब कहते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है, लेकिन वहां की परिस्थिति मुझे यह सब कहने के लिए मजबूर कर रही है।

इसके साथ ही साथ आप यह भी देखें कि जो दुकानें खोली गयी हैं वे अकाल-ग्रस्त इलाक में कहां हैं। एक मुंशियारी में और दूसरी धारचुला में। मुंशियारी इलाके में बहुत से केन्द्र हैं, जहां पर दुकाने खोली जानी चाहिए थी—

(१) राखी, (२) मदकोट, शेर, गोटी, कुर्फू, क्वीटी, नाचनी, जौहर, बांसबगड़, तेजम, बरममल्ला, अस्कोट, बरुआकोट, खैला, शौशा, सिर्खा, गुंजी, और नार्गालिग।

मुंशियारी तो बाजार है ही। वहां आपने दुकान खोली है। वहां के बीस-बीस मील के अन्तर्गत दुकानें नहीं हैं। डी० एम० साहब वहां दौरे में गये नहीं, फिर दुकानें कहां खुलतीं। यह तो सब कागजी कार्यवाही हुई।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन चेतावनी के शब्द दुहराना चाहता हूं। आपका सीमान्त संकट में है। हमारे प्रदेश का वह भाग जो कि अपनी सुन्दरता के लिए, अपने सौन्दर्य के लिए, अपने हिमपात के लिए, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए, कैलाश और मानसरोवर के लिए, प्रसिद्ध है, वह क्षेत्र आज प्रपीड़ित है। आज आप टैनसिंह का नाम जानते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा आप करते हैं, उसको फूलों की घाटी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन आज वही फूलों की घाटी में रहने वाले मानव भूखे पेट हैं, आज उनको खाने के लाले हैं। हां, यदि आज सरकार उनकी ओर पर्याप्त रूप से ध्यान दे, वहां टेस्ट वर्क्स खोले, तकावी दे, सड़कें बनवाये, और तराई भाबर में भूमि देकर वहां की समस्या को हल करे तो ही उनकी भलाई हो सकती है। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी भारी चेतावनी है, पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के लिए ही नहीं परन्तु उत्तर प्रदेश का हित चाहने वाले प्रत्येक प्रतिनिधि का यह कर्त्तव्य है कि इस गम्भीर समस्या पर सोचें और वहां की जनता पर जो संकट आया है, उसको हल करने का प्रयत्न करें। याद रखें, श्रीमन्, कि केवल हिमालय ही हमारा प्रहरी नहीं है। लेपुलेट घाटी, नाकोरमान घाटी और नीति दर्रा ही हमारा प्रहरी नहीं है। बल्कि हिमालय की छत्रछाया में रहने वाले जो वहां के नागरिक हैं वे भी वहां के प्रहरी हैं और वहां के बहुत से लोग प्रपीड़ित हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है। केवल १५० मन गेहूं गिरा देने से नहीं, केवल १५० मन गेहूं मुफ्त बांट कर नहीं, केवल मोटर रोड के आस-पास के इलाकों में दौरा करके नहीं, बल्कि वहां की बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई विशेष कार्य करने की जरूरत है जिससे वहां के लोगों को भूखों मरने से बचाया जा सके।

श्रीमन्, मैं सरकार की आलोचना क्या करूं, मैं नैनीताल के बारे में ही बतलाना चाहता हूं कि मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य और दुख हुआ कि जहां तक दुकानें कुमायूं प्रदेश में खोलने की बात है, लोगों को मालूम तक नहीं कि नैनीताल पहाड़ी प्रदेश के अन्दर ही है। नैनीताल तहसील में एक भी फेयर प्राइस शाप नहीं खोली गयी है। दुकानें केवल हल्द्वानी, भुवाली, नैनीताल और भीमताल में ही खोली गयी हैं, जबकि बैतालघाट, जैसुड़ा, खनसूं, खिसजुला और चौगढ़ में भी खोलना चाहिए था। माननीय मन्त्री जी कह सकते हैं कि तुमने भाषण दे दिया इस लिए भाव बढ़ जायगा लेकिन भाव बढ़ने के लिए क्या सत्य बात को कहा भी नहीं जा सकता है? अगर इससे कीमत में कोई फर्क आता है तो वह अपेक्षित भी नहीं है। इस संक्षिप्त निवेदन के बाद मुझे आशा है कि सदन और सरकार हमारे पर्वतीय क्षेत्र की इस समस्या की ओर वास्तविक और गम्भीरता के साथ ध्यान देने की कृपा करेगी।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—मैं चाहता हूं कि इसके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया जाय क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—श्री त्रिलोकीसिंह जी, आप की क्या राय है कि समय निश्चित कर दिया जाय?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो घंटे का समय जो इस विवाद के लिए रक्खा गया है वह कम होगा, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर कुछ समय बढ़ा दें, तो अच्छा होगा और साथ ही साथ अधिष्ठाता द्वारा माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि जितनी बातें आवश्यक हों, बजाय इसके कि सदन कोई समय नियत करे, वे स्वयं अपनी बात इतने समय में कहें कि उनकी बात भी कह दी जाय और किसी दूसरे सदस्य को अपनी बात कहने में भी असुविधा न हो।

श्री अधिष्ठाता—आपके कहने का अर्थ यह है कि आप चाहते हैं कि किसी सदस्य को बोलने के लिए कोई समय न निश्चित किया जाय?

श्री त्रिलोकीसिंह—जी हां।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका और इस सदन का आभारी हूं कि आपने आज पहाड़ी इलाके की लाखों गरीब जनता और भूखी जनता को अपनी आवाज, उसके प्रतिनिधियों द्वारा सदन के सामने और इस सरकार के सामने व्यक्त करने की इजाजत दी। जहां तक समय का सम्बन्ध है, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान जो पहला टाइम टेबिल छपा है, उसकी ओर से दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि प्रश्नोत्तर की समाप्ति के उपरान्त अन्न मन्त्री जी पहाड़ी जिलों विशेषकर अल्मोड़ा जिले की खाद्य परिस्थिति पर वक्तव्य देंगे। इससे यह जाहिर सी बात है कि अल्मोड़ा जिले की खाद्य स्थिति इतनी बिगड़ गयी है कि केवल उसके लिए सरकार ने समय निर्धारित किया था और अब तक अल्मोड़ा जिले का कोई प्रतिनिधि नहीं बोला है। इसलिए मैं चाहता हूं और सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम अल्मोड़ा जिले के प्रतिनिधियों पर समय की पाबन्दी इतनी ज्यादा न बरती जाय।

मैं आप सबका आभारी हूं, सदन का और आपके द्वारा सरकार का भी, कि अब तक वह इतना तो कर पायी है कि वहां की जनता अधिक संख्या में भूखों नहीं मर सकी है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री नारायणदत्त जी ने फरमाया कि बरनियां गांव में किसी औरत की मृत्यु हो गयी, किसी जहरीली घास के खा लेने से, मुझे तो यहां तक मालूम हुआ है कि जहरीली घास ही नहीं बल्कि पेड़ों की पत्तियां और छाल तक लोग खा रहे हैं, उसी के आसपास दो अन्य लोगों की भी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि केवल भुखमरी से ही उनकी मृत्यु हुई है, परन्तु यह निश्चित है कि बहुत अरसे से वह घास पत्तियां खा रहे थे। पट्टी मल्ला द्वानपुर में भी दो मौतों का होना बताया जाता है, उन के बारे में भी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वह भुखमरी से हुई हैं, लेकिन वे भी घास खा रहे थे और इस का अन्दाजा तो सदन खुद लगा सकता है कि मृत्यु का कारण क्या रहा होगा।

श्रीमन्, इतनी भयंकर और विकट परिस्थिति पहाड़ों के सामने पैदा हो गयी है कि वहां के लोग अपना घर, सामान, जेवर, जमीन, गाय, बैल,—वह बैल जो केवल कांग्रेस पार्टी का निशान ही नहीं हैं या जो केवल महादेव जी का सिंहासन ही नहीं है, बल्कि वह जो किसान के सर्वस्व हैं और उसके जीवन मरण के साथी हैं, जिनके द्वारा वह अपनी उदरपूर्ति करता है, उन जिन्दगी के साथियों को उसे सदा के लिए विदा करना पड़ा और जब इतने से उसका पेट नहीं भरा तो वहां के किसान हजारों की तादाद में अपनी मातृभूमि को, अपने वतन को छोड़कर (पहाड़ को छोड़कर) भगवान के सहारे, रोटी के टुकड़ों के लिए दर-दर ठोकरें खाते फिरे और जैसा कि श्री नारायणदत्त जी ने कहा कि वहां के ५०० परिवार धिमरी ब्लाक, रुद्रपुर में आकर बसे और वहां बसने से पहले ही उन्होंने वहां के अधिकारियों के पास पत्र भेजे और प्रार्थना-पत्र दिये कि हमें रहने की जगह दी जाय। हम १५ दिन तक इन्तजार करेंगे, उसके बाद हम कहीं रहने लगेंगे। उन्होंने उन लोगों की तरह काम नहीं किया कि जो सामान्य परिस्थिति में भी कानून को हाथ में लेते हैं। उनके सामने यद्यपि परेशानी थी, उनका सर्वस्व लुट चुका था, उन के खेती के सहारे वे मवेशी, उनके वह जेवर जिनको उन्होंने विवाह बन्धन के समय बड़े प्रेम के साथ अपनी औरतों को पहिनाया था, अपने ही हाथ से उन्होंने उनको उतार कर दे दिया। सर्वस्व उनका लुट गया, केवल आसमान का साया उनके ऊपर रह गया। वह भयभीत से ठोकरें खाते, गिरते, पड़ते, जरा से साये के लिए माननीय मन्त्री जी के पास गये, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी, कोई जगह उनको नहीं दी गयी। आखिरकार उन्होंने सिर छिपाने के लिए फूस की झोंपड़ियां डालीं, न उन्होंने कोई सरकार के जंगलों का नुकसान किया और न कोई जमीन खोदी। महज इस मुसीबत में उन्होंने झोंपड़ियों में सिर छिपा कर, मजदूरी कर के पेट भरने का इरादा किया, ऐसा हो सकता था कि वे किसी खराब पेशे की तरफ उतरते, लेकिन उन्होंने ऐसा मुनासिब नहीं समझा, वह भारतीय संस्कृति के मानने वाले हैं। उन्होंने भीख मांगना मुनासिब नहीं समझा और मजदूरी कर के पेट पाला।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

उसके बाद उन के कुछ प्रतिनिधि यहां आये और मुझे पता लगा है कि कांग्रेसी सदस्य श्री लक्षमणदत्त भट्ट से भी मिले और वे उन के द्वारा माननीय माल मंत्री जी के पास भी गये थे । पहले तो माननीय माल मंत्री जी ने कानूनी अंकुश उनको दिखाया कि जबरदस्ती कब्जा क्यों कर लिया लेकिन उन की परिस्थिति, चूंकि विषम, भयंकर और नाजुक थी, उन के लिये सिवा इसके कोई चारा नहीं था आखिर उनको भी जिन्दा रहने का अधिकार है, आखिर मंगलमय और कल्याणकारी राज्य बड़े-बड़े चित्र हमारे रखे जाते हैं, लेकिन हजारों आदमी भूखों मर जायं और दर-दर की ठोकरें खाते फिरें, यह किसी भी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं हो सकती। श्रीमन्, इस के अलावा वहां हालत यहां तक खराब हो चुकी है कि उन इलाके के लोग जैसा हमारे मंत्री जी ने पहले से ही सदन के सामने कहा कि साल में चार महीने भर का मामूली समय में वहां गल्ला पैदा होता है । अब यहां असाधारण परिस्थिति कई वर्षों से चली आ रही है । इस साल वहां पहले से गल्ले की कमी थी, लेकिन पहले से वहां कोई इन्तजाम नहीं किया गया । वहां उत्तरायणी के अवसर पर बागेश्वर में मेला लगता है जिस में भोटिया लोग, जो एक जगह नहीं रहा करते बल्कि भेड़ और बकरियों पर सामान ढो कर लाते और ले जाते हैं, उनकी तरफ से और वहां की सोसाइटी की तरफ से यह अर्ज की गई थी कि बागेश्वर के लोगों को गल्ला दिया जाय और वहां से वितरण हो, ताकि बर्फ पड़ने से पहले वक्त पर अनाज पहुंच जाय । लेकिन कोई तवज्जह नहीं दी गयी । लाल फीता इतना लम्बा हो गया है । बागेश्वर में, छोटे-छोटे लादों में, भेड़ों, बकरियों, खच्चरों और गदहों में अन्न ले जाया जा सकता था, लेकिन वह नहीं हुआ । वहां कैफियत यह है कि काला मुनी और सामा पहाड़ों में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि नौ दिन के बाद सरकारी डाक पहुंची । सरकारी डाक, जिस के ले जाने की बहुत कोशिश की जाती है, बहुत रिस्क और खर्चा किया जाता है जब वहीं तक नहीं जा सकी तो गल्ला कैसे जा सकता है ? यह उन को एंटिसिपेट करना चाहिये था । जब कि वहां हर साल गल्ला कम होता है, तो असाधारण परिस्थिति में भी क्या वजह है कि गल्ला वहां नहीं पहुंचाया गया ?

श्रीमन्, इस वर्ष ओला या असामयिक वृष्टि से यह सब कुछ हुआ है । लेकिन पहाड़ में जैसा कि मंत्री जी ने कहा बहुत कम गल्ला पैदा होता है । यह चीज रोज की है । वहां दशा यह है कि जमीन की बहुत कमी है । लोग बहुत बढ़ गये हैं । पहाड़ की ७५ फीसदी जोतें एक एकड़ या उससे कम की हैं । मैंने जमींदारी इन्क्वायरी की रिपोर्ट पढ़ी । उसमें हमारे माल मंत्री जी, चौधरी चरण सिंह भी एक सदस्य थे और पं० गोविन्दवल्लभ पन्त और दूसरे लोग भी थे । उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि यू० पी० में दस एकड़ की जोत इकोनायिक कही जा सकती है । पहाड़ की ज्यादा जमीन पथरीली और एकदम ढलवां है । वहां पर एक एकड़ तक की जोत बहुत मुश्किल से होती है । इसलिये रोज गल्ले की कमी रहती है । पहाड़ की जमीन ज्यादातर पथरीली है और बन हैं । इसलिये वहां यह थोड़ी सी जमीन जो बाकी रह जाती है उसके चप्पे-चप्पे पर खेती कर ली गई है, लेकिन फिर भी पूरी नहीं पड़ती ।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान और सदन का ध्यान, बड़ी विनम्रतापूर्वक इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं, वह कोई राजनैतिक सवाल नहीं है, यह भूखों का रोना है । यह तड़पती हुई आत्माओं का, जिनको पेट की खाल रीढ़ की हड्डी से मिल गयी है, उनका आर्तनाद आपको सुना रहा हूं । यह चीज हर साल होती है । एक बार गल्ला हवाई जहाज से फेंकने से या कुछ मदद दे देने से जैसी कि २८ हजार तक की सूचना, सूचना अधिकारी ने दी है, वहां की परिस्थिति का हल नहीं हो सकता । बार-बार यह प्रश्न आता है । हम यहां पर आते हैं, हाथ पसारते हैं, उस समय उनको ठुकराया और दुरदुराया जाता है । बल्कि यह भावना पहाड़ में फैलने लगी है कि हमें इस तरह से ठुकराया जाता है, नौकरियों के दरवाजे हमारे लिये बन्द हैं, हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने अपने प्रभाव से, अपने किन्हीं रिश्तेदारों को कहीं रखा हो, लेकिन इसकी सजा क्या सारे पहाड़ को दी जायेगी ? सारे

पहाड़ में नौकरियों के द्वार महज इस लिये बन्द हो जायेंगे ? जब हम आज गल्ला मांगने आते हैं या जमीन को मांगने के लिये आते हैं तो कह दिया जाता है कि अभी तो और लोग भी भूखे मर रहे हैं, पहाड़ की ही समस्या नहीं है ।

इसका रिएक्शन होना लाजमी है । इस का रिएक्शन (प्रतिक्रिया) यह होता जा रहा है कि कुमायूं में यह आवाज उठी थी कि हमारा प्रान्त अलग कर दिया जाय और हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं । अगर आप हमें अपने साथ नहीं रख सकते तो यह पृथकीकरण की भावना इन बातों से उत्पन्न होती है । हम में भी आत्मसम्मान है । हमारे भी दिलों को ठेस लगती है । तो ऐसी बातें उच्च अधिकारी अगर करें, बहुत ऊंचे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा , तो अफ़सोस होता है । मैं एक रोना आपके सामने रो रहा हूं । तो मतलब यह है कि रोज, रोज कब तक हम लोग भीख मांगें । इसका तो एक मुकम्मल हल निकल आना चाहिये, उसको मैं थोड़े से शब्दों में आपके सामने अर्ज कर दूं ।

तराई और भावर का इलाका जो हरिद्वार से लेकर टनकपुर के नीचे तक का है, इस पर हमेशा कुमांयू और गढ़वाल के लोगों का हक रहा है । उन के रहने के मकानों के ध्वंसावशेष आज भी मौजूद हैं, इस के अलावा वहां मूलों के निशानात मौजूद हैं । फ़लों के पेड़ों के बगीचे भी मौजूद हैं । हम अपना हक मांगते हैं कि हरिद्वार से लेकर टनकपुर की जमीन ६ मील की चौड़ी पट्टी पर वहां के लोगों को आबाद किया जाय ताकि रोज , रोज हम सरकार को इस बात की तकलीफ़ न दें, और सरकार भी हम को अन्न थोड़ा देकर ऐहसान किया हुआ न समझे ।

दूसरा हल यह है कि वहां भू-गर्भ सर्वेक्षण सही माने में कराया जाय । भू-गर्भ सर्वेक्षण की बात सदन में भी चली और महामान्य राज्यपाल ने भी इसका अपने अभिभाषण में जिक्र किया था । वर्षों से हम भी सुन रहे हैं । कभी कभी अखबारों में भी पढ़ लिया करते हैं । लेकिन न मालूम यह सर्वेक्षण कब तक चलता रहेगा । भू-गर्भ सर्वेक्षण की बात कही जाती है । यह कहा जाता है कि शीशा, लोहा, ताम्बा सब कुछ मिल गया है । हिन्दुस्तान में एक दम लोहे की कमी है , तांबे की कमी है और कई ऐसे महत्व पूर्ण पदार्थ हैं जो शीशे के साथ निकलते हैं जैसे यूरेनियम निकलता है, जिससे आजकल सारी दुनिया की ताकत को नापा जा सकता है , यद्यपि हम अपने यहां उस का हिंसात्मक रूप से प्रयोग नहीं करेंगे । खैर जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि इन खदानों का काम तुरन्त आरम्भ किया जाय । होता अभी तक यह है कि साहब यहां से कार में गये , ४ , ५ दिन ठंडी हवा खायी, कुछ फोटो वगैरह खींची और रिपोर्ट दे दी, थोड़ा सा खोद खाद कर । मैं हर अधिकारी के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाता । लेकिन काफी अंश में यह बात सत्य है । तो मैं अर्ज करूं कि यू० पी० के अन्य भागों में इन मिनरल्स के मिलने की सम्भावना नहीं है , पहाड़ में मिल सकते हैं । पहाड़ में एक शब्द अगर है (जो आकार का अपभ्रंश है) जिस के माने खान के है यह उन जगहों पर होता है, जहां अंग्रेजों के आने के पहले लोहे और तांबे का काम होता था । मगर अंग्रेजों को यह गवारा तक नहीं था कि हिन्दुस्तान में तांबा या ऐसी चीजें निकलें जिस से उन को नुक्सान हो ।.....

श्री अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह खाद्य के विषय पर आ जांय तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि समय कम है और बहुत से सदस्य बोलना चाहेंगे ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--यह सब बातें उसी से सम्बन्धित हैं । मेरे कहने का मतलब यही है कि आप करोड़ों, अरबों मन गल्ला पहाड़ों पर दें लेकिन अगर उन की जेब में पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे कैसे ? तो मैं इस भीख मांगने की समस्या को दूर करने के तरीके ही बयान कर रहा था, जो हर साल एक समस्या पैदा हो जाती है । हमें वहां की आर्थिक अवस्था को सुधारना चाहिये , कुछ वहां का स्टेटस ऊंचा हो, लोगों के पास पैसा हो । यह जरूरी है मनियागर, रामगढ़, रांई आगर, शीशाखाणी, पट्टी खरही में लोहा और तांबा है और इसी तरह खारबगड़ आदि एक आध स्थान है जहां गंधक वगैरह पाया जाता है । उस की जांच हो जाय । उससे न हमको केवल मजदूरी ही मिलेगी, बल्कि इन मिनरल्स से सारे देश की तरक्की होगी । इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ायेगा ।

[श्री गोविन्द सिंह बिष्ट]

मैं अर्ज यह कर रहा था कि कि जिस रफ्तार से सरकार चल रही है उस रफ्तार से अब काम नहीं चलेगा। बैलगाड़ी की रफ्तार रही है, इसमें स्टीम इंजन लगाने की जरूरत है ।

दूसरी बात यह कही गई है कि १५० मन गेहूं पहुंचाया गया । मंत्री जी अपने मुखा विन्द से जो शब्द कहें उन को मैं कैसे कह सकता हूं कि वे गलत हैं ? हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं मरेगा । माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने उस परिपाटी और मर्यादा को बनाये रखने के लिये दुबारा वचन दिया था और आज कुछ ऐसी बातें सुनायी पड़ रही हैं कि शायद कुछ आदमी भूख से मर गये । माननीय मुख्य मंत्री के दिये गये वचन के उपरान्त मैं तो नहीं कह सकता कोई भूख से मर गया जब तक कि इस बात की पुष्टि न हो। जितना आपने पहाड़ के लिये किया है, मैं तहे दिल से उसके के लिये आपका शुक्रिया अदा करता हूं और पहाड़ की मूक जनता की तरफ से उसका अदना प्रतिनिधि होने की हैसियत से, मैं आप के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन , श्रीमन्, यह तो ऊंट के मुह में जीरे के समान है। लाखों प्राणियों की मौत व जिन्दगी का सवाल है। हजारों लोग घरबार छोड़ कर चले गये । १५० मन गेंहूं में अगर एक एक दाना बांटा जाता तो भी हर एक को पूरा नहीं पड़ता । इसलिये कहा गया है भूखे भजन न होय गोपाला । जो आश्वाशन मंत्री जी ने दिया है उसके लिये तो मैं उन का आभारी हूं और आशा करता हूं कि जल्दी ही वह अपने आश्वाशन को कार्यान्वित कर देंगे ।

लमगड़ा-मौरनौली, छड़ौज दोडरम, की सड़क पर टेस्ट वर्क चलते थे, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि वह टेस्ट वर्क उतने दिन तक ही महदूद रहे जब तक कि वहां के निर्वाचन का परिणाम घोषित नहीं कर दिया गया । मार्च में चुनावों का परिणाम घोषित किया गया, कांग्रेसी कैंडिडेट हार गया तो वे टेस्ट वर्क ठप्प हो गये । यहां तक शोहरत कांग्रेस की तरफ से हुई कि टेस्ट वर्क कांग्रेस वाला ही चला सकता है, दूसरे की हिम्मत नहीं है । बीज गोदाम लमगड़ा मल्लाह लखनपुर , व बाड़े छिना तल्ला लखनपुर में खोले गये थे, जिन्होंने लोगों की बहुत सेवा की । आलू और कृषि के दूसरे बीज वहां मिलते थे जिनके पास पैसा नहीं होता था उधार ले जाते थे । लेकिन वे बीज गोदाम यकायक तोड़ दिये गये । उनका भी टूटना इलेक्शन के साथ साथ (साइमलटेनियस्ली) हुआ । मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि जो कुछ किया गया उसके लिये मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन यह कुछ भी नहीं है । अगर कुछ किया नहीं गया तो न जाने कितने प्राणी भूख से मर जायेंगे । सरकार ने जो भीष्म प्रतिज्ञा की थी और हमको अभय बरदान चिरंजीव रखने के लिये दिया था वह टूट जायगा । इस लिये आप से प्रार्थना करता हूं कि अपनी बाणी को सफल बनाने के लिये लमगड़ा-मौरनौली, लमगड़ा से छड़ौछ हो कर दौड़रम, बाड़ेछीना धौलछीना टैस्टवर्क खोलकर मोटर मार्ग बनाया जाय । कपकोट (दानपुर) से फुलभड़ी करनी-बदिया कोट और मुसियारी सड़कों पर भी टेस्ट वर्क्स खोले जांय । आपको महज गेहूं देने से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये । गेहूं खरीदने के लिये पैसा भी रहे, यह जरूरी है । आवश्यकता इस बात की है कि इस समय सरकार अधिकाधिक गल्ला मुफ्त वितरण करे । यह जो पिछले दिनों इस सदन के सदस्यों ने अन्दाजा किया होगा, कि टेम्प्रेचर घट गया है ३ डिग्री सेंटी ग्रेड के हिसाब से यह घटा करता रहा है , तब हमारे जिलों में दो तीन मर्तबा मोटा ओला पड़ा । यानी यह ठंडक यहां की नहीं है । पहाड़ों पर इस समय फसल कट रही है, लेकिन इसके ऊपर धड़-धड़ ओला पड़ रहा है । तो अर्ज यह है कि वहां टेस्ट वर्क जारी रखे जांय, धरती भी खेती के लिये बढाई जाय और लगान की छूट देना बहुत जरूरी होगा। इन शब्दों के साथ मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा इस सदन से विनम्र निवेदन करूंगा कि इन भूखों के ऊपर कुछ रहम फर्माया जाय, वरना आपकी प्रतिज्ञा स्वत: भंग हो जायेगी ।

*श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)---आदरणीय अधिष्ठता महोदय, आज जो हमारे प्रान्त के सामने खाद्य समस्या उपस्थित है वह केवल पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बल्कि प्रान्त के अन्य हिस्सों तक बहुत फैली हुई है और विशेषतया मैं आपका ध्यान पूर्वी जिलों की तरफ ले जाना चाहता हूं।

आप यह जानते तो हैं कि हम स्वतंत्र तो हो गये, लेकिन भोजन के बारे में अभी स्वतंत्र नहीं हो पाये हैं। आज लगातार बाढ से, लगातार वर्षा से जो हमारी हालत हो रही है और सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि हमारे यहां जब कि कटाई हो रही है तब मोटे चावल का भाव ५५ रुपये मन और गेहूं का भाव २० रुपये मन है, मैं नहीं जानता कि प्रदेश के किन हिस्सों में भाव बाजारों में गल्ला आने की वजह से नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैंने तो देखा कि हमारे जो पिछड़े हुये जिले हैं वहां ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। इन चीजों के कारण केवल इतनी ही बात करने की आवश्यकता नहीं कि हमारे पास गल्ला है और गल्ले के भाव का मुकाबला कर लेंगे, बल्कि जब कि आपकी योजनायें कितने ही दिनों से चल रही हैं, आप कितने ही दिनों से कह रहे हैं कि हमारे प्रान्त में अन्न की वृद्धि हुई है, अन्न का उत्पादन बढ़ा है, उस के साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बराबर अन्न की कमी भी होती जा रही है। इसलिये इस बात की आवश्यकता होगी कि पंचवर्षीय योजना के नीचे, जो लोग इसे कार्यान्वित कर रहे हैं, उन को यह मान लेना चाहिये कि हम किसी जगह टेस्ट वर्क चलाते हैं, सब्सीडी के दूसरे कार्य चलते हैं, वह किन-किन के द्वारा चलाये जा रहे हैं और उनके प्रति हमारी क्या ड्यूटी है। यदि हम इस चीज को वार लेविल पर नहीं लेते हैं तो हमारी सारी योजनायें और पैसा खटाई में पड़ जायेगा, उससे हमारा कोई लाभ नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता---अब हम उठते हैं। लंच के बाद आप अपना भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठता, श्री बेचनराम गुप्त के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामजी सहाय---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पूर्वी जिलों में जो इस तरह से प्रायः प्रति वर्ष विपत्ति मंडराया करती है, उसका मुख्य कारण यह है कि इन जिलों का घनत्व प्रति वर्ग मील बहुत अधिक है और थोड़ी सी भी प्राकृतिक आपत्ति आती है या कोई व्यति-क्रम होता है तो यह जिले अपना संतुलन खो देते हैं। इसमें सरकार की स्थायी नीति होनी चाहिए और दूसरे कम आबादी वाले जिलों में बराबर सरकार को योजना-पूर्वक उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है कि वह वहां बसें।

दूसरी बात हमें भूमि सुधार की ओर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे देश में आज सर्वोदय दृष्टिकोण से बड़े आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है जो कि भूमि के बटवारे के बारे में है। लेकिन हमारे प्रान्त में चकबन्दी के सिद्धान्त को क्यों नहीं इस चकबन्दी के साथ कार्यान्वित किया जाता है? आज इसकी आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय सदस्य कहां तक मुझसे सहमत होंगे कि छोटे काश्तकार अर्थात शिकमी, अपने खेत को दूसरों को दे सकें। यदि आप ऐसा अधिकार दे सकें तो इससे बड़ा लाभ होगा। इस लिए कि छोटे-छोटे काश्तकार एक दो, बीघे भूमि रखते हैं। वह एक बैल नहीं रख सकते हैं। हल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास भूमि पर्याप्त नहीं है। इस लिए वह दूसरी जगह जाना चाहते हैं, लेकिन उन की भूमि का ममत्व और ममता रोक देती है। इस प्रकार से हमारे प्रान्त की जो एक शक्ति है, वह खेती है और उसी पर हम निर्भर करते हैं। इसमें आज बड़ा प्रतिरोध होता है, रुकावट पड़ती है। इसमें हमारे माननीय सदस्यों का और सरकार का परम पुनीत कर्त्तव्य है कि वह सोचें कि किस तरह से स्थायी योजना के साथ, इस प्रान्त के भोजन के आन्दोलन का जो प्रारम्भिक अवस्था में है, समाधान हो सकता है।

जो खादी का एक धंधा हम को दिया गया है उससे विपत्ति ग्रस्त लोगों को बड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन यह एक एसा विषय है जिसने आदमी को अविवेकशील बना दिया है। गांधी आश्रम ने जो एकाधिकार प्राप्त किया है और जो सब्सीडी राज्य सरकार की ओर से इसको

[श्री रामजी सहाय]

दी जाती है, मुझे बड़ा दुख है कि उसका दुरुपयोग होता है। जब ग्रामीण लोग अपना अपना सूत लेकर वहां जाते हैं तो वहां उनका १६ नम्बर और २० नम्बर का सूत, १२ नम्बर और १० नम्बर का कर दिया जाता है। मैंने स्वयं देखा है कि वहां ये ग्रामीण लोग दो, दो दिन तक अपना सूत बेचने के लिए पड़े रहते हैं। इस लिए एकाधिकार के नाम पर आप को यह भी करना चाहिए कि अन्य संस्थाओं को भी प्रोत्साहन दें कि वह आकर इस काम को करें। वह कोई एकाधिकार के नाम पर अपना राज्य स्थापित करें, ऐसा न हो, बल्कि यह चीज मिशनरी स्प्रिट से की जाय।

इसी प्रकार से श्रीमन्, मैं यह भी चाहता हूं कि जो नदियां वर्षा ऋतु में विनाश करती हैं, आज वह सृजन का भी कार्य कर सकती हैं। इसकी विपुल धनराशि है, इसलिए आप कोई योजना तैयार करें, जिस से लोग चना तथा मक्का की फसल ले सकें जो केवल ४५ दिनों में तैयार हो जाती है। इस प्रकार से आज स्थायी रूप से किसी हद तक हमारी दिक्कतें और कमी पूरी हो सकती हैं।

इसी प्रकार से आज हमें टेस्ट वर्क्स की भी जरूरत है और वे बहुत सी जगहों पर चल रहे हैं। हमने बहुत सी जगहों पर देखा है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जब हम उन के बारे में बतलाते हैं कि यह त्रुटियां हैं और आदमी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसका नतीजा यह होता है कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए सरकार जो यह काम करती है उसके साथ-साथ उसको इधर भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि क्या बात है ? जब हम सख्ती का नाम लेते हैं तो यह कल्पना होती है कि हम क्यों भ्रष्टाचार की कल्पना करें। इसी प्रकार से यदि हम अनुभव की बात करते हैं तो यह कहते हैं, यह स्थिति ऐसी है कि हम ऐसी स्थिति पैदा करते हैं। इससे लोगों के मस्तक में ऐसी भावना पैदा हो जायगी जो शासन के लिए अनुकूल नहीं पड़ेगी। लेकिन वास्तविकता यही है। यदि आप ने वास्तविकता को नहीं देखा तो उससे हमारी हानि हो सकती है।

श्रीमन्, सरकार ने कहा कि हम जिले के अधिकारियों को बुलायेंगे और उस में यह कार्य देखेंगे। यह अच्छी बात है। लेकिन मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप जिले के अधिकारियों को बुलायें, तो उसी वक्त जन-प्रतिनिधियों को भी बुलायें ताकि मैं अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर आप को सुझाव दे सकूं जो उपयोगी होंगे, क्योंकि ये जन-अधिकारी तो इधर से उधर बदलते रहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा जन-प्रतिनिधियों को पांच साल के बाद और वक्त बे वक्त सहना पड़ता है। इस लिए जन-प्रतिनिधि अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान इधर जाना चाहिए।

जब कि आज टैक्सों को छोड़ने की आवश्यकता थी, हम ने देखा कि हमारे जिले देवरिया में पारितोषिक दिया गया गांव पंचायत के टैक्सों की वसूलियाबी में। हमारी कमिश्नरी में मेरा जिला अव्वल आया था। आज इसी तरह से अगर यह कार्य करते रहेंगे और शासन को आंख बन्द करके चलने देंगे तो इसका परिणाम स्वयं आपके सामने आने वाला है। इसलिए इस दृष्टिकोण को बनाते हुए यदि हम जागरुक हो कर कार्य करेंगे तो ठीक होगा। यह ठीक है कि आपने दुकानें खोलीं। उस से तात्कालिक थोड़ा सा लाभ अवश्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी दुकानें आपने खोली हैं, उनकी संख्या को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप पंचायत अदालतों को एक इकाई मान लें। तब मैं समझता हूं कि चार या पांच मील का रेडिअस, जो भी पड़ता हो उसमें वे पर्याप्त होंगी। इस दृष्टि से अगर आप कार्य करेंगे तो तात्कालिक आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे ही और साथ ही साथ जो आगे की चीज हैं उन को भी पूरा करेंगे।

मैं ने उस दिन भी कहा था और कई बार सदन में भी कह चुका हूं कि जब मैंने ४०-४० आदमियों को देखा कि कार्य पर नहीं थे तो मैं रोता रह गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो लोग जनता के पैसे को लूटते हैं, उनको दण्ड क्यों नहीं दिया जाता है ? वह शासन नहीं

चल सकता है जो आततताइयों को दण्ड नहीं देता है। यह गांधी जी की युक्ति है। इस दृष्टि से भी हमें इस कार्य को लेना है।

इस सम्बन्ध में हमारे और माननीय मित्र अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। मैं समझता हूं कि जो हमारी तात्कालिक आवश्यकतायें हैं, जो थोड़ी हैं, उनको मैंने कुछ शब्दों में व्यक्त कर दिया। इसलिए मेरा केवल इतना ही निवेदन है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने यहां बैठे बैठे खाद्य मन्त्री जी का वक्तव्य बड़े गौर से सुना। और भी हमारे माननीय सदस्य जो पर्वतीय इलाके के हैं, उनके वक्तव्य भी पर्वतीय इलाकों की मुसीबतों के सम्बन्ध में सुने। मैं श्रीमन् के द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आज पूर्वी जिलों की जो हालत है ऐसी दर्दनाक हालत सम्भवत: दस वर्षों के अन्दर नहीं आयी। ये पूर्वी जिले जिनमें एक करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और बनारस इनकी जो दर्दनाक हालत हुई है इसका सबसे बड़ा कारण यहां की अतिवृष्टि, सूखा, बाढ़, वर्षा और कटाव रहे हैं। श्रीमन्, सरकारी रिपोर्ट को ही लीजिये। पूरे प्रदेश में जो सन् १९५० में बर्बादी हुई है, वह सरकारी रिपोर्ट में बतायी गयी है कि ७,००० गांव बाढ़-पीड़ित रहे। सन् १९५५ में उनकी संख्या २२,००० हो गयी। सन् १९५० में यदि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक २० लाख लोग प्रदेश में बाढ़-पीड़ित रहे तो सन् १९५५ में उनकी संख्या ८० लाख हो गयी। मगर सच बात यह है कि प्रदेश के आधे के करीब लोग बाढ़ पीड़ित रहे हैं और देवरिया और गोरखपुर जैसे पूर्वी जिले तो बाढ़ से इतने ध्वस्त हो गये हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पिछले ६, ७ वर्षों से वहां हर साल खरीफ की फसल मारी जाती है, लेकिन जब पानी आ जाता है तब अधिकारी लोग नावों में चना, दियासलाई, ढेबरी (दीप) और कुछ पुराने कपड़े जो बम्बई और कलकत्ते में मांगने से सड़कों पर मिल जाते हैं, बांट देते हैं।

श्रीमन्, तीन चार वर्षों से मैं भी जिला बाढ़ कमेटी का सदस्य रहा हूं और मैं बार-बार चिल्लाता रहा कि बाढ़ की समस्या को जब पानी आ जाय, तब नहीं हल किया जा सकता। जब पानी निकल जाय तब बैठिये और विचार कीजिये। मेरी इस मांग को भी जिलाधिकारियों ने ठुकरा दिया और हमारे माननीय सदस्य जो देवरिया से आये हैं, वे जानते हैं कि पानी निकल जाने के बाद बाढ़-कमेटी की बैठक नही बुलाई गयी। नतीजा यह हुआ है कि एक साइकालोजी रन कर गयी है कि जब बाढ़ आ जाती है तब सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि इस वक्त पाव सेर चना तो ले लो, बाद में देखा जायगा। सरकार से कहा जाता है कि लोगों की क्रय-शक्ति को बढ़ाने के लिए गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया और बलिया जिलों में गांव पटाई का काम शुरू किया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि सन् १९५६ की बाढ़ में कितने गांवों में कितने घनफुट मिट्टी पाटी गयी थी और कितनी बह गयी? इसका क्या रेकर्ड है, हमें पता नहीं है। सरकार सब कुछ आंकड़े तो देती है, लेकिन यह आंकड़े उसके जिलाधीश नहीं देते कि कितने रुपये का टोटल लास फसलों का हुआ है। इसकी जगह पर यह फिगर्स रख दी जाती हैं कि इतनी प्रैचुट्स रिलीफ दी गयी मकान बनाने के लिए और इतनी इस किस्म की सहायता दी गयी। हमारी हालत खरीफ की लगातार बरबादी के कारण इतनी अबतर हो गयी है कि मामूली सी मालगुजारी में छट पाने से ही, हम अपना गुजारा नहीं कर सकते।

पारसाल का एक बड़ा दर्दनाक किस्सा है। हमारे यहां १४ आदमी भूख से तड़प-तड़प कर मर गये। अभी प्रात: काल जब सदन का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ, हमारे माननीय मित्र केशव पांडेय जी ने गोरखपुर की खाद्य स्थिति के बारे में एक प्रश्न यहां उठाया था। श्रीमन्, बड़हलगंज क्षेत्र में बगहा एक गांव है। यह चार बार कट चुका है और चौथी बार एक दूसरी जगह बसाया गया है। उसकी दर्दनाक कहानी अखबारों में आयी है। बारबार जिलाधिकारियों के यहां, खाद्य विभाग में और प्रशासन विभाग में उसकी बार-बार खबरें पहुंचा चुके हैं कि पारसाल बगहा गांव के पांच आदमी खाने बगैर मर गये। बगहा मेरे पड़ोस में है। मैं उस गांव को जानता हूं और यही नहीं, मैं देवरिया और गोरखपुर के चप्पे-चप्पे को जानता हूं।

[श्री उग्रसेन]

वहां खाद्यान्न की जो स्थिति है, ६, ७ वर्षों से लगातार खरीफ की फसल के मारे जाने की वजह से जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति चन्द फेयर प्राइस शाप्स के खुल जाने से नहीं होगी। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि इन दूकानों से कितने हजार मन गल्ला लोग माहवारी में या एक सीजन में ले जाते हैं ? जो अपना गहना बेंचकर गल्ला लेते हैं और गल्ले की दुकान पर जाते हैं, जब उनको एक पैसा रुपया बिक्री टैक्स देना पड़ता है, तब उनको बहुत दर्द होता है।

देवरिया और गोरखपुर जिलों में चीनी मिलों की भरमार है, बड़े-बड़े भोंपू हैं और ऊंची-ऊंची चिमनियां हैं। किसान वहां गन्ना बोने के कारण खाने का अनाज कम बोता है। सरकार भी मानती है कि पूर्वी जिले डेफिसिट एरिया के हैं। लेकिन जब हम वहां मांग करते हैं तो सरकार कहती है कि वहां आवागमन के साधन ठीक नहीं हैं। हम मांग करते हैं कि अगर हिल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हवाई जहाज से गल्ला पहुंचाने का इन्तिजाम हो सकता है तब हमारे यहां तो इतनी रेलवे लाइनें लखनऊ से ही बिछी हुई हैं, कुछ इन्तिजाम करो। मगर श्रीमन्, सरकार की ओर से कहा जाता है कि उन पटरियों में वह ताकत नहीं है कि बड़े-बड़े गेहूं के बोरे लादे जाने वाले बड़े-बड़े वैगन्स जो हैं। उनको वह ढो सकें। देवरिया में एक भाटपार का इलाका है। मैंने महाराष्ट्र में पूना के दक्षिण सतारा जिले में ऐसा इलाका देखा था। इस इलाके में ट्रेन से तो गल्ला पहुंचा नहीं सके, और सड़कों की यह दुर्दशा है कि एक पुल बना हुआ है नदावर घाट पर, पुलों के नीचे से नाव चला करती हैं नदी में, श्रीमन्, लेकिन वह पुल ऐसा है कि जिसके ऊपर से नावें चलती हैं। वहां पर सरकारी लंच बोट भी पुल के ऊपर से जाती है। हमारे सिंचाई मन्त्री माननीय त्रिपाठी जी उस पुल को देख चुके हैं।

जहां तक हमारी क्रय-शक्ति का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि वह बहुत गिर चुकी है। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया की साढ़े २२ लाख की आबादी के और इतनी ही करीब गोरखपुर की आबादी के बहुत से लोग अपना घर छोड़ कर बाहर चले गये हैं। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था, इस सदन में एक प्रश्न उठाया गया था कि वहां के बहुत से निवासी अपना जिला छोड़ कर बाहर चले गये। माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि स्टेशन से कितने ही टिकट कटे, क्या सबूत है कि वे लोग बाहर ही गये। श्रीमन्, हम तो पूर्वी इलाके के वह अभागे लोग हैं कि जो कलकत्ता, बम्बई में भइया कहलाते हैं। आप इन्डोनेशिया, सैगोन, बरमा, रंगून, कहीं चले जाइये, हमारे पूर्वी जिलों का एक न एक आदमी आप को मलाया भाषा बोलता या बरमी भाषा बोलता, अपने धंधे में लगा हुआ जरूर मिल जायगा। लकड़ी चीर कर अपनी जीविका पैदा करने वाले हमारे ही पूर्वी जिलों के लोग हैं। इतनी भ गदड़ है पूर्वी जिलों में कि अगर सरकार आंकड़ें जुटाये तो श्रीमन्, एक नये ही तथ्य पर प्रकाश पड़ेगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह गोरखपुर लेबर डिपो की रिपोर्ट देखे कि कितने लोग कुली बन कर बाहर जाते हैं और खदानों में जाकर काम करते हैं। मुझे श्रीमन्, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब वे लौटते हैं, तो १०० में से कम से कम १० तो ऐसे होते हैं कि जो टी० बी० के मरीज हो कर आते हैं। इस भुखमरी, अन्नाभाव और अकाल के कारण ही लोग बाहर जाते हैं और टी० बी० के शिकार हो कर अस्पताल में दाखिल होते हैं।

हमारी क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या इन्तजाम किया है, इसको भी मैं सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं। सरकार की ओर से यह कहा गया था कि गांव की पटाई हो रही है। ठेकेदार लोग यह काम करायेंगे, मजदूर १२ रुपये हजार पर मिट्टी काटेंगे, उन्हें पैसा मिलेगा। मैं पारसाल का किस्सा बताता हूं। गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ के जितने गांवों की पटाई मंजूर थी, उसके लिए बाढ़ विभाग का एक प्रोपोजल था, उनकी पटाई पूरी नहीं हुई, और श्रीमन्, मुझे तो शक होता है कि संभवतः चुनाव में फंसे रहने के कारण हमारी सरकार का ध्यान उधर न गया हो, मगर जितनी बरबादी हुई और जितने लोगों को बाढ़ से काम मिला उस सबको देखते हुए यह मानना पड़ेगा कि वहां के रहने वालों की परचेंजिंग कैपेसिटी पर कोई असर नहीं पड़ा।

रोजी रोजगार के सिलसिले में अभी-अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर एक ही रेल का कारखाना खुलेगा। श्रीमन्, पूर्वी जिलों में जूट का कारखाना खुल सकता है। आजमगढ़, देवरिया में जहां सरयू काट रही है, वहां इतना काफी जूट होता है कि बड़हलगंज में, आजमगढ़ में, बरहज में जूट मिल लगायी जा सकती है। रबर बनाया जा सकता, मगर श्रीमन्, इस उद्योग-धंधे में पूर्वी इलाके बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। मुझे यह जान कर बड़ा अफसोस हुआ कि अगली पंचवर्षीय योजना में भी पूर्वी जिलों का कोई स्थान नहीं है। कैसे हमारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जितने प्रवासी लोग हिन्दुस्तान की चहार दीवारी के बाहर गये हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा नम्बर पूर्वी जिलों का है। उनकी मुसीबत को मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं आप को बर्मा की बात बतलाऊं। मैं भी स्वयं वहां पर गया था और मुझको वहां पर ६ महीने रहने का मौका मिला था। बर्मा में मैं जहां-जहां गया और जितने भी हमारे देश के भाई मिले, उन्होंने एक स्वर से कहा कि हम यहां से अधिक रुपया अपने देश को नहीं भेज सकते हैं। वहां से वह ४० रुपये से अधिक नहीं भेज सकते हैं। इससे अधिक भेजने का उनको अधिकार नहीं है। वह वहां पर रुपया कमाते हैं लेकिन भेज नहीं सकते। बहुत से लोग यह समझते होंगे कि हजारों लोग पूर्वी जिलों से बाहर गये हुए हैं और वहां से काफी रुपया मनी-आर्डर के जरिये से आता होगा, लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह रुपया आने का जो जरिया है वह सब बन्द है। आरा चीरकर, कोयला काटकर, पत्थर और कंकड़ तोड़कर वह अपना निर्वाह करते हैं। मिट्टी काटने का जो एक गांवों में जरिया था वह तो बाढ़ विभाग की कृपा से समाप्त कर दिया गया है। मुझे यह भी पता चला है कि कुछ रुपया लैप्स हो गया और ३१ मार्च, तक वह काम नहीं हो सका।

क्रय-शक्ति को बढ़ाने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। हमारे यहां गेहूं के गोदाम जरूर हैं और देवरिया में कुछ रिलीफ की दुकानें भी खोली गयी हैं, मगर जैसा कि हमारे एक मित्र ने कहा कि वह दुकानें देहात के अन्दर नहीं हैं। यदि होंगी भी तो हमारे देहात के लोग इस परिस्थिति में नहीं हैं कि वह १, २ रुपये का गेहूं भी खरीद सकें।

हमारे यहां चीनी-मिलें हैं। देवरिया में भी १३ चीनी-मिलें हैं। भटनी शुगर मिल के तो अभी चालू होने में बहुत विलम्ब है। वहां पर मुकदमे बाजी चल रही है। वहां मिल में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत बदतर है। एक मजदूर को अगर मिल मालिक निकाल देता है, तो उसके लिए हम यूनियन में बहुत लड़ते हैं और उसको नौकरी दिलाने में बड़ी परेशानी होती है। मगर फिर भी, उसको नौकरी नहीं मिलती है। अगर किसी खाते में एक मशीन बिगड़ जाती है, तो उसका बहुत समय तक रिप्लेसमेंट नहीं होता है। उससे मजदूरों को हानि होती है और मिल मालिक उसको लटकाये रखते हैं। किसान गन्ना से जो पैसा पैदा करते हैं उसको खा नहीं पाते हैं। मैंने हिन्दुस्तान की बहुत सी इन्डस्ट्रीज को देखा और बम्बई तथा कलकत्ता में जाकर वहां के कारखानों को देखा तो सब जगह गन्ना मिलों के काम करने वाले हमारे पूर्वी जिलों के लोग हैं और सभी मिलों पर किसानों का रुपया अभी बाकी है।

जहां तक हमारे देवरिया जिले का सम्बन्ध है, वहां पर ३०, ४० लाख रुपया किसानों का गन्ने के मिलों पर अभी बाकी पड़ा हुआ है। मैं अपने वहां के एक मिल के ही आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। केवल अकेले थापर मिल देवरिया पर किसानों का ८,४७,९१४ रुपया ६ आना बाकी है। यह रुपया अगर उन किसानों को मिल जाय तो सम्भवत: कुछ दिनों के लिए देवरिया के आस पास के १,५०,२०० लोग कुछ गल्ले की दुकानों से २, ४ रुपये का गल्ला ले जाते। मेरा निवेदन यह है कि उन गरीब लोगों की क्रय-शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे सामने कोई जरिया नहीं है।

दूसरी समस्या जो हमारे अकाल की बनी हुई है, उसका सब से बड़ा कारण फ्रेगमेन्टेशन आफ होल्डिंग्स है। इतने ज्यादा खाते वहां पर हैं कि जिनका आप अनुमान नहीं कर सकते। एक फरेंदा तहसील में बहुत अधिक खाते हैं। एक-एक किसान के पास

[श्री उग्रसेन]

एक-एक कट्ठा जमींन है । उससे उसको क्या मिलने वाला है, यह आप समझ सकते हैं, पूर्वी जिलों के एक-तिहाई लोग बिल्कुल भूमिहीन हैं। उन्हें सरकार केवल मुट्ठी भर चना दिलवाना चाहती है। देवरिया जिले में २० हजार बीघे से ज्यादा जमींन है जिस पर पटवारी के कागज में गेहूं और धान बोया गया है, मगर जमींन परती पड़ी हुई है। सरकार की ओर से भूमि के बटवारे का कोई प्रबन्ध नहीं है।

अकाल में सरकार कहती है कि हम क्या करें? पानी बरस गया, बादल कंट्रोल में नहीं आया, एटम बम परीक्षण से मौसम गड़बड़ हो गया, तो सरकार कहती है कि हम क्या करें? मगर जब फसल अच्छी हो जाती है तो सरकार यह नहीं कहती कि समय से पानी और धूप किसानों को मिल गई, इसलिये यह हुआ। सरकार उसे अपने अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत समझ लेती है। वर्षों से हम लगातार भूखों मर रहे हैं। जब सरकारी अधिकारी, कमिश्नर साहेब और जिलाधीश भुखमरी की जांच करने जाते हैं तो कहते हैं कि गांव में तो भूख से कोई मरने ही नहीं दिया जा सकता है। श्रीमन्, गांव के गांव मर रहे हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में सलीमपुर तहसील में शोमपुर गांव में ब्राह्मण लोग रहते हैं। वहां सर्वजीत पांडेय के परिवार में ११ लोग हैं। लगातार तीन महीने से, चुनाव के पहले से, उनकी इतनी खराब हालत थी कि ६, ७ दिन तक उनके यहां खाना नहीं बनता था। वे सोशलिस्ट पार्टी के आफिस में आये। उन्हें लेकर मैं जिला अधिकारियों के पास गया। लम्बा किस्सा है, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। नतीजा यह हुआ कि केवल ढाई सेर या तीन सेर गेहूं उन्हें दिया गया।

आज भी अगर सरकार एक गैर सरकारी कमेटी बैठा कर गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बनारस में जांच करावे, तो मैं कहता हूं कि सरकार को वहां की हालत का ठीक पता चले। यह दोनों के लिये भला होगा। वहां अनिश्चितता है और सरकार के लिये भी वह मुजिर है। इसलिये सोशलिस्ट पार्टी ने मजबूरी की हालत में अकाल और भूख से पीड़ित लोगों के लिये १० मई, '५७ से एक सत्याग्रह का नारा दिया है। हमारा सिद्धान्त है कि लिव एण्ड लेट लिव (live and let live) सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ऐसा हमारे पूर्वज लोगों ने कहा है। आपकी लेखा समिति और ए० जी० आफिस की रिपोर्ट निकलती है। उनसे पता चलता है कि क्या हालत सरकार जनता के धन को करना चाहती है। मगर आज सदन में जितने सदस्य पूर्वी जिलों से आये हैं वे बता सकते हैं कि इस वर्ष होली के अवसर पर उन्होंने अपने बच्चों के लिये कितने कपड़े बनवाये हैं, शिवरात्रि के मेले में उन्होंने अपने बच्चों का एक भी जूता या चप्पल खरीदा है? इतना जबरदस्त जाड़ा गुजर गया, उनके घर में नई रजाई बनी? तो हमारी पर्चेजिंग कैपेसिटी बढ़ाने का इन्तजाम होना चाहिये। भटनी मिल को चालू किया जाय, बाढ़ विभाग की धांधलियों को रोका जाय, टेस्ट वर्क्स फिर से चालू किये जावें। सड़कें नहीं हैं, आवागमन के मार्ग नहीं हैं। टैस्ट वर्क्स में हजारों लोग काम कर सकते हैं। उससे लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी।

मैं अन्त में आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर और देवरिया में जो मुसीबत आयी हुई है चाहे, वह बाढ़ से हो अथवा और किसी कारण से हो, लेकिन उस सब की जिम्मेदारी सरकार पर है। अकेले सलेमपुर तहसील में दो लाख रुपया वसूल किया गया है। पंचायत के मंत्रियों को यह आदेश दिये गये हैं कि अगर अच्छी वसूली कर दोगे तो तुम्हारी तरक्की कर दी जायगी और अगर नहीं वसूलोगे तो तुम्हारे करेक्टर रोल में खराब एन्ट्री कर दी जायगी। आज गांवों में लोग मुर्गा बनाये जा रहे हैं, लोगों को पीटा जा रहा है। रबी की फसल मारी गयी है। हमारे गांव में १४ आना से ज्यादा नुकसान हुआ है। मुझे नहीं मालूम रिपोर्ट आयी है या नहीं, लेकिन यह सत्य है कि वहां १४ आना से ज्यादा नुकसान हुआ है। एक बोझ में ४–५ सेर अनाज निकलता है। ऐसी दर्दनाक हालत वहां की है

और मालगुजारी की वसूली जोरों से हो रही है और शायद १६ जून तक यह धांधली चलेगी। मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि वह वसूली को अविलंब बंद करे और मालगुजारी को उस वक्त तक माफ कर दे जब तक कि लोगों के खाने भर का प्रबन्ध न हो जाय या कोई अच्छी फसल न हो जाय।

फ्लड डिपार्टमेंट ने भी जो कार्य किया है, वह भी बाढ़ का कारण रहा है। नारायणी का बांध और जलकुंभी योजना नहीं पूरी हुई। जब हम पानी में डूब जायेंगे, लोग घरों में मर जायेंगे, तब कहीं जाकर अधिकारियों को मालूम होगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह पूर्वी जिलों को, इस अकाल की स्थिति से बचायें, क्योंकि अगर पूर्वी जिलों के लोग भूख से मर जायेंगे तो इस जनतंत्र सरकार के लिये बड़े कलंक की बात होगी। मैं इतना ही आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं इस सम्मानित सदन का एक बिल्कुल नया सदस्य हूं। जब कभी कोई संशोधन आता है या कोई प्रस्ताव होता है तो उस पर बोलने के लिये खड़ा होता रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। किसी को अगर ज्यादा समय दिया जाता है तो मुझे भी २-४ मिनट का समय दे दिया जाय। अगर ज्यादा बोलने वाले हों तो समय नियत कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---आपने यह ग़लत तरीका अख्तियार किया है। चेयर से तो उसी का नाम पुकार लिया जाता है, जिस पर उसकी निगाह पड़ती है। अगर आपको ऐसी शिकायत थी तो आपको मुझ से मिल लेना चाहिये था।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिदत्त काण्डवाल (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस प्रश्न पर यहां बहस हो रही है उसके सिलसिले में, मैं अल्मोड़ा जिले के पहाड़ी इलाके के बारे में कहने के लिये उपस्थित हुआ हूं।

जहां तक हमारे पहाड़ी इलाके का ताल्लुक है, वह एक डैफीसिट एरिया है। यह तो माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही कबूल किया है और यह भी कबूल किया है कि १२ महीनों में वहां केवल ४ महीने के लिये खाने भर का अन्न पैदा होता है वहां की ऐसी स्थिति है कि वहां की खाद्य समस्या के ऊपर वहां बहस करने का प्रस्ताव तक लाने की नौबत आ पहुंची। यह विशेषकर बाहरी दुनिया को तब मालूम हुआ, जब अखबारों में लोगों ने पढ़ा कि मुन्स्यारी में हवाई जहाज से अन्न पहुंचाया गया है और मैं समझता हूं कि यहां पर हमारे विरोधी बेंचेज पर जो मित्र बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहां पर बहुत सहानुभूति हमारे इलाके की भुखमरी के प्रति दिखलायी, उनको भी शायद इसका पता अखबारों के समाचार से ही लगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---आपको पहले पता लग गया था ?

श्री हरिदत्त काण्डपाल---जी हां, मुझको पहले से पता लग गया था, इसकी सूचना मैं तारीखवार आपको दूंगा। वास्तव में जिस इलाके में अन्न गिराया गया, वह बोर्डर एरिया है और जौहार आदि पट्टियों के जो इलाके हैं वे तिब्बत से लगे हुए हैं। जो उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, इसके पूर्व उनकी यह परम्परा रही है कि तिब्बत के साथ उनका व्यापार रहता था और हजारों की तादाद में लोग वहां व्यापार करने जाते थे। उनके साथ उसी इलाके के कितने ही नौकर चाकर भी रहते था। इस प्रकार वे अपना जीवन बसर करते थे, लेकिन अब वहां पर शासन बदल जाने की वजह से उन लोगों का रोजगार चौपट हो गया।

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

दूसरी सूरत यह हुई कि लगातार ५ साल तक फसल खराब होती रही और जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने बतलाया कि पड़ोसी राज्य नैपाल में भी कहते हैं लिहाजा वहां से जो अन्न आता था और जो कमी पूर्ति की जाती थी, वह भी नहीं हो पाई। परन्तु श्रीमन्, मैं इसके कुछ और कारण आपके सामने रखना चाहता हूं।

इस कहतसाली की ऐसी गम्भीर परिस्थिति जो हमारे सामने आयी, उसमें कुछ सरकारी व्यक्तियों का भी बहुत कसूर है। क्योंकि जहां तक सरकार का ताल्लुक है, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने इस सदन को सूचना दी कि इश्यू गोदाम और गल्ले की दूकानों तक किस प्रकार से माल ढोने का इन्तजाम है, वह सब बदस्तूर और बरकरार है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपना पैर कुर्सी के ऊपर न रखें।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—सरकारी कर्मचारियों की सहानुभूति नहीं रही, यह कहा जा सकता है। उसकी वजह...

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य को अभयदान दे दिया जाय।

श्री हरिदत्त काण्डपाल—सब से पहले नवम्बर, ५६ में सरकार को सूचना दी गयी कि अल्मोड़ा जिले के बोर्डर एरिया की खाद्य स्थिति बहुत शोचनीय है और उसके बाद जनवरी में फिर खबर दी गयी और फूड कमिश्नर को भी इसकी इत्तिला दी गयी। फरवरी के शुरू में ६ तारीख को और फिर २१ तारीख को इसकी सूचना दी गयी। माननीय मंत्री जी को शुरू में भी यह सूचना दी थी। उस पर वहां कार्यवाही जिला स्तर पर जिला अधिकारियों ने की। लेकिन अफसोस है कि वह रुकावट कहां हो गयी कि वह कागज किस दफ्तर में कहां नाचता था, समझ में नहीं आता। क्योंकि झगड़ा इस पर था कि बागेश्वर में अन्न रखा हुआ है, हजारों मन माल जो कि मुंसियारी से ६० मील पर है, तो सरकारी सबसिडी सवा तीन आने मन दी जाय या सवा चार आने मन दी जाय। वहां का जो संघ था, उसका कहना था कि सवा चार आने प्रति मील मिलना चाहिये जब कि सरकारी अधिकारियों का कहना था कि हम सवा तीन आने प्रति मील ही ट्रांसपोर्ट सबसिडी देंगे। १९ मार्च को जिले के अधिकारियों की ओर से एक इंस्पेक्टर साहब वहां भेजे गये और मुंसियारी में गल्ले के इन्तजाम के लिये वहां २ पल्लेदारों को लेकर पहुंचे लेकिन वहां गल्ला नहीं पहुंचा और वहां पर जैसा कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने बताया कि लोग पत्तियों और पेड़ों की छाल खाकर गुजर कर रहे हैं, वह बात सही है। उन इंस्पेक्टर साहब ने वहां २ पल्लेदारों के साथ पहुंच कर तो और उस कहतसाली में इजाफा किया, वहां पर अन्न तब पहुंचा जब वहां के लोगों में भुखमरी मची और वहां के लोग भारत की सीमा लांघ कर तिब्बत में घुसे और वहां के चेकपोस्ट अधिकारियों ने सरकार को सूचना दी, तब हवाई जहाज से गल्ला भेजा गया। माननीय नारायणदत्त जी ने बताया कि डेढ़ सौ मन गल्ला वहां फेंका गया, यह बात गलत है, डेढ़ सौ मन नहीं बल्कि ढाई सौ मन गल्ला, दो दिन में भेजा गया और जैसा कि उन्होंने बताया कि फेंके जाने में अन्न काफी बर्बाद हुआ, यह बात सही है कि वह पांच-सात मन जरूर बर्बाद हुआ, पहला मौका था, गिराने के निशान गलत पड़ गये, लेकिन इतना नहीं बर्बाद हुआ जितना कि उन्होंने बताया।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे गम्भीर मौकों पर नौकरशाही की वजह से इस प्रकार की गलत चीजें हो जायं तो उसके लिये जो जिम्मेदार हों, जो अपराधी हों, उनको अवश्य सजा दी जाय और उनकी जांच कराई जाय और जैसा कि एलेक्शन मेनिस्फेस्टो में कहा गया था, हमें उनकी दिक्कतों को दूर करना चाहिये, जो कष्ट में हैं

और रेड टेपिज्म की बजह से जो देरी होती है, जो अड़चन होती है, उसको कम किया जाय। मैं पहाड़ी जिलों के सम्बन्ध में और खास कर जहां कि हवाई जहाज से अन्न गिराने की जरूरत पड़ी उस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

कब्ल इसके कि मैं आपके सामने और सदन के सामने यह सुझाव रखूं कि इस कहतसाली और हमेशा रहने वाले अकाल को कैसे दूर किया जाय, यह आवश्यक होगा कि पहाड़ी जिलों की कुछ विचित्रताओं पर सदन का ध्यान दिलाऊं, क्योंकि तभी सरकार की और आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की समझ में पहाड़ों की कठिनाई आ सकती है। मैं पहाड़ों के ४ जिलों के बारे में कह रहा हूं कि जिनकी जनसंख्या २५ लाख के करीब है। वहां की कृषि, वेशभूषा, हर एक चीज मैदानी इलाके से विभिन्नता रखती है और जहां तक वहां की भूमि का ताल्लुक है, वह भी विचित्र है। वहां लाभकर भूमि बहुत कम है और अधिकतर भूमि अलाभकर है। यही वजह है कि वहां पर फसलें होती हैं लेकिन ४ मास के खाने को भी साल में पैदा नहीं होता। कुछ थोड़ी सी जमीनें लाभकर हैं जो नदी के किनारों पर हैं। लेकिन ऐसी जमीनें बहुत कम हैं। वहां पर आबादी के लिहाज से जमीन बहुत ही कम है, वहां जमीन इतनी कम है कि जिस तरह से पैसा कम होता है तो उसकी गिनती रुपयों में न होकर पैसों में होती है इसी तरह से वहां पर बीघा एकड़ में जमीन नहीं नापी जाती बल्कि नालियों में नापी जाती है जो एकड़ का बीसवां भाग होती है। वहां पर जिस तरह से जमीन की नापतोल की जाती है उससे जाहिर होता है कि जमीन की वहां कितनी कमी है, और जो जमीन है भी वह अलाभकर है।

भौगोलिक स्थिति से आप लोग परिचित ही हैं कि कैसी भौगोलिक स्थिति में पहाड़ी जिले स्थित हैं। भाषा के ख्याल से भी वह कुछ विभिन्नता रखती है। वेशभूषा के ख्याल से भी मैदानी इलाकों से वहां विभिन्नता है। जिस तरह के भोजन वहां किये जाते हैं, वहां के अन्न विचित्र और नाम विचित्र पायेंगे। शासन के ख्याल से भी सदन के माननीय सदस्यों को इस बात का ज्ञान होगा कि वहां पर पटवारी सब कुछ है। वह पुलिस भी है, वह माल मुहकमे का भी है। वह किन्हीं अंशों में मेडिकल डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रहता है और तमाम जितने डिपार्टमेंट हैं, सब का ताल्लुक गांव के पटवारी से होता है। जैसा मैदानों में पटवारी होता है कि वह गांव के एक मुनीम की तरह से होता है, इस प्रकार का पटवारी वहां नहीं होता बल्कि एक तरह से सर्वाधिकार सम्पन्न होता है। यह तो वहां की शासन व्यवस्था में भिन्नता है और यह भिन्नता आज की नहीं है, पुरानी है। इसीलिए अंग्रेजी जमाने में शेडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स की तरह से कायदे कानून और कई बातों में बिल्कुल अलग व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इसलिए मेरा यह सुझाव है, इस सदन के सामने और सरकार तक मैं इस सुझाव को पहुंचाना चाहता हूं कि पहाड़ में रहने वाली इस निरन्तर कमी को हम तब तक दूर नहीं कर सकते, जबतक कि जो रूप अभी जोहार में हो गया है वह रूप किसी भी समय किसी भी इलाके में हो सकता है, किसी भी कोने में हो सकता है, तो उस सूरत को न होने देने के लिए यह आवश्यक है कि वहां की विचित्रताओं को देखते हुए कि पहाड़ी इलाकों के लिए, चार जिलों के लिए जिनमें २५ लाख आबादी है, उसके लिए इस सरकार के मातहत एक मंत्रालय अलग से हो और उस मंत्रालय के अधीन अमेरिका में टिनेसी वेली कार्पोरेशन्स की तरह से सर्वाधिकार सम्पन्न कार्पोरेशन हो जो इन तमाम कामों को वहां पर करवाये।

जहां कुमायूं में खेती नहीं है वहां दूसरे कई दृष्टिकोणों से वह सम्पन्न है। वहां पर सम्भावनाएं हैं, इस बात की कि वहां बहुत से अपूर्व धातु निकाले जायं। जो ज्योलाजिकल सर्वे अभी हुआ है उसने भी बताया कि अपूर्व धातु वहां निकल सकते हैं और सम्भावनाएं हैं। उस कार्पोरेशन के मातहत खानें खुल सकती हैं, जंगलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हो सकता है। टूरिस्ट इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है और बागवानी को भी बढ़ाया जा सकता है। जब तक एक अलग मंत्रालय और सर्वसत्ता-सम्पन्न कार्पोरेशन नहीं होगा तब तक वहां की समस्या हल हो जाय यह

[श्री हरिदत्त काण्डपाल]

मुमकिन नहीं है और सदा यह सुनने को मिलेगा कि वहां कहतसाली, गम्भीर स्थिति, है और कहीं इस कोने में और कहीं उस कोने में गम्भीर अवस्था पैदा हो जायगी।

भूमि के सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां सिंचाई हो सकती है, और काफी जगहें हैं जहां सिंचाई हो सकती है वहां पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लिहाजा सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सिंचाई के साधन ज्यादा विस्तृत किये जायं।

दूसरे, बांध योजना चालू की जाय। कई नदियां हैं जिनके किनारे बहुत उपजाऊ भूमि है लेकिन वह नदियों के बढ़ जाने के कारण बहती रहती है। आज वक्त ऐसा होता है जैसे गंगा नदी के किनारे जो इलाका है वह सेल्फ सपोर्टिंग है लेकिन वहां अक्सर नदी अपनी बाढ़ के कारण बर्बादी कर देती है। रामगंगा और इसी प्रकार बहुत सी नदियां हैं जिनके किनारे खेती होती है और सिंचाई भी होती है लेकिन बाढ़ आ जाने की वजह से खड़ी फसल बहजाती है। इसलिए बांधों की योजना की तरफ भी सरकार ध्यान दे। सब से बड़ी बात भूमि समस्या का हल वहां पर, जैसे मंत्री जी कुमायूं जमींदारी विनाश विधेयक ला करके हल करना चाहते हैं, उससे हल नहीं होगा। हल तो केवल इसी तरह से हो सकता है कि तराई भावर के इलाके में लोगों को जमीन दे करके बसाया जाय, प्रोत्साहित किया जाय। यही एक सूरत हो सकती है लिहाजा गवर्नमेंट से मेरा यह प्रोपोजल है कि पहाड़ी इलाकों के लिये अलग से एक मंत्रालय कायम किया जाय, जिसका अलग से मंत्री हो, जो वहां की समस्याओं को डील करे।

माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने दो, एक बातें कहीं सड़कों की बाबत लेकिन उसमें उनकी अनभिज्ञता साबित होती है। जैसे उन्होंने कहा कि बोर्डर एरियाज को छोड़ दिया गया। यह बात सही नहीं है। बहुत सी सड़कें बोर्डर की ओर जा रही है, मिसाल के लिये पिठौरागढ़ होकर जो सड़क जा रही है वह भी बोर्डर एरिया की ओर ही जा रही है।

माननीय गोविन्द सिंह जी ने यह बात कही कि पहाड़ी इलाके यह सोचने लगे कि वह अलग हो जायं। मुझे यह बात सुन कर ताज्जुब हुआ। उन्होंने पहले भी यह कहा था कि इस से तो अंग्रेजी राज्य अच्छा था। यह बात तो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती कि हम अलग होना चाहते हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हम कभी इन टर्म्स में नहीं सोचते।

इसके साथ तात्कालिक इस कमी को दूर करने के लिये जो गल्ले की दूकानें खोली गई हैं उनकी निस्बत मेरी भी शिकायत है और मैं विरोधी मित्रों से इस बात पर एक राय का हूं वह यह कि यह सस्ते गल्ले की दूकानें सड़क के किनारे तथा गांवों से बड़ी दूरी पर खोली गई हैं जिस से आम जनता फ़ायदा नहीं उठा सकती। इसलिये मेरा निवेदन है और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जरूरतमंद लोगों को सस्ता अन्न मिलने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सस्ते गल्ले की दूकानें शहरों में हैं और सड़कों के किनारे हैं। जैसा माननीय रामजी सहाय ने सुझाव रखा था कि प्रत्येक न्याय पंचायत को एक यूनिट मान करके उसके उस हिसाब से गल्ले की दूकानें खोलें, यह ठीक है और ऐसा हो जाय तो अच्छा होगा। खास कर पहाड़ी इलाकों के लिये तो यह योजना अवश्य लागू हो जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां यह न सोचा जाय कि फसल का मौका हो गया और अन्न अब बाजारों में आने लगा है, लिहाजा सस्ते गल्ले की दुकानों की जरूरत नहीं है। मंत्री जी ने स्वयं माना है कि केवल चार महीने को खाने को ही गल्ला हो पाता है। लिहाजा वहां तो १२ महीने सस्ते गल्ले की दूकानें खुली रहनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—(श्री गेंदासिंह से) मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस वाद विवाद पर साढ़े तीन बजे तक का समय है और कुछ समय मंत्री जी भी लेंगे, इस वास्ते थोड़े ही शब्दों में अपनी बातों को रखने की कृपा करें।

श्री हरदयाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--एक वैधानिक प्रश्न है। कुछ समय पहले आपने श्री गोविन्दनारायण तिवारी के वैधानिक प्रश्न पर तीन बजे का समय .....

श्री अधिष्ठाता--मैं समझ गया। मैंने वित्त मंत्री जी से अभी बातचीत कर ली है और वह यह उचित समझते हैं कि इस वाद-विवाद के समाप्त होने के बाद यह प्रश्न लिया जायेगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिस तरह से आपने घोषणा अभी की, उसका नतीजा यह होगा कि यहां पर विरोधी पक्ष के जो दो ग्रुप हैं उनमें से किसी आदमी को भी मौका नहीं मिलेगा कि वह इस के ऊपर विचार व्यक्त कर सकें। मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। इसलिये शुरू से ही आप से कहा गया था कि समय का निर्धारण हो जाना चाहिये था और आप इस को कर सकते थे। जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर मेरी ओर से कामरोको प्रस्ताव भी लाया गया था तो सरकार की ओर से पूर्वी य० पी० की खाद्य-समस्या पर बहस कुमायूं और गढ़वाल की खाद्य समस्या के साथ जोड़ दी गई थी। समय का निर्धारण नहीं हुआ तो कितनी कठिनाई पैदा हो गई है, खास तौर से इसलिये कि केवल डेढ़ घंटे का समय हमारे पास था। या तो समय और बढ़ाया जाय या कोई ऐसी व्यवस्था करें जिस से जो मान्यता प्राप्त ग्रुप हैं उनमें से कम से कम एक एक आदमी को बोलने का अवसर मिले।

श्री अधिष्ठाता--माननीय झारखंडे राय जी ने यह जो प्रश्न उठाया है इस सम्बन्ध में प्रथम ही मैंने विरोधी दल के नेता से पूछा था कि आया आप चाहते हैं कि भाषणों के लिये समय नियत किया जाय ? उन्होंने कहा, नहीं हम नहीं चाहते कि कोई समय नियत किया जाय परन्तु जो माननीय सदस्य इस वादविवाद में हिस्सा लेंगे वे समय का ख्याल रक्खेंगे। किसी माननीय सदस्य ने विरोधी दल की तरफ से कोई प्रश्न नहीं उठाया था कि समय और बढ़ा दिया जाय लिहाजा हमारी मजबूरी थी। आप चाहते हैं कि समय बढ़ा दिया जाय, उसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी से आप बातचीत कर लें। अगर आप लोगों का कोई एग्रीमेंट हो जाय तो उस में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री गेंदासिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर दो ढाई घंटे का समय सरकार ने कैसे देने का निश्चय किया है। यह बात तो सही है कि यह दो घंटे का समय जो था वह केवल अल्मोड़ा के लिये अभावग्रस्त क्षेत्रों के बारे में विवाद करने के लिये था, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि दो ढाई घंटे के भीतर प्रदेश में अभावग्रस्त क्षेत्रों की तकलीफों के विषय में और उस के लिये सरकार की तरफ से क्या उपाय किये जा रहे हैं, इस सब पर विवाद किया जा सकता है। माननीय मंत्री जी से हमारे दो मित्रों की इस सम्बन्ध में बातचीत हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस प्रश्न पर विचार करके और अधिक समय बढ़ाने की मेहरबानी करेंगे। मुझे कभी कभी, श्रीमन् ....

श्री हरदयाल सिंह--प्वांइट आफ आर्डर ! अधिष्ठाता महोदय की तरफ पीठ किये हुये एक माननीय सदस्य खड़े हुये हैं।

श्री अधिष्ठाता--कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ है। आप ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिये प्वाइंट आफ आर्डर न रेज किया करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अगर कोई माननीय सदस्य चेयर की तरफ पीठ करके खड़े हुये थे तो यह सदन के सम्मान की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप की दृष्टि दूसरी ओर थी तो आप का ध्यान आकर्षित किया गया।

श्री अधिष्ठाता--जब आपने ध्यान आकर्षित किया तो मैंने उस ओर देखा।

श्री राजनारायण--जिस समय आपका ध्यान आकर्षित किया गया था तो अली जहीर जी बिलकुल आपकी तरफ पीठ कर के बातचीत कर रहे थे। यह सदन के अपमान का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—इन सब बातों का ख्याल मुझ है। मैंने नहीं देखा कि उन्होंन मेरी तरफ पीठ की है। आपके कहने पर भी नहीं देखा।

श्री राजनारायण—अगर आप न देखें तो हमारा दोष नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता—जो मैं देखूंगा उसी पर तो व्यवस्था दूंगा।

*श्री गेंदासिंह—असल में यह ऐसी बात है कि बार-बार टोकने में भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अब मैं जरा माननीय अन्न मंत्री का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहूंगा, यों जाब्ते से आपका ही ध्यान मुझे खींचना चाहिये। लेकिन माननीय अन्न मंत्री इस महकमे के नये अन्न मंत्री हैं, इसलिये मैं चाहूंगा कि वे मेरी ओर देखें जरूर और मैं तो बड़ी परेशानी में रहूंगा कि आपकी तरफ देखूं या उनकी तरफ देखूं ?

श्री अधिष्ठाता—आप मेरी ही तरफ देखें।

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री बातचीत कर रहे हैं। अगर उन्हें बात करना है तो वे लाबी में जा कर बात करें।

श्री अधिष्ठाता—ऐसी बातचीत तो हमेशा हुआ करती है।

श्री राजनारायण—लेकिन सदन में शोरगुल तो न होना चाहिये ? आप इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें।

श्री अधिष्ठाता—सदन में शान्ति होनी चाहिये।

श्री गेंदासिंह—असल में मामला यह है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार यहां की पंचवर्षीय योजना की सफलता की बधाई पीटते-पीटते इस बात को सुनने के लिये तैयार ही नहीं है कि उस योजना की सफलता के बाद कोई देश में अन्न की कमी से तकलीफ उठाता होगा। सरकार इतने बड़े धर्म संकट में है कि १६६ लाख रुपये में से एक पैसा खर्च करने के लिए बाकी रह नहीं गया है। उसके खर्च करने का ऐग्रिकल्चरल प्लान था, पिछले ५ वर्षों का और एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा इसी जगह से दुहराया जा चुका है कि हमारे देश में इतना अन्न पैदा हो चुका कि हम निर्यात करने के लायक हो गये। अब इस समय इस सरकार को यह कहने की जरूरत पड़ती है, या देश को जरूरत पड़ती है कि हमारे मुल्क में अन्न को आयात करने की आवश्यकता है तो सरकार उसको जितना भी छुपा सकती है उसको छुपाने में कोई कोर कसर नहीं उठाती है। अधिष्ठाता महोदय, मुझे तो सरकार के खिलाफ शिकायत ही नहीं, अगर हमारे अख्तियार में होता तो हम इस सरकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते। सरकार अपने लेखपाल को भी अपने हाथ में नहीं कर सकती, अपनी तहसीलों को अपने हाथ में नहीं कर सकती और अपने योजना विभाग को भी अपने हाथ में नहीं कर सकती। उसमें उसे दिखाना जरूरी है कि अन्न का उत्पादन जरूर बढ़ा।

आज खुशी इस बात की हुई कि अन्न मंत्री ने कहा कि सन् '५४-५५ में ११० हजार टन गल्ला ज्यादा हुआ लेकिन '५५-५६ में घट गया। अगर बजाय '५४-५५ और' ५५-५६ के '४९-५० और '५०-५१ का नाम ले लेते तो उनकी भी आंख खुलती और हमारी भी, क्योंकि '५०-५१ के पहले का अन्न उत्पादन देखा जाय तो इस पंचवर्षीय योजना की पोल खुल जायगी कि पंचवर्षीय योजना और १६६ लाख रुपया खर्च करने के पहले अन्न का उत्पादन कितना था और उसमें भी जब कि अन्न का उत्पादन ११० हजार टन ज्यादा था तो बर्मा का चावल कितना आता था और आस्ट्रेलिया का गेहूं कितना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आता था, तब जाकर के काम चलता था। लेकिन अब, जब कि पिछले अन्न उत्पादन से इस वक्त कमी हो गयी, तब भी सरकार कहती है कि हम निर्यात करने लायक हैं। तो इसलिए कि हम भूखों मरते हैं और भूखों मरने के बाद हम यहां बैठे हैं, मंत्री जी कहते हैं कि निर्यात करने लायक हैं, लेकिन प्रदेश कुछ कर नहीं सकता। असल में मामला सिर्फ इतना है और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी शक्ति इतनी नहीं है, अगर होती तो हम सरकार के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकते थे--इरादा जरूर है।

अधिष्ठाता महोदय, अभी अन्न मंत्री जी ने कहा, कुछ देर पहले, कि सूचना मिलेगी तो हम बन्दोबस्त करेंगे। देवरिया की रबी की फसल की सूचना उन्हें यह है कि सितम्बर, अक्तूबर तक उनका काम चल जायगा। अब अगर सितम्बर, अक्तूबर तक फसल से काम चल सकता है, गोरखपुर और बनारस कमिश्नरी में, तो अब तो फसल कट चुकी, खलिहान से भी घर में जा चुकी। माल मंत्री जी ने सुबह यह कहा कि गोरखपुर से खराब हालत देवरिया की है और गोरखपुर की यह हालत है कि वहां रुपये में आठ आने फसल खराब है, और उधर अन्न मंत्री जी कहते हैं कि हम सूचना मिलने पर बन्दोबस्त करेंगे। अब दोनों में दूरी की हालत देखिये कि बगल में ही दोनों साहबान बैठे हैं, माल मंत्री जी को यह सूचना है कि रबी की फसल आठ आने तक गोरखपुर की खराब हुई और उससे खराब हालत देवरिया की है.....

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--गलत बयानी है।

श्री गेंदासिंह--गलत बयानी अगर कर रहा हूं तो सुधार दीजिये, लेकिन अन्न मंत्री जी को खबर नहीं है, फिर भला जब माल मंत्री जी की सूचना अगर अन्न मंत्री जी को नहीं है तो केन्द्र की सरकार को कैसे होगी ? इसी बुनियाद पर हमारे अजीत प्रसाद जैन साहब, सहारनपुर के रहने वाले, फरमा रहे हैं कि कोई चिन्ता की बात नहीं है।

श्री चरणसिंह--मैंने कहा था कि गोरखपुर की फसल देवरिया के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है।

श्री गेंदासिंह--श्री अजित प्रसाद जैन यह फरमा रहे हैं कि कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमको अगले ५-६ महीने तक डेढ़ दो लाख टन गेहूं मिल जायगा। इतना गेहूं हमने अमरीका से मंगा लिया है। अब इतना गेहूं आयेगा और हिसाब क्या रहेगा ? इसके सम्बन्ध में अन्न मंत्री ने अभी तक कुछ नहीं कहा। दुकानें बढ़ायेंगे नहीं बल्कि घटाने का इरादा है और तिस पर सोचते हैं कि सब मामला सुधर जायगा, ठीक हो जायगा। इसके माने यह हैं कि दो बातें हो सकती हैं। या तो सरकार की आंखें मिची हुई हैं। उन्हें मालूम है और कहते हैं कि बड़ी बेचैन करने वाली खबर है, इसलिये इस खबर से नावाकिफ रहो। अगर खबर होकर भी सरकार इतनी बेखबर है तो मैं क्या करूं ? इसका कुछ उपाय होना चाहिये। इतना जरूर कह सकता हूं कि मेहरबानी करके कुमायूं और पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी इस प्रदेश का अंग समझें। कसूर हमारा सिर्फ इतना है कि पूर्वी प्रदेश वाले बच्चे अधिक पैदा करते हैं। इस कसूर में जो चाहे कर दीजिये, क्योंकि जहां गरीबी होती है वहां बच्चे भी ज्यादा होते हैं। यह थ्योरी है, इसको हम नहीं बतला सकते हैं, माननीय अन्न मंत्री जी माल मंत्री जी से पूछ लें हम यह कोशिश करने वाले हैं कि लोगों से कहें कि सरकार तो अन्न की समस्या को हल नहीं कर सकती है, लेकिन बच्चों की समस्या हमारे हाथ में है और हमने शुरू भी किया है। माल मंत्री जी हमारे बुड्ढे हुये। इसलिये मैं माननीय अन्न मंत्री जी से कहूंगा कि वह हमें वही रास्ता दिखायें जो कि पहले अन्न मंत्री जी दिखा गये हैं, अब आप भी वही दिखाएं।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि १९५२ से जब हम इस असेम्बली में आये हैं, तब से आज तक प्रतिवर्ष हम यही कहते हैं कि भूख से लोग मर रहे हैं, परेशान हैं,

[श्री गेंदासिंह]

बाढ़ आ गई है। यह कोई हमारे लिये ठेका नहीं है कि हर साल हम यह कहें कि हमारी तक्दीर में यह लिखा है। यदि हम झूठी बात कहते हैं तो सरकार को कहना चाहिये कि हम लोग झूठ बोलते हैं। अगर सरकार इस बात को मानती है कि हम सोलह आने न सही १२ आने और आठ आने तो सच कहते हैं, तो यह तो विचार करना चाहिये कि करोड़ों आदमी जो आधे पेट खाकर रहते हैं उनका कुछ प्रबन्ध हो। पहाड़ों पर ४–५ महीनों के लिये अन्न होता है, अगर पूरी फसल हो जाय। एक कमेटी सिविल सप्लाइज की तरफ से, '४९–५० में बिठाई गई थी। उसने देवरिया के एक हिस्से के लिये कहा था कि अगर यहां पूरी फसल हो जाय तो वह ४–५ महीनों के लिये पर्याप्त हो सकती है और अगर बाढ़ आ जाय तो उनका मरना ही है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो सरकार साबित कर दे कि हम झूठ बोलने वाले हैं, ताकि अखबार वाले भी समझ लें कि हम झूठे हैं और सरकार को बेकार ही बदनाम करने के लिये कहते हैं कि लोग भूखों मर रहे हैं, अकाल पड़ रहा है। अगर यह चीज है तो लोग समझ जायं कि यह लोग झूठे हैं और अगर हमारी बात में तथ्य है तो इसको दूर करने की कोशिश कीजिये।

आपकी जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं, उनके लिये हम यह नहीं कहते हैं कि आप उनको रोक दें। लेकिन पहले छोटी योजनाओं को लें। इसको भी एक योजना समझें कि लोगों को रोटी दे दी जाय, कम से कम इतना तो होना चाहिये। गोंडा में सिगनल के पास मालगाड़ी को रोक लिया गया और लूटा गया। और कहां लूटा गया? जहां पर पुलिस है और जिले का हेडक्वार्टर है। पांच बोरी चावल उतारे गये। डकैती किसी बड़ी सम्पत्ति पर नहीं डाली बल्कि उन्हें खबर थी कि मालगाड़ी में अनाज होगा। माल गाड़ी में और हो क्या सकता है, कोई अशर्फियां तो हो नहीं सकतीं, अनाज ही होगा। तो गाड़ी रोकी और पांच बोरे चावल के उतार लिये।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य के केवल पांच मिनट रह गये हैं।

श्री गेंदासिंह---बहुत अच्छा, तो सब से बड़ी बात तो यह है कि हम यह सोचें कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो करोड़ गरीब लोग बसते हैं उन के लिए कितना अनाज पैदा होता है और जो अनाज पैदा होता है वह खाने भर के लिए होता है या नहीं और बुलन्दशहर और सहारनपुर का गेहूं किस तरह से उनके पास पहुंच जाता है? अगर सेल्फ-सफिशियेंट हमारा सूबा हो भी गया तो फिर वह गेहूं उनके पास पहुंचे कैसे? ५, ६, ८ आने रोज पर तो आप टेस्ट वर्क करा रहे थे जिसमें साढ़े १२ हजार आदमी लगे हुये थे। अब वह टेस्ट वर्क भी बन्द करा दिया गया है जिसकी वजह से साढ़े १२ हजार आदमी फाकाकशी कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह---बारह महीने टेस्ट वर्क नहीं चला करते हैं।

श्री गेंदासिंह---मेरठ में अगर एक रुपया रोज पर भी आप टेस्ट वर्क चलवा दें तो मैं छोड़ कर चला जाऊंगा असेम्बली।

श्री चरणसिंह---इनसे (अन्न मन्त्री से) बातें कीजिए।

श्री गेंदासिंह---आप सुन लें, क्योंकि आपने जवाब दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मजबूर हैं वे ५, ६ और ८ आने रोज की मजदूरी पर काम करने के लिए। पर्चेजिंग कैपेसिटी और अनाज, दोनों सवाल हमारे सामने हैं। जब तक इन दोनों सवालों को हल करने की बात आप नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।

वक्त कम है इसलिए एक ही बात कहूं तो ज्यादा अच्छा है। अधिष्ठाता महोदय, एक बड़ी भद्दी बात होगी, लेकिन मैं कुछ सोचने अब ऐसा लगा हूं कि इस असेम्बली में ज्यादा

देर तक गरीबों की बात सुनी नहीं जा सकती। इसलिए भूखे ही भूखों का एक सूबा बनाया जाय तो अच्छा है। तीन, चार, पांच हिस्सों में हो जाय तो भूखे लोग तो भूखों की बात सुन सकेंगे। खाये-पिये लोग भूखों की बात नहीं सुन सकते। मैं एक मर्तबा इस हाउस में कह चुका हूं कि मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मेरठ, इन जिलों के चार, पांच भाई उस तरफ से बैठने वाले, इस तरफ के भी ले लिये जायं, तो कोई हर्ज नहीं और हमारी बहनें जो उधर बैठी हैं उनमें से भी दो एक को ले लीजिये, क्योंकि मानवता का ध्यान उनको अधिक रहता है, और फिर वे लोग पूर्वी जिलों में जाकर देखें और जैसे वे कहें, वैसे फिर कीजिए। मैं उस में नहीं जाऊंगा, अगर बुलाइयेगा, तो चला जाऊंगा लेकिन शर्त यह है कि वे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर के ही होने चाहिए।

अब अन्त में मैं कहूंगा कि सरकार का इस मामले में इम्तहान है कि कितनी खबरदार सरकार है। अल्मोड़े में हवाई जहाज से अनाज गिराने की जरूरत पड़ गयी। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि उन्होंने दिसम्बर और मार्च में खबर भी दी लेकिन तब भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। जब मौत हो गयी, तो हवाई जहाज से अनाज गिराने की जरूरत महसूस की सरकार ने। इस तरह से हमारी जान के साथ, हुजूरवाला, खिलवाड़ क्यों करते हैं? जिस जनता के द्वारा निर्वाचित हो कर यहां बैठे हैं उसके दुःख दर्द को सुनने को आपको फुर्सत नहीं है। तो फिर आप ही बतायें कि हमारे लिए क्या रास्ता है सिवाय इसके कि २, ४, १० मिनट आप से यहां आग्रह करें। उसके बाद फिर हमारे लिए आखिर कोई रास्ता है या नहीं? आप हम को जबरदस्ती दूसरा रास्ता न पकड़वाइये, यह हम आपसे आग्रह करते हैं।

हम आप से अन्त में यह निवेदन कर देना चाहते हैं कि अगर भूख से मौतें हुयीं, जो बिलकुल करीब हैं तो हमारा काम इस असेम्बली में नहीं होगा, बहस करना नहीं होगा इसके अलावा दूसरा कोई काम होगा। हथियारबन्दी वाला काम तो नहीं जानता, जानता तो था लेकिन अब उसको छोड़ दिया है, लेकिन इतना कहते हैं कि अगर भूख से मौतें हुईं तो हम आपका रास्ता चलना दूभर कर देंगे, अपने रास्ते पर आप को चलने नहीं देंगे। यह हम बहुत साफ कहे देते हैं कि अगर यह दुर्दशा हमारे सामने आयी तो यही रास्ता हमारे सामने है, क्योंकि हम पिछले पांच वर्ष तक लगातार रोते गाते रहे लेकिन उस रोने गाने की भी कोई सीमा होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी कहा है कि सिर्फ पश्चिमी जिले के पांच आदमी, कोई बड़ी कमेटी न हो, और दो एक उन में से भी, सात आदमियों की एक कमेटी बनाकर कुमायूं और पूर्वी जिलों में भेज दीजिये, और वे लोग जाकर कहें, वही कीजिये।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है कि आज यह पूरा दिन सदन का प्रदेश की खाद्य स्थिति पर विचार करने के लिए तय कर दिया जाय। इस प्रस्ताव के पक्ष में, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब चारों तरफ से भुखमरी की खबरें आती हों और जब आपने सुना कि माननीय गेंदासिंह जी जैसे सरल आदमी यह कहने लग गये . . .

श्री अधिष्ठाता—आप शार्ट में यह बतलाइये कि यह प्रस्ताव आप क्यों रखना चाहते हैं। लम्बा भाषण नहीं दिया जा सकता।

श्री राजनारायण—जी हां, बहुत शार्ट में कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जब उन के जैसे सरल आदमी भी धमकी देने लगे हैं तो शायद वे भी १० मई वाले हमारे सत्याग्रह से प्रभावित हो गये हों, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, क्योंकि हम घसीटकर कितनों को अपने में ले आयेंगे यह आप देखेंगे और इसका हमें गर्व है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की खाद्य परिस्थिति पर केवल दो घंटा वादविवाद हो जाने से ही समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका समय बढ़े। मैं समझता हूं कि आज खाद्य परिस्थिति प्रदेश की क्या है। मैं एक हफ्ते में इस प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमकर आया हूं और सारे सवालों से मेरी जानकारी है और मैं उसको पेश करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन जब सदन का समय बढ़ाया जाय और आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाय तब आप उसको प्रस्तुत करिये।

श्री राजनारायण—इसीलिए मैं यह सब कह रहा हूं कि सम्मानित सदस्य हमारे प्रस्ताव के पक्ष में आयेंगे। आज कीमतें किस तरह से बढ़ रही हैं? जो गल्ला किसानों के पास आज है उसकी कीमत घट रही है, लेकिन दो महीने के बाद फिर बढ़ेगी। इन तमाम मूलभूत परिस्थितियों पर विचार विनिमय नहीं हुआ है। मैं माननीय माल मन्त्री जी को ही संबोधन करना चाहता हूं क्योंकि उनको आंकड़े अधिक याद रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिंचाई के आंकड़े में प्रतिशत में कमी होती गयी या नहीं। तमाम बातों में आज कमी होती चली आ रही है। इन सब परिस्थितियों का खाद्य स्थिति पर असर पड़ता है। इसीलिए मैं नम्र निवेदन सदन से करता हूं कि यह सदन अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है अगर पूरा समय इसके लिए एलाट नहीं करता। अगर इस पर वाद-विवाद अभी समाप्त हो जाता है तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह विवाद हो रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हां, माननीय मन्त्रिगण के भाषण अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े निकल जायेंगे लेकिन कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक आदमी अच्छी तरह से सारी परिस्थितियों के बारे में बोले, दो घंटा भी बोले, तो हमको एतराज नहीं होगा। इसलिए मैं उस समय इस बात के लिए चुप रह गया था जब त्रिलोकी सिंह जी ने कहा था कि इसके लिए समय निर्धारित न किया जाय। अबाधि गति से लोग बोलें, जब बच्चे भूखे मर रहे हों, जब मातायें भूखी मर रही हों, लड़कियां बेची जाती हों, खाद्य परिस्थिति से बाध्य हो कर तब सिर्फ इस सदन में उस पर दो घंटे वाद-विवाद हो। क्यों नहीं इस पर दो, तीन दिन वाद-विवाद हो? इसलिए मैं आप से कहता हूं कि अधिक से अधिक समय आज इस खाद्य परिस्थिति पर विचार करने के लिए निश्चित होना चाहिए और एक दिन का समय तो होना ही चाहिए, इससे कम बिलकुल नहीं।

श्री अधिष्ठाता—(वित्त मन्त्री से) माननीय राजनारायण जी के प्रस्ताव के सम्बन्ध में आप कुछ कहना चाहते हैं?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मुझे, जनाब वाला, अभी चन्द मिनट हुए यह मालूम हुआ था कि इधर और उधर से आपस में गुफ्तगू होकर यह तय हो गया है कि चार बजे तक इस मसले पर गौर किया जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह—यह तय नहीं हुआ था, हमने कहलाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता—मुझसे भी कोई बात नहीं कही गयी कि यह मामला चार बजे तक चलेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझे यही मालूम हुआ था। अगर यह चार बजे तक चले तो कोई हर्ज नहीं।

श्री अधिष्ठाता---इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद ५ बजे तक जारी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया, विभाजन की मांग होने पर, घंटी बजायी गयी। प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और श्री अधिष्ठाता ने 'नहीं' की संख्या अधिक घोषित की।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप ने एक दफा 'हां', "नहीं" कहला लिया। उसके बाद घंटी बजायी और उस समय सरकारी पक्ष के तमाम लोग बाहर से आ गये हैं और सब मिल कर "हां" कह रहे हैं। यह आप का सरासर अन्याय है।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जाइये। जब तक दरवाजा नहीं बन्द होता तब तक सदस्यगण बाहर से आ सकते हैं। आप कृपा कर बैठ जाइये। मैं आर्डर करता हूं कि आप बैठ जाइये।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि इस खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद ५ बजे तक जारी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में---११९,

विपक्ष में---१७३।)

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैंने देखा कि जब प्रदेश में खाद्य स्थिति खराब हो, भिखमंगी बढ़ रही हो, वेश्याओं की तादाद बढ़ रही हो, रिक्शा चलाने वालों की तादाद बढ़ रही हो, डकैती, चोरी, कत्ल, राहजनी बढ़ती जायं और सरकार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अधिक समय नहीं देना चाहती हो तो ऐसी हालत में सदन में बैठना हम उचित नहीं समझते हैं। जब तक इस विषय के ऊपर माननीय मन्त्री जी का भाषण होता रहेगा तब तक हम बाहर रहेंगे।

(इसके पश्चात् सोशलिस्ट पार्टी के तथा कुछ अन्य सदस्य उठ कर चले गये।)

*सहकारिता उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, बहुत शोर गुल और बड़े विवाद के बाद यह सदन और यहां बैठे हुए सदस्य, सम्भवतः कल इस प्रदेश में प्रेस के द्वारा जो समाचार जायगा उस समाचार पर सब लोग आश्चर्य प्रकट करेंगे। खाद्यस्थिति पर बहस हुई और प्रदेश की सरकार की ओर से आंकड़े दिये गये कि खाद्य-स्थिति क्या है। सरकार ने यह बताया कि खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में आज इस प्रदेश में क्या किया जा रहा है। लेकिन हमारे विरोधी दल के कुछ भाइयों ने इस सदन के सामने चर्चा की अपने आने वाले सत्याग्रह की, कुछ धमकियां भी दी गयीं और कुछ चेतावनी भी दी गयी और यह बताया कि किस प्रकार पहाड़ी इलाके की और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की कमी है और वह कमी एक समय से है। वह कमी कैसे दूर की जाय सम्भवतः जितने लोग समाचार को पढ़ने वाले होंगे और जितने भाई ऐसे होंगे कि जिन्होंने यहां इस सदन के आज के विवाद को सुना, वे सब पायेंगे कि सदन के उन भाइयों की ओर से जिन्होंने यहां पर सत्याग्रह का जिकर किया या और बातों का जिकर किया एक भी सुझाव इस सरकार के सामने नहीं रख सके। यह सही है कि माननीय श्री रामजी सहाय ने और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों ने पूर्वी क्षेत्रों को कैसे पनपाया जाय, उनकी खाद्य और दूसरी समस्याओं को कैसे अन्त किया जाय, उनके सम्बन्ध में स्थायी रूप से क्या किया जाय वह कुछ कहने की चेष्टा की और इसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय गोविन्द सिंह जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

ने और नारायणदत्त जी तिवारी ने यहां कुछ कहने की चेष्टा की कि किस प्रकार इन क्षेत्रों का भला किया जा सकता है, लेकिन मैंने जैसा निवेदन किया, मुझे सचमुच इस बात का आश्चर्य हुआ कि खाद्यान्न संकट के सम्बन्ध में आज जो सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस में क्या बढ़ोतरी की जाय, कौन सी और नयी बातें की जायं। इसके लिए मेरे मित्रों ने कुछ भी रखने का कष्ट नहीं किया। बातें तो स्पष्ट सी ही हैं।

माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात का जरूर जिक्र किया और मैं उसके सम्बन्ध में चर्चा करना अपना कर्तव्य समझता हूं। उन्होंने कहा कि यदि १९५१-५२ के खाद्यान्न के आंकड़े लिये जावें तो पहली पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में ज्ञात होगा कि उसके द्वारा इस प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहने की चेष्टा की कि माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो यहां पर आंकड़ा दिया था कि १९५५-५६ में हमारे यहां खाद्यान्न की पैदावार में कुछ गिरावट हो जाने को लिया जाय तो वह आंकड़ा गलत सिद्ध होगा। मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करूंगा कि १९५१-५२ में इस प्रदेश में ८९,४४,००० टन अनाज पैदा हुआ। १९५४-५५ में १,१२,६७,००० टन हुआ।

श्री गेंदासिंह--सन् १९५०-५१ में और उसके पहले कितना हुआ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--वे आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है। सन् १९५५-५६ में यह खाद्यान्न केवल ९९,४९,००० टन रह गया। स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई उपस्थित होनी चाहिए। अभी हाल में केन्द्र के खाद्य मंत्री जी जैन साहब के बयान की चर्चा हुई और उसमें भी कहा गया कि हमारे पास इतने खाद्यान्न हैं कि राज्यों को परेशानी पैदा नहीं होगी। तो हम अवश्य इस स्थिति में हैं कि हम इस राज्य के सभी निवासियों को आपके द्वारा यह आश्वासन दे सकें कि खाद्यान्न की कमी इस प्रदेश में इस प्रकार की नहीं है कि जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि आज कोई भुखमरी की नौबत आ सके या इस प्रदेश के किसी अंचल का कोई व्यक्ति भूख से मर सके। मैं पिछले पांच वर्षों से देखता आया हूं और सम्भवतः सदन के और माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा। हमारे दुर्भाग्य से राजनारायण जी यहां मौजूद नहीं हैं वरना मैं उनसे भी कहता कि उन्होंने तो नहीं मालूम इस सदन में कितने मनुष्यों को भूख से मारा है और विरोधी दल के सदस्यों ने कई बार यहां यह सूचना दी कि इतने व्यक्ति भूख से मर गये। माननीय गोविन्द सिंह जी केवल इतना कह कर रह गये कि उन्होंने सुना है लेकिन निश्चित नहीं है। नारायणदत्त जी ने कुछ जड़ी-बूटियों के नाम लिये और एक का नाम शायद उन्होंने बनमरा लिया कि जिससे शायद वन मर जाता हो। तो मैं सदन से यह कह सकूंगा कि यदि कोई वनमरा को खावे या संखिया खावे तो इसका हमारे पास क्या उपाय है। अब वनमरा बुरी हो गई और सदियों से बुरी नहीं थी और आज ही सब से पहले यह अन्वेषण हुआ कि वह बुरी है। यह शायद मेरे खयाल से ठीक न हो। श्रीमन्, मैं आज आप के द्वारा निश्चय ही यह चीज सदन में रख सकूंगा कि यह सरकार निश्चय ही यह विश्वास करती है कि इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख द्वारा नहीं मरा। निस्संदेह यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव हो सकेगा, जहां तक मनुष्य के द्वारा सम्भव है, किसी भी शक्ति के द्वारा सम्भव है और जहां तक ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिये शक्ति प्रदान की है, इस प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को भूख के द्वारा मरने नहीं दिया जायगा।

जहां तक और दूसरे आंकड़ों की बात आयी, मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी हिचक नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी है और यह कमी ऐसी है कि जो सदियों से चली आती है। पहाड़ी क्षेत्र के इस अंचल के निवासी सदियों से यह जानते हैं कि उनके क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी है। उन्होंने जो जीवनक्रम सदियों से स्थापित कर रक्खा है वह खाद्यान्नों की कमी को एक प्रकार से पूरा करता है। वहां बहुत अर्से से काम धंधों की कमी है इसलिये वे वर्ष के कुछ महीने ही वहां उस अंचल में रहते हैं और जब शीतकाल आता है तो वे नीचे उतर आते हैं और दूसरे काम ढूंढ़ते हैं। यह भी सही है कि वहां की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौकरी

ढूढ़ने के लिये भारतवर्ष के दूसरे भागों में जाया करता है। इसके बारे में यहां तक कहा जा सकता है कि उनकी आबादी का आधा भाग हमारे प्रदेश और देश के दूसरे भागों में जाकर नौकरी करता है। लेकिन उनका जो यह जीवनक्रम बहुत दिनों से चला आता है उसमें कुछ व्यक्तिक्रम हो गया हो, ऐसी बात भी मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

पिछले पांच वर्षों में पहाड़ी इलाकों में खाद्यान्नों के मामले में बड़ी भारी कमी आ गई हो जिससे लोग भूखों मरने लगे हों, ऐसी भी बात नहीं है। पिछले पांच वर्षों में माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने बहुत से विषयों की यहां चर्चा की, लेकिन इस प्रकार खाद्यान्न के मामले में बहुत बड़ी भारी कमी पड़ गयी हो, ऐसी चर्चा उन्होंने कभी नहीं की। जहां तक मुझे सूचना है प्राकृतिक आपदाओं से पिछले तीन वर्षों से यह कमी अवश्य हुई लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो पहले कभी न हुई हो। यह बात सही है कि कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्नों की कमी पड़ी और कुछ विशेष कारणों से हम वहां खाद्यान्न नहीं पहुंचा सके और फिर जैसा कि बताया गया, हवाई जहाज द्वारा खाद्यान्न पहुंचाये गये और इस प्रकार से हमने उस अंचल के निवासियों को लाभान्वित करने की चेष्टा की।

श्री झारखंडेराय--अधिष्ठाता महोदय, मैं आप से एक व्यवस्था चाहूंगा। आपके द्वारा मैंने सरकार से कुछ समय बढ़ाने की प्रार्थना की और आधा घण्टा समय बढ़ाया गया। लेकिन मैं देखता हूं माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं और विरोधी पक्ष के दो ग्रुपों को, जिनके लिये समय बढ़ाया गया था, कोई समय मिलने की आशा नहीं है। मैं खयाल करता हूं कि माननीय मंत्री जी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे हैं। इसलिये इस विषय में मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और व्यवस्था चाहता हूं कि जिस सहूलियत के लिये हमने निवेदन किया था, जो सहूलियत हमको दी गई थी, उससे हम अब भी वंचित रह गये। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि आपके द्वारा हमारे ऊपर यह अन्याय है।

श्री अधिष्ठाता--आप का यह आक्षेप ग़लत है कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है। मैं तो समय की पाबन्दी कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं? अगर माननीय मंत्री जी कहें कि आधा घंटा समय और बढ़ा दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप का यह कहना कि मैं आपके साथ अन्याय कर रहा हूं, यह सरासर मेरे प्रति अन्याय है।

श्री झारखंडेराय--मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। मेरा आशय सिर्फ आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करने से था और मैं समझता हूं कि सरकार थोड़ा सा समय और बढ़ा दे तो वह उद्देश्य पूरा हो जायगा, क्योंकि विरोधी दल के दो गुटों को बिल्कुल ही समय नहीं मिला है। हमको सदन छोड़ने का कोई शौक नहीं है, यह मैं साफ़ कह देना चाहता हूं, लेकिन अगर हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होगा तो हम मजबूर हो जायेंगे कि सदन के बाहर चले जायं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप ऐसा प्रबन्ध कर दें जिससे उन दो गुटों के सदस्यों को भी बोलने का अवसर मिले।

श्री अधिष्ठाता--श्री झारखंडे राय जी, मैंने तो प्रस्ताव सदन के सामने रख दिया था और सदन ने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूं, मेरी मजबूरी है।

श्री झारखंडेराय--ऐसी हालत में हम यहां पर बैठने में अपने को असमर्थ पाते हैं।

(इसके उपरान्त कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अधिष्ठाता महोदय, हम लोगों को भी समय नहीं मिला है.....

श्री अधिष्ठाता--आपकी पार्टी को तो समय दिया गया था।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे--वह तो पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध के विवाद की बात थी। लेकिन बाद में मंत्री जी ने जब सारे प्रदेश की खाद्य समस्या की बात रखी और उसमें हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। तो चूंकि हम लोगों को बोलने से वंचित किया जा रहा है इसलिये हमारी पार्टी सदन छोड़ने के लिये बाध्य है।

(इसके बाद जनसंघ के सदस्य भी उठ कर चले गये।)

आचार्य दीपंकर--अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन तो छोड़ना नहीं चाहता लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि प्रगतिशील संसदीय गुट के एक व्यक्ति को भी बोलने का अवसर नहीं मिला है।

श्री अधिष्ठाता--क्या कर सकता हूं, मेरी मजबूरी है।

श्री त्रिलोकीसिंह--अधिष्ठाता जी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। चंकि माननीय वित्त मंत्री जी, उपनेता सदन, इस बात पर राजी हो गये थे कि आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय, तो यदि श्रीमान् को कोई आपत्ति न हो तो आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाय ताकि कुछ और लोगों को बोलने का मौका मिल जाय।

श्री अधिष्ठाता--जहां तक वित्त मंत्री जी का सम्बन्ध है, वे सामने बैठे हुये हैं। अगर वे आधा घंटा समय बढ़ाने के लिये राजी हो जायं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उनसे बातचीत कर लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं पहले ही अर्ज कर चुका था कि ४ बजे तक का वक्त है और इस पर कोई एतराज भी नहीं था। इसलिये जब वे कुछ मेम्बरान यहां से बाहर चले भी गये तो उनके हिसाब से अगर एक घंटे का भी समय बढ़ा दिया जाय तो वे तो बोल नहीं सकते। ऐसे अगर आप बढ़वाना चाहते हैं तो आप कहें।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं तो गुजारिश करता हूं कि साढ़े चार बजे तक का समय दे दें तो बड़ी सुविधा होगी और मैं इस सदन का बड़ा कृतज्ञ होऊंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं गवर्नमेंट की तरफ से अर्ज कर रहा हूं कि मुझे कोई एतराज नहीं है, आप आधा घंटा समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता--श्री त्रिलोकी सिंह जी, मैं यह समझूं कि यह हाउस का यूनैनीमस डिसीजन है या इसको हाउस के सामने रखूं?

श्री त्रिलोकीसिंह--यह तो यूनैनिमस ही समझा जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जब यह मसला सामने आया कि समय ४ बजे तक हो या ५ बजे तक और उस पर एक फैसला हो चुका और ऐसी सूरत में माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिये भी बुला लिये गये और वे जवाब दे रहे हैं। फिर बीच में प्रस्ताव हो रहा है और उसमें आधा घंटा बढ़ाने की बात हो रही है और यह सर्वसम्मति से ही हो भी जाय तो क्या मैं यह समझूं कि माननीय मंत्री जी के जवाब देने के बाद भी वे लोग बुला लिये जायेंगे जो यहां से चले गये हैं और फिर उनको मौका दिया जाय गा और कहा जायेगा कि आप इस पर बोलें? मेरी समझ में यह बात नहीं आती, इसलिये आप इस पर अपनी राय देने की कृपा करें।

आचार्य दीपंकर--मैं समझता हूं कि जैसा गौतम जी ने कहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह---चूंकि इस विवाद पर सदन का कोई निर्णय नहीं हो पाया है और यह जरूरी नहीं है कि विवाद के अन्त में कोई प्रस्ताव हो या सरकार का मिनिस्टर ही बोले। कोई मेम्बर भी बोल सकता है।

श्री अधिष्ठाता---मैं श्री त्रिलोकीसिंह से सहमत हूं। कोई भी सदस्य, चाहे सरकार की तरफ से चाहे विरोधी पक्ष की तरफ से, बोल सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, २० मिनट मेरे समय में से कट गये।

श्री अधिष्ठाता---आप ज्यादा समय न लीजिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ५ मिनट में आप समाप्त कर दें तो कुछ और लोग भी लाभ उठा सकेंगे।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---श्रीमन्, मैं आपके आदेश का पालन करने की चेष्टा करूंगा। मैं पहाड़ी इलाकों के सम्बन्ध में जिक्र कर रहा था और मैंने यह चर्चा की थी कि पहाड़ी इलाकों पर जो आये दिन विपत्ति है उससे यह सरकार परिचित है और इस सम्बन्ध में जो कुछ इस सरकार द्वारा किया गया उसका जिक्र माननीय खाद्य मंत्री द्वारा इस सदन के सामने आ चुका है।

एक बात यहां यह कही गयी थी कि पहाड़ी इलाकों में खाद्यान्नों के संकट को टालने के सम्बन्ध में आज जो फेयर प्राइस शाप्स या दूसरे किस्म की दूकानें चल रही हैं वह प्रायः सड़क के किनारे हैं और वह ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हैं। माननीय खाद्य मंत्री ने बताया था कि ३७८ दुकानें इस समय पहाड़ी इलाकों में काम कर रही हैं और ३२ गोदामों से या खाद्यान्न भंडारों से वितरण किया जा रहा है। मैं केवल इस सदन की सूचना के लिये बताना चाहता था कि यह जो गोदाम हैं वे प्रायः ऐसे स्थानों पर हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में या उनके बहुत निकट हैं और उन्हीं से सारी दूकानों पर खाद्यान्नों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। श्रीमन्, सरकार ने अब तक इस योजना के अन्तर्गत दस लाख ६२ हजार रुपया खर्च किया है और यह रुपया केवल उन दुकानों को सब्सीडाइज करने में व्यय हुआ है जिनसे कि सस्ता गल्ला बेचा जा सके। सरकार की ओर से अब तक ३ लाख ५४ हजार मन गेहूं बरता भी जा चुका है।

जहां तक पूर्वी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक निवेदन करना नहीं है; केवल इतना सा मैं यहां कह सकूंगा कि और योजनाओं के साथ साथ पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ खाद्यान्न भेजने की जरूरत है।

(इस समय ४ बज कर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, पीठासीन हुये।)

वहां की भी बहुत बड़ी योजना है जिस के अन्तर्गत अब यह जरूरी समझा जाता है और यह निस्संदेह सही है कि पूर्वी क्षेत्रों में भी स्थायी रूप से कुछ गोदाम बनाये जायं जिससे आगे कभी खाद्यान्नों का संकट यदि आये तो उसका मुकाबला किया जा सके। जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, इस समय सदन के सामने आंकड़े रखना मेरे लिये उचित न होगा क्योंकि यह तो माननीय मंत्री जी ने रख दिये हैं लेकिन इतना मैं सदन को बतलाऊंगा कि अब तक इन दूकानों के द्वारा पूर्वी क्षेत्र में २० लाख मन गल्ला दिया जा चुका है और आगे योजना है कि गोंडा तथा बहराइच को छोड़ कर सभी जिलों में निरंतर यह कार्य तब तक जारी रखा जायगा जब तक उनकी आवश्यकता रहे।

मैं बाध्य हूं कि श्रीमन् ने जो समय मुझे दिया है उसी के अनुसार मैं समाप्त करूं इसलिये केवल इतना कह कर मैं समाप्त करूंगा कि खाद्यान्नों के कारण जो परिस्थिति इस प्रदेश में उपस्थित हुई है यह सरकार समझती है कि वह किसी भी रूप में विषम नहीं है। पूर्वी अंचल की अपनी समस्याएं हैं या कुछ पहाड़ी इलाकों की समस्याएं हैं, वह सदा के लिये हैं या वह ऐसी हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

कि जिनका हल दूसरे तौर पर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये और यह सरकार उन पर विचार करेगी, क्योंकि जहां तक खाद्यान्नों या उनकी कमी से उत्पन्न संकट का संबन्ध है, मैं केवल इतना कह सकूंगा कि सदन को इस सम्बन्ध में निस्संदेह न चिन्तित होने की आवश्यकता है और न कहीं आवेश की आवश्यकता है। खाद्यान्न की परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसके सम्बन्ध में कहीं भी कोई चिन्ता प्रकट की जा सके। खाद्यान्न हैं। उनके वितरण का प्रबन्ध है। इस सम्बन्ध में सरकार सतर्क है सरकार के अधिकारी भी सतर्क हैं और जहां तक संभव हो सकेगा जहां जहां संकट आयेगा निस्संदेह उसका मुकाबला किया जायगा।

यदि मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से आपके द्वारा एक अन्तिम प्रार्थना कर दूं तो शायद अनुचित न हो। खाद्यान्न की स्थिति के सम्बन्ध में सभी ने स्वीकार किया कि सभी की समस्या है। उसमें यदि कहीं मेरे दल या दूसरे की बातें आएं तो शायद यह उचित नहीं होगा। जहां तक सदन के माननीय सदस्यों का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में मुझे निश्चय विश्वास हैं कि वह उत्तरदायी व्यक्ति हैं और वह अपने उत्तरदायित्व और दूसरे कर्तव्यों से भली-भांति परिचित हैं। जैसा कि उनकी वार्ता से इस सदन के सामने स्पष्ट हुआ। लेकिन इतना कहना सम्भवतः अनुचित न हो, मैं उनसे केवल यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की खाद्यान्न की परिस्थिति को किसी प्रकार भी एक राजनीतिक क्षेत्र पर ला कर खड़ा किया जाय या कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा करना चाहता हो तो शायद सदन के सभी सदस्य अपना कर्तव्य समझेंगे कि उसका मुकाबला किया जाय और उसको राजनीति की समस्या बनने से रोका जाय।

श्री त्रिलोकीसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं श्रीमन् का और इस आदरणीय सदन का बहुत कृतज्ञ हूं कि इस वाद-विवाद के समय के बढ़ाने की कृपा की गयी।

यह बात सही है कि खाद्य की समस्या कोई राजनीतिक समस्या नहीं है और न इस समस्या को कोई दलबन्दी का शिकार बनना चाहिए, लेकिन, श्रीमन्, यह बात सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश का एक तिहाई हिस्सा ऐसा है कि जो खाद्य के लिहाज से डेफिसिट एरिया है, जिन इलाकों में नहीं पैदा हो पाता है कि जो वहां के रहने वालों की आवश्यकता को पूरा कर सके। बाराबंकी इतना अन्न जिले से पूर्व देवरिया तक, बलिया तक जितना इलाका है, पर्वतीय प्रदेश का जितना इलाका है वह सब का सब डेफिसिट एरिया है। वहां इतना अन्न नहीं पैदा होता है कि वहां के लोगों की जरूरत पूरी हो सके। यह, श्रीमन्, कोई नयी बात नहीं है। बड़ी पुरानी बात है। वर्षों की बात है। और मैं तो यह आशा करता था माननीय खाद्य मंत्री से कि वह यह बतलायेंगे कि इस डेफिसिट को दूर करने के लिए जो खाद्यान्न की कमी इन इलाकों में है उसको दूर करने के लिये स्थायी रूप से क्या ऐसा उपाय किया गया कि ऐसी दुर्घटना आगे न हो। गल्ला कहीं हवाई जहाज के जरिये पहुंचाया गया, कहीं मोटर से, कहीं रेलगाड़ी से। यह एक चीज है। लेकिन यह तो एक परपीटुअल सोर है, यह एक नासूर है हमारे यहां खाद्यान्न की कमी का और उस कमी को, श्रीमन्, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि यदि हम स्थायी रूप से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न नहीं करते और जब अकाल हो तब हम दौड़ें, तो हमें कामयाबी नहीं हो सकती। पूर्वी जिलों में अन्न की कमी या पहाड़ी जिलों में अन्न की कमी कोई नयी बात नहीं है और इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस सरकार से कि वह इस समस्या को इस तौर पर हल करने का प्रयत्न करे कि जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का मौका ही न आये। बाढ़ आयी। अगर बाढ़ न भी आती अगर ओला या पत्थर न गिरता, या पानी की कमी न होती तो भी हमारे प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अन्न की कमी रहती है। तो यह बात पहले से सोचने और समझने की है।

इसके लिये प्लानिंग की करोड़ों रुपये की योजनायें हैं और यह सही है कि उन योजनाओं के अन्तर्गत कुछ ऐसे इलाकों में जहां सिंचाई के साधन नहीं थे और डेफिसिट एरिया हैं वहां भी सिंचाई का प्रबन्ध किया गया, तालाबों से, बड़ी-बड़ी झीलों में बांध-बांध कर और कुछ ट्यूब वैल्स के द्वारा। लेकिन यह काम इतना ही हुआ है कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। १ फ़ीसदी भी इलाका पूर्वी प्रदेश में जो पहले से अनइर्रीगेटेड था उसको १० साल के प्रयत्न में इर्रीगेट नहीं किया जा सका। यह मैं आंकड़ों के रूप में पेश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं। लेकिन अपने अनुभव की बिना पर और जिसको मैं अपने आंकड़ों से साबित कर सकता हूं कि जहां तक पूर्वी जिलों का ताल्लुक है जहां खाद्यान्नों की कमी है। जहां क़हत की सूरत है वहां के इर्रीगेटेड एरिया में जितना पहले था उसमें १ फ़ीसदी, बहुत हुआ तो २ फ़ीसदी का इजाफ़ा हुआ होगा। जरूरत इस बात की है कि इस स्केयरसिटी के प्रश्न का कोई फौरी हल ढूंढ़ निकाला जाय। और वह इस तरह निकाला जा सकता है कि वहां इर्रीगेशन की फेसिलिटीज़, आबपाशी के इलाके में इजाफा किया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि जो सरप्लस एरियाज हैं वहां से अन्न ऐसे इलाकों में पहुंचाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे कहत की सूरत पैदा न हो सके। सरकार किसी भी प्रदेश की हो, या देश की हो, जो अपने को जिम्मेदार ठहराती है वह यह बहाना नहीं कर सकती कि जब अकाल हो गया तब उसे मालूम हुआ। यदि ओले की वृष्टि हुई थी, यदि बाढ़ आयी थी, यदि वहां पानी नहीं पहुंचा था तो उसका अन्दाजा ऐन वक्त पर नहीं कम से कम ६ महीने पहले से होना चाहिये। जिम्मेदार सरकार का यह कर्त्तव्य है।

कहा गया कि अल्मोड़ा में हवाई जहाज से अनाज पहुंचाया गया। जब वहां लोग भूखों मरने लगे क्या सरकार को तब इत्तला हुई कि अगर वहां मोटरों से अनाज पहुंचाया जाता तो देर में पहुंचता इसलिये हवाई जहाज से पहुचाने की जरूरत पड़ी ? मैं नम्रता-पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह इस बात का द्योतक है कि सरकार को अन्न की कमी की खबर तब मिलती है जब लोग भूखों मरने लगते हैं जब बाजार में अनाज नहीं रह जाता, जब अनाज की कमी इतनी होती है कि वहां के रहने वालों को उनकी जरूरत के लिहाज से, उनकी आवश्यकतानुसार उनको अन्न नहीं प्राप्त होता।

मैं सरकार की योजना में, उनकी कोशिश में जो सबसे बड़ी कमी पाता हूं वह यह है कि उसको यह नहीं पता कि स्केयरसिटी की कंडीशन कैसे हुई, क्यों यह नौबत आयी। और यदि अकाल की कोई कंडीशन थी तो उसके पहले से कोई इंतजाम ऐसा होना चाहिये था और अकाल होने के पूर्व ही यह अन्दाज करना चाहिये था। तो मैं बहुत नम्रतापूर्वक, श्रीमन्, इस आदरणीय सदन से और मंत्रियों से, जिनके ऊपर इस राज्य के कार्य के संचालन का भार है, यह निवेदन करूंगा कि यह जो चुट-पुट इलाज है कि हजार मन गेहूं भेज दिया या १ लाख मन गेहूं सरकारी गोदाम में जमा है, इससे काम नहीं चलने का। सिंचाई की सुविधा डेफिसिट एरियाज में बढ़ाइये, वहां और कोई रोजगार ऐसा दें जिससे वह अन्न की कमी को पूरा करने के लिये बाहर से सामान खरीद सकें। इन इलेक्शंस के दिनों में मुझे इत्तिफाक पड़ा और मेरी सरसरी निगाह द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर पड़ी। प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग और मार्केटिंग तीन बड़े-बड़े शब्द उसमें लिखे हुये हैं। योजना बने सवा साल से ऊपर हो गया। लेकिन उसका कोई भी पहलू दिखाई नहीं पड़ा। मैं भी इस बात का हामी हूं कि इस बात की व्यवस्था सरकार की तरफ से हो कि जो डेफिसिट इलाके हैं वहां अन्न पहुंचाया जा सके। नार्मल चैनल्स बाजार के अलावा जब अन्न की दिक्कत हो तो वहां सहकारी समितियां खोली जायं।

जब तक, श्रीमन्, इस तरह की व्यवस्था न की जायगी तब तक हमारे प्रदेश की खाद्य की समस्या हल नहीं हो सकती। यही कारण है कि जब हर साल देखा गया कि किसी न किसी इलाके में भुखमरी है, फसल के खराब होने का अन्देशा है, कितनी फसल खराब हुई

[श्री त्रिलोकीसिंह]

है इसका सबसे बड़ा सबूत माल मंत्री से मिल सकता है कि उन्होंने लगान में कितनी माफी दी। इस सिलसिले में मैं बहुत नम्रतापूर्वक माल मंत्री, जो इस वक्त यहां मौजूद हैं, स्केयरसिटी के भी मंत्री हैं, यह कहूंगा कि जब कभी लगान में ओले से, बाढ़ से या फसल के खराब होने से छूट होती है अगर रबी की फसल है तो उसकी छूट होगी ५ महीने के बाद और माल मंत्री स्वयं बतलायेंगे कि ये जितनी मंजूरियां उन्होंने दी हैं छूट की, लैंड रेवेन्यू में ये आंकड़े खरीफ की फसल के हैं या रबी की फसल के हैं।

आज हमारे प्रदेश में जो कमी है उसमें खरीफ की फसल इतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी चैत्र और बैसाख के महीने में रबी की फसल है। जो लगान वाजिबुलअदा १५ मई और जून के महीनों में होता है उसमें मेरा निजी अनुभव है कि उसकी छूट ६ महीने के बाद, अगले दिसम्बर के महीने में मिलेगी। तो मैं माल मंत्री और इस सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जो स्केयरसिटी एरियाज हैं वहां यह हुकुम दिया जाय कि जो लोग कर्जदार हैं या जिनको तकावी दी हुई है उसकी वसूलयाबी खेतिहर लोगों से फौरन बन्द की जाय और बाद को वह माफी दे सकते हैं, यह जानकर कि वहां कितनी माफी होनी चाहिये।

दूसरी बात यह होनी चाहिये कि खरीफ की बुवाई के लिये और रबी की फसल की तैयारी के लिये किसान मवेशी खरीद सकें, हल बना सकें उसके लिये तकावी नाम मात्र के सूद पर या बगैर सूद के दी जाय।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अधिष्ठाता महोदय, आज जो माल विभाग...

एक ही दिन अधिष्ठाता मण्डल के दो सदस्यों के सभापतित्व पर आपत्ति

श्री गोविंद नारायण तिवारी (जिसा जालौन)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है श्रीमन्, कि अभी तक सदन की सदारत श्री बेचन राम जी कर रहे थे। उसके बाद, श्रीमन् ने आसन ग्रहण किया। तो मेरा निवेदन यह है कि एक ही दिन पैनल के दो मेम्बर्स को सदारत करने का अख्तियार नहीं है। श्रीमन्, हम प्रक्रिया नियमावली के रूल ७ पर रिलाई करते हैं। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ दूं :—

"As soon as may be after the commencement of every session the Speaker shall nominate from amongst the members of the Assembly a panel of not more than ten members, any one of whom may preside over the Assembly in the absence of the Speaker and the Deputy Speaker, when so requested by the Speaker, or, in his absence, by the Deputy Speaker."

तो यह तो श्रीमन्, इसमें प्रावीजन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की ऐबसेंस में पेनल का सदस्य प्रिसाइड करेगा, यह नहीं है कि पेनल के सदस्य की ऐबसेंस में पेनल का सदस्य प्रिसाइड करेगा। इसलिये श्रीमन्, वह हमारा बुनियादी जो वैधानिक प्रश्न है, वह तो अपनी जगह पर है। अब यह प्वाइन्ट मैं सबमिट करता हूं कि पेनल का सदस्य अगर एक दिन बैठेगा स्पीकर की इजाजत से, तो उसी दिन, उसी दिन के सेशन में दूसरे पेनल के सदस्य को इस आसन पर आसीन होने का अधिकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—मैं इसके बारे में भी अभी आप से कहूंगा, कि माननीय अन्न मंत्री जी बोल रहे हैं पहले वह अपना भाषण जारी रखें।

राज्य की और विशेष रूप से पहाड़ी जिलों की खाद्य-स्थिति पर विवाद (क्रमागत)

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अधिष्ठाता महोदय, जहां तक आज फूड प्राब्लम के ऊपर बहस हो रही थी उसके ऊपर ज्यादातर तकरीरें ऐसी हुई हैं कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि बिलकुल जजबाती तकरीरें हैं, सिवाय एक तकरीर के कि जो आखिर में हमारे विरोधी दल के नेता ने अभी की है। उन्होंने तो जो स्थिति सूबे की है, उसकी तरफ तवज्जह दिलाई और उसका हल भी कुछ पेश करने की कोशिश की, मगर और तकरीरें जो हुई हैं उनसे तो ऐसा मालूम होता है जैसे हमारे सूबे में कोई इस किस्म की भुखमरी मची हुई है कि बकौल बाज मेम्बरान के, बच्चे भी मर रहे हैं, औरतें भी मर रही हैं, लड़कियां भी बेची जा रही हैं, वेश्याओं की तादाद बढ़ रही है, सभी इस किस्म की बातें हमारे सूबे में मची हुई हैं और हमें इसकी खबर नहीं है। जाहिर है कि ऐसी तकरीरें जो हुई हैं वह तो सिवाय इसके कि उनकी कुछ प्रोपैगेंडा वैल्यू हो, वरना और कोई असलियत उनमें सरेदस्त नजर नहीं आयी।

जैसा मैंने शुरू में अपने बयान में अर्ज किया, सूरतेहाल यह है कि पहाड़ी इलाके और जो हमारे पूर्वी अजला हैं ११ अजला उनमें अर्से से कमी चली आती है और उसकी प्राब्लम को हम बराबर हल करने की कोशिश करते रहे हैं। इधर चूंकि ५४–५५ में काफी पैदावार हो गयी थी, जैसा मैंने खुद बयान किया, इसपर सरकार को इस बात की जरूरत पड़ी कि वह प्राइस को कायम रखने के लिये, अनाज की कीमत ज्यादा न गिरने पाये, उसको खुद कार्यवाही करनी पड़ी। तो इससे जाहिर होता है कि यह प्राब्लम हल हो सकती है। यह तो इत्तफाकी कैलेमिटीज हैं, ज्यादा बाढ़ आ गयी, ओला गिर गया, गलत वक्त के ऊपर हवायें चल गयीं, जिसकी वजह से हमारे यहां की अनाज की जितनी पैदावार होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई, इस वजह से इन सूरतों का हमको सामना करना पड़ा।

बहरहाल उसके लिये क्या-क्या तदाबीर की जायं, क्या-क्या सूरतें अख्तियार की जायं, यह मसला आज जेर गौर था और यही एक ऐसी चीज थी, जिसके ऊपर तवज्जह इस सदन की ज्यादा होनी चाहिये। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि ज्यादातर तवज्जह इन बातों पर जोकि वाकई सूरतेहाल पैदा हो गयी है, उस पर नहीं की गयी, बल्कि एक आम बहस कि जैसे कोई कयामत आ गयी सूबे में, कुछ सूबे में पैदावार ही नहीं हुई, न पैदावार की तरक्की हुई, न जमीनें नयी तोड़ी गयी हैं, या इरिगेशन की सहूलियतें बहम पहुंचायी गयी हैं, यह सब कुछ नहीं हुआ है इस रूप से सारी तकरीरें हाउस में हुईं। बहरहाल मैं यह जानता हूं कि कि जहां तक हमारे बाज अजला हैं उनमें अनाज कम होता है, वहां की जनसंख्या ज्यादा है और उन जिलों में जो भाव है, अनाज का वह उन अजला के लिये काफी नहीं है। मगर जहां तक सूबे की सूरत है, पूरे सूबे की हालत देखी जाय तो कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारा सूबा डेफीसिट है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। हमारी पूरी कोशिश है और जैसा कि हमारे बड़े नेता जवाहरलाल जी बार-बार दुहराते हैं कि हमें अपने ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बहुत ज्यादा बढ़ाना है और इसके लिये हम थोड़ी सी कोशिश करें और ऐसे जराये अख्तियार करें, जिससे हमारे खेतों में जितनी पैदावार होती है, उसकी पर एकड़ पैदावार बढ़ जाय तो हम इस कमी को यकीनन आसानी के साथ पूरी कर सकते हैं। हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं कि वहां एक एकड़ की पैदावार हमारे यहां से कहीं ज्यादा है। इसलिये कोई वजह नहीं है कि अगर हमारे यहां भी सही तरीके अख्तियार किये जायं तो जितनी जमीन हमारी जेरकाश्त है उसी में ड्योढ़ी या सवाई पैदावार कर सकते हैं। अगर हम इतना कर लेंगे तो यकीनन हमारे यहां जो कमी है, वह पूरी हो जायगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

एक चीज और देखने की है कि हमारे यहां कमी इस वजह से नहीं है कि सूबे में जो पैदावार है वह काफी नहीं है बल्कि वाकया यह है कि हमारे यहां का बहुत सा अनाज दूसरे सूबे जैसे बिहार और मध्य प्रदेश वगैरा में चला जाता है और उसका असर पड़ रहा है। पूर्वी जिलों में जो अनाज पैदा हुआ है, वह काफी है, कितना है, यह अंदाज नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो अनाज वहां पैदा होता है उसका बहुत कुछ हिस्सा ऐक्सपोर्ट होकर बिहार वगैरा चला जाता है और हम कोशिश कर रहे हैं और हम अपने गोडाउन्स बना रहे हैं और इतना अनाज रख रहे हैं कि किसी वक्त अगर कोई सूरत पैदा होगी तो उससे हम अपनी जरूरत पूरी कर सकेंगे। हम इस कोशिश में हैं कि हमारे यहां पैदावार बढ़े और कमी बाकी न रहे। ऐसी हालत में यह कहना कि हमारे सूबे में भुखमरी है और बंगाल जैसा अकाल पड़ने वाला है यह खिलाफ वाकया है और इस किस्म का कोई अंदेशा नहीं है बल्कि जो नई पैदावार है उससे मालूम होता है कि खलिहानों से अनाज के आने पर हमारी जरूरत पूरी हो जायगी। मैं यकीन करता हूं कि माननीय सदस्यों को इत्मीनान हो गया होगा कि हमारे सूबे की अनाज की स्थिति ऐसी खराब नहीं है जैसी कि बाज-बाज तकरीरों में सदन के सामने पेश की गई है।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन के पूर्व अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के, एवं एक ही दिन अधिष्ठाता मण्डल के दो सदस्यों के सभापतित्व पर आपत्ति

श्री अधिष्ठाता—माननीय गोविन्द नारायण तिवारी जी ने दो प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाये हैं। एक तो यह कि "पैनल आफ प्रिसाइडिंग आफिसर्स" कांस्टीट्यूशनली गलत है, बेजा तरीके से बनाया गया है और रूल्स के मुताबिक नहीं है। दूसरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि पैनल का एक प्रिसाइडिंग आफिसर उठ जाय तो उसके बाद, उसी वक्त या उसी रोज दूसरा मेम्बर प्रिसाइड नहीं कर सकता है। इसके बारे में तो मैं रूलिंग दूंगा। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने फरमाया था कि पहले प्वाइन्ट आफ आर्डर के बारे में वे अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इसलिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अपने ख्यालात का इजहार करें।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, आज सुबह इस सदन के सामने एक कानूनी बहस संविधान के एक आर्टीकिल की बिना पर उठाई गई। मैं महज इस गरज से कि मेम्बरान की याद ताजा हो जाय, जो बात उठाई गई उसको दोहराये देता हूं। उसके बाद जो उसका जवाब है वह मैं अर्ज कर दूंगा। यह प्वाइंट आफ अर्डर उठाया गया कि संविधान के अनुच्छेद १८० के मुताबिक पैनेल आफ चेयरमैन काम नहीं कर सकता। उसका सब-क्लाज (२) जो अंग्रेजी में है उसको मैं याददहानी के लिये पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"During the absence of the Speaker from any sitting of the Assembly the Deputy Speaker or, if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the Assembly, or, if no such person is present, such other person as may be determined by the Assembly, shall act as Speaker."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खुलासा जनावबाला की राय का जो है वह यह है कि पैनेल आफ़ चेयरमैन के मेम्बर्स प्रिसाइड कर सकते हैं इसकी रू से उस वक्त जबकि डिप्टी स्पीकर या स्पीकर हाउस से बाहर हो, हाउस में मौजूद न हो, लेकिन यह जरूरी है कि एग्जिस्ट करता हो इस हाउस से बाहर और उसका ऐबसेंस इस हाउस से हो ।

इस वक्त यहां की जो मौजूदा हालत है वह यह है कि डिप्टो स्पीकर का अभी कोई चुनाव नहीं हुआ यानी कोई डिप्टी स्पीकर इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। सारा जोर इसमें इन अल्फाज पर है "if he is also absent"। जो मेरी गुफ्तगू उनसे हुई उसमें उन्होंने मुझे समझाया कि "एब्सेंट" लफ्ज का इस्तेमाल तो उस चीज को निस्बत कर सकते हैं जो दुनिया में मौजूद तो हो, लेकिन वह जगह पर मौजूद न हो। तो मैंने उनकी बात को सुनने के बाद यह सोचा कि संविधान हो या कोई और कानून हो, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं किसी जबान के, तो जहां कानून का यह मकसद हो कि किसी लफ्ज के माने कोई विशेष हों तो उस लफ्ज को उस कानून में डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने देखा कि इस कांस्टीट्यूशन में कहीं "ऐब्सेंट" लफ्ज के कोई माने नहीं दिये गये हैं। तो ऐसी हालत में जो अंग्रेजी जबान की डिक्शनरी में इस लफ्ज के माने लिखे हों वही समझे जाने चाहिये।

मैंने आक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखा। इसके अन्दर "ऐबसेंट" के माने दो लफज लिखे हुये हैं। एक तो "नाट-प्रेजेन्ट" और दूसरे "नान-एक्जिस्टिंग"। अब "नान-एक्जिस्टिंग" भी "ऐब्सेंट" के अन्दर शामिल है। तब इस आर्टिकिल के अन्दर भी 'ऐबसेंट' के माने यही हो गये कि "नाट-प्रेजेन्ट' हो और "नान-इक्जिस्टिंग" भी हो यानी पैदा ही न हुआ हो तब भी यह प्राविजन ऐक्ट करेगा और उनके ऐबसेन्स में अधिष्ठाता जो होंगे वह काम कर सकेंगे। इस पर और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन वह मैं इस वक्त नहीं कहता। सिर्फ इसी लफ्ज पर ही कहता हूं, क्योंकि सारा बर्डेन उनका और उनके आर्गूमेंट का इसी लफ्ज पर है।

"इन दि ऐबसेंस आफ" में "नाट-प्रेजेन्ट" ही नहीं बल्कि "नान-एक्जिस्टिंग" जो है वह भी "ऐब्सेंट" है। लिहाजा दोनों एक ही तारीफ में आते हैं और हम उससे यह काम ले सकते हैं। बस इतना ही मुझे इसके मुताल्लिक अर्ज करना है।

श्री गोविंदसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक और व्यवस्था चाहता हूं। मैं आपको तवज्जह एक दूसरे आर्टिकिल की तरफ दिलाना चाहता हूं। जहां पर यह सवाल उठा है। वह इसी के पैरेलल चलता है यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल के सिलसिले में, यानी इस चेयर पर बैठने का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हक है। जब स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का सवाल आता है तो उसमें जिस साहब के खिलाफ वह प्रश्न होता है वह उस वक्त प्रिसाइड नहीं कर सकता। ऐसी हालत में, इस पैरेलल को लेते हुये और कांस्टीट्यूशन के उस आर्टिकिल को देखते हुये, क्या पैनेल के किसी सदस्य को अधिकार हो सकता है कि वह इस वक्त इस मामले में, अपने मामले में उसके मुआफिक या खिलाफ फैसला दे? इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

दूसरी बात, जो माननीय वित्त मन्त्री जी ने "ऐबसेंट" शब्द का अर्थ बताया, मैंने एन-साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका जो आक्सफोर्ड डिक्शनरी से बड़ा है उसको पुस्तकालय में देखा है। उसमें 'ऐबसेंट" के अर्थ इस तरह से डिफाइन्ड हैं "दि फैक्ट टु बि अवे आइदर इन बाडी आर इन माइन्ड।" (The fact to be away either in body or in mind) मेरा ख्याल है कि माइन्ड से तो अवे मैं नहीं मानूंगा, लेकिन बाडी से तो अलग होने का सवाल है। डिप्टी स्पीकर बाडीली प्रेजेन्ट ही नहीं है। तो ऐसी हालत में यह अर्थ जो माननीय वित्त मंत्री ने किया है वह एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका मंगाकर देख लिया जाय।

श्री गोविंद नारायण तिवारी (जिला जालौन)--अधिष्ठाता महोदय, माननीय उपनेता सदन ने बड़ी योग्यता से संविधान के इंटरप्रिटेशन करने की चेष्टा की । मगर मैं उनसे आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि आर्टिकिल १७६ को भी जरा पढ़ें । आर्टिकल १७६ को पढ़ने से यह मालूम होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक ही साथ एग्जिस्ट करेंगे । इसके (बी) में आप देखें:

"(*b*) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office."

सवाल यह पैदा होता है कि आज इस सदन के अध्यक्ष महोदय, माननीय आत्माराम गोविन्द खेर इस्तीफा देना चाहें, तो क्या इस कांस्टीट्युशन में कोई गुंजायश है इस्तीफा देने की ? ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी मरजी के विरुद्ध, उनकी तकलीफ के बावजूद, अपनी इच्छा के विपरीत, वह यदि इस्तीफा देना चाहे तो न दे सकें । तो संविधान में जो आर्टिकिल १७६ दिया हुआ है उसके माने यह हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस सदन के, जो इस संविधान द्वारा निर्वाचित होते हैं, वह कोएग्जिस्ट करेंगे, एक ही समय । एक ही समय उनका एक्जिस्टेंस होगा । तो इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान आर्टिकिल १७६ की ओर आकर्षित कर रहा हूं ।

दूसरी बात यह है कि माननीय उपनेता सदन ने अपने पक्ष में केवल एक दलील दी और उसके लिये किसी एक डिक्शनरी की सहायता ली । वह समझते हैं कि केवल डिक्शनरी की डेफनीशन से ही उनका पक्ष सबल हो गया है । ऐसा है नहीं । श्रीमन्, इस पर ध्यान दें । यह शब्द "ऐबसेन्स" दो सेंस में यूज किया जाता है । जहां यह 'नान-एक्जिस्टेंस फार दि टाइम बीइंग' के सेन्स में इस्तेमाल होगा वहां यह एबसेन्स के सेन्स में इस्तेमाल हो सकता है लेकिन जहां यह 'नान-एक्जिस्टिंग ऐट आल' के सेन्स में इस्तेमाल होगा वहां यह 'एबसेन्स' कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता । इसकी बेटर डेफिनिशन हमारे मित्र ने जो एसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका की बतलाई है, वही है ।

मैंने यह सवाल इसलिये उठाया कि विधेयक पर विधेयक आ रहे हैं, १५ अप्रैल से लेकर ३० अप्रैल तक । जनता का हजारों रुपया इस कार्यवाही में खर्च होता है । अगर इस सदन की कार्यवाही अल्ट्रावायर्स हों, अगर इस सदन की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में जाने पर रद्द हो जायं, तो आप ही देखिये, अभी एक विधेयक का यह हाल हुआ, आगे पता नहीं क्या हो, इसलिये मैंने अपनी जिम्मेदारी इस बात की समझी कि इस बात को सदन के सामने रख दूं, इसलिये कि इस सदन के मंत्रीगण, सदन, उसके सदस्य और इस सदन के अध्यक्ष महोदय अथवा अधिष्ठाता महोदय सब, इसके प्रति जागरूक रहें और सर्तक रहें ।

मैं एक बात और अर्ज कर दूं । मुझे लाइब्रेरी में इंटरप्रिटेशन आफ स्टैट्यूट की कोई अथारिटी तो नहीं मिली, मगर एक सिम्प्लेस्ट अथारिटी है और वह यह कि किसी स्टैट्यूट में कोई वर्ड इंपोर्ट न किया जाय, बिल्कुल सिम्पिल मीनिंग जो कि उसके हैं, वह किये जायं । यह सब से सरल कायदा किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने का है । तो मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्री ने ऐसी कोई अथारिटी तो श्रीमन् के सामने कोट नहीं की, तो इस लिये आर्टिकिल १७६ पर गौर करते हुए और आर्टिकिल १८० के प्लेन वर्ड्स पर गौर करते हुए श्रीमन् यह फैसला दें । सदन के सामने यह एक कांस्टीट्यूशनल सवाल है । सदन इतने दिनों तक बैठता रहा । इसकी प्रतिक्रिया बाहर क्या होगी, इस पर विचार करना है । इस वजह से हमारा निवेदन यह है कि आज इसके ऊपर फैसला न हो तो फिर कल हो सकता है, क्योंकि मैं यह जानता हूं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जज यदि अपना माइन्ड मेक अप नहीं कर पाते तो वह फिर

बाद को उस पर जजमेंट देते हैं। अगर इस पर आज ही फैसला देना हो तो दूसरी बात है, लेकिन यह एक लफ्जी लड़ाई का सवाल नहीं है। एक टैक्नीकल बात के कारण यहां इस सदन के एग्जिस्टेन्स के बारे में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिये हम अपने पक्ष के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद १७९, १८० को पेश करते हैं। माननीय वित्त मन्त्री ने जो चेम्बर्स डिक्शनरी से 'एबसेन्स' का इन्टरप्रिटेशन किया है वह 'नाट एग्जिस्टिंग एट आल' के अर्थ में आता है। इसलिये हमारा जो आबजेक्शन है वह उससे मीट नहीं होता।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)--एक लफ्ज 'एबसेन्स' पर बड़ा जोर दिया गया। कोई पोस्ट वैकेन्ट है, उसके लिये सवाल ऐबसेन्ट का नहीं आता है। अब यहां पर दो पोस्ट हैं। एक स्पीकर की और दूसरी डिप्टी स्पीकर की। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट का अभी तक अप्वाइन्टमेंट नहीं हुआ है। इसलिये वह पोस्ट वैकेन्ट है। जो चीज वैकेन्ट है उसके लिये एबसेन्ट का प्रश्न नहीं पैदा होता है। तो जो चीज इस समय प्रेजेन्ट है वह स्पीकर की है। उसके बाद एक पैनल आफ चैयरमैन हैं। इसलिये जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अभी तक वैकेन्ट है उसके लिये ऐबसेन्ट का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इस समय स्पीकर ही नियुक्त हैं तो उनकी अनुपस्थिति में पैनल आफ चैयरमैन में से कोई प्रिसाइड कर सकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--माननीय सिंह साहब ने यहां 'ऐबसेन्ट' शब्द की परिभाषा करके 'वैकेन्ट' शब्द से मिला कर मुझे मालूम नहीं अपना काम हलका किया, मैं समझता हूं, उन्होंने अपने को और उलझा दिया। परन्तु जरा इसको देखा जाय तो संविधान में आर्टिकिल १७८ से लेकर १८२ तक इस समस्या का समाधान दिया गया है। आर्टिकिल १७८ तो कहता है कि:

"Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly, shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be."

यहां पर एक व्यवस्था का प्रश्न उठता है और वह यह है कि कोई भी विधान सभा इस संविधान के विपरीत किसी भी नियमावली का निर्माण नहीं कर सकती है और अगर वह करती है तो वह अवैध है। इसमें लिखा है कि--

". . . . . choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speaker there of and,....."

वह दो मेम्बर तक चुनेगा, एक स्पीकर होगा और दूसरा डिप्टी स्पीकर होगा। इसमें यह कहां है कि ये दोनों विभिन्न तिथियों पर चुने जावेंगे? जो आज यहां पर माननीय मंत्रीगण को सलाह देते हों वह 'क्रमशः' यानी 'रैसपैक्टिवली', को निकाल कर चुनाव के आगे लगाते हैं। इससे बड़ा अनर्थ होगा।

बैठक का समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता--गुजिश्ता कल यह बात तय हुई थी कि चकबन्दी के कानून के पास होने तक चाहे कोई भी वक्त हो, उस वक्त तक सदन बैठेगा। अभी तक इसके बारे में हाउस का कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर बैठना है और काफी देर तक बैठना है तो कोई प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १६५७, जो विचाराधीन है, जब तक पारित न हो जाय, तब तक यह सदन की कार्यवाही चलती रहे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय माल मंत्री जी से सदन में ही यह बात कही थी कि मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि जोत चकबन्दी विधेयक को आज, चाहे जितनी देर हो, पारित किया जाय। यह बात कल थी, लेकिन मैं इस बात पर आज भी पूरी तौर पर कायम हूं। खयाल यह था, माननीय मंत्री के खयाल में भी यह बात रही होगी, कि सदन के समय का ११ बजे से ५ तक का भी कुछ हिस्सा, कम से कम आधा हिस्सा, जरूर जोत चकबन्दी विधेयक पर वादविवाद करने के लिये मिलेगा। ऐसा अनुमान मेरे कयास के बाहर का था कि आज पूरा दिन उन बातों में ही लग जायगा, जिनका जोत चकबन्दी विधेयक से कोई वास्ता नहीं है। अब केवल ५ मिनट बाकी हैं। इसलिये मैं श्रीमन् के द्वारा माननीय मालमंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कुछ थोड़ा समय आज सदन का, १ या २ या २ १/२ घंटा, बढ़ा दें। माननीय माल मंत्री ने स्वयं फरमाया था कि १ १/२ घंटे से कम उन्हें नहीं लगेगा। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी अगर वह इतना समय ले लें और भी लोग बोलेंगे तो २ १/२ घंटे का समय आम बहस में लग जायगा। क्लाज बाई क्लाज डिसक्शन में करीब ढाई घंटा लग जायगा। यह अनिश्चित काल के लिये जैसा प्रस्ताव है कि इस सदन की अवधि बढ़ाई जाय, वह करीब-करीब एक दिन की जगह दो दिन हो जाता है। मैं बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि जब किसी की अवधि बढ़ाने की बात हो तो जैसे कोई ५५ वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो यह नहीं होगा कि वह ११० वर्ष की आयु पर रिटायर होगा। ५५ से ५६ या ५७ या कुछ १ से २ और हो सकता है। आखिर, और भी जरूरियात होती है। इसलिये जो कल मैंने कहा था उस पर कायम रहते हुये मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ढाई घंटे का समय आज ले लें और बाकी बिल को ४ तारीख को लिया जाय।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---अधिष्ठाता महोदय, अव्वल मैं माननीय विरोधी दल के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे कल की बात पर आज भी कायम रहे। उन्होंने जब यह कहा कि अगर्चे यह बात कल की है, तो मुझे शक हो गया था, लेकिन उनकी बात से मुझे शान्ति मिली।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं अवध का रहने वाला हूं।

श्री चरणसिंह---इसीलिये अवधि में से निकलने की कोशिश की। अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने यह फरमाया कि कल किसी को आशंका नहीं हो सकती थी कि खाद्य समस्या के अतिरिक्त और विवाद में इतना समय लग जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---एक व्यवस्था का प्रश्न। माननीय माल मंत्री द्वारा इस सदन के विवाद को बकवास का एडजेक्टिव दिया गया है। क्या इस सदन की डिबेट को इस तरह से संबोधित किया जा सकता है? यदि नहीं, तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये शब्द वापिस लिये जायं।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैंने बकवास शब्द का प्रयोग कतई नहीं किया। मैं समझता हूं कि वे तो नौजवान आदमी हैं। इस उम्र में भी उन्होंने सुनने की गलती की है। फिर मैं क्या कहूं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि असल बात यह है कि सदन तब तक बैठेगा जब तक कि कोई बात निश्चय न हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—अगर दो मिनट में रिजोल्यूशन पास न हुआ तो दिक्कत पैदा हो जायगी ।

श्री चरण सिंह—मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी (संशोधन) विधेयक, १९५७, जो विचाराधीन है, जब तक पारित न हो जाय, तब तक यह सदन को कार्यवाही चलती रहे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं विभाजन चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—मेरे फैसले क बाद आप खड़े हुए । इसलिये अब उसको इजाजत नहीं देता ।

श्री त्रिलोकीसिंह—यह अवधि जो बढ़ाई गयी है वह अनिश्चित काल तक के लिये बढ़ाई गयी है अथवा ढाई घंटे के लिये बढ़ाई गयी है ? पहले तो अधिष्ठाता महोदय, मेरे प्रस्ताव पर जो ढाई घंटे के बारे में था, उस पर राय लेनी चाहिये थी ।

श्री राजनारायण—मै बार-बार उचित बात के लिये खड़ा होता हूं । अपने जजबात को मैं जाहिर करना चाहता हूं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे हक पर कुठाराघात हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—श्री राजनारायण, आर्डर प्लीज । आप कृपा करके बैठ जायं । जब मैंने रिजोल्यूशन पर वोट ले लिया उसके बाद आपने डिवीजन की मांग की थी ।

श्री राजनारायण—वोट के समय ही तो डिवीजन की मांग होती है ।

श्री अधिष्ठाता—यह बात आपने उस वक्त कही जब कि मैं उसका नतीजा डिक्लेअर कर चुका था ।

श्री त्रिलोकीसिंह—मेरा खयाल यह है कि माननीय मंत्री जी अब इस बात के लिये राजी हो जायेंगे कि साढ़े ७ १/२ बजे तक बैठक चले, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उधर से कुछ इस तरह का इशारा भी किया गया । अगर मैंने इशारा ठीक समझा तो उसका मतलब यही था कि सदन ज्यादा से ज्यादा साढ़े ७ बजे स्थगित कर दिया जाय, यानी बजाय ५ बजे के ७ १/२ बजे तक हम बैठें । इस सम्बन्ध में आप मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी एफेयर्स से दरियाफ्त कर सकते हैं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि.....

श्री राजनारायण—मैं पहले से निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री अधिष्ठाता—(श्री राजनारायण से) आप बैठ जाइये ।

श्री राजनारायण—आप बार-बार हमको ही बैठाते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--आप मेरी आज्ञा मानिये।

श्री राजनारायण--मैं मान रहा हूं।

श्री चरणसिंह--अधिष्ठाता महोदय,. . . . .

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। जब कि विरोधी दल के नेता की ओर से एक प्रस्ताव पेश है तो उस पर राय लिये बगैर दूसरे प्रस्तावक के प्रस्ताव पर राय लेना बिलकुल गलत है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय राजनारायण जी ने डिवीजन मांगा और उनको डिवीजन नहीं मिला और सदन की कार्यवाही आगे के लिये चल रही है। तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि उनको डिवीजन मिलना चाहिये या नहीं मिलना चाहिये?

श्री अधिष्ठाता--नहीं मिलना चाहिये।

आचार्य दीपंकर--मेरे व्यवस्था के प्रश्न का भी कोई उत्तर मिलना चाहिये।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--अधिष्ठाता महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं ...

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जाइये।

श्री चरणसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रश्न यह है.....

आचार्य दीपंकर--मेरे प्वाइंट आफ आर्डर का पहले जवाब मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये।

आचार्य दीपंकर--जो मैंने प्वाइंट आफ आर्डर रखा है उसके ऊपर आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मेरा आर्डर है कि आप बैठ जायं।

श्री चरणसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्ताव मंजूर हो चुका है कि हम जब तक यह विधेयक पास हो तब तक बैठें, लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने मशविरा दिया है कि अगर हो सके तो ७ १/२ बजे के बजाय हम पहले ही खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं यह उम्मीद करता हूं कि ७ १/२ बजे तक यह विधेयक पारित हो जायगा, क्योंकि तकरीर एक साहब की ही हो रही थी जो कि १० मिनट या ७ मिनट ज्यादा से ज्यादा टाइम लेंगे क्योंकि १५ मिनट का समय आपने मुकर्रर कर दिया है। क्लोजर मोशन मंजूर होने के बाद भी आप ने उनको इजाजत दे दी। तो मोशन के ऊपर तो तकरीर शुरू ही हो चुकी है और इस पर कंसीडरेशन हो रहा है और इसके बाद जब क्लाज वाइज चलेगा तो बहुत थोड़े से ही अमेंडमेंट्स आये हैं और इसमें थोड़ा ही वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसी हालत में शायद ७ बजे तक ही हम बैठें, लेकिन अगर कहीं १०, १५ मिनट की जरूरत पड़े तो मुझे उम्मीद है कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी इसकी अर्जेंसी को देखते हुये और पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखते हुये थोड़े देर तक और बैठने में गुरेज नहीं करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--लेकिन इससे अधिक टाइम लगा तो?

श्री चरणसिंह--इनडेफिनिट तो है ही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ७ १/२ बजे तक खत्म हो जाय और मैं भी कम बोलूंगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह तय नहीं हुआ है। ऐसे अगर आप कहते हैं तो आप की आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं आप से निवेदन करूंगा कि अभी कुछ देर पहले कांग्रेसी बेंच के लोगों ने एक नाटक किया। सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य, जनसंघ पार्टी के सदस्य, इंडिपेंडेंट पार्टी के सदस्य और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य वाकआउट कर गये और फिर ऐसे लोगों ने जिनकी हिम्मत हमारे प्रस्ताव के विरोध में हाथ उठाने की नहीं पड़ी, समय को बढ़ाने का प्रस्ताव किया। इसमें कांग्रेसी बेंचेज की क्या नीयत थी, क्या तर्क था, क्या सिद्धान्त था? यह सिवा बौद्धिक दिवालियापन के और क्या है कि हम अपने भाव को प्रकट करना चाहें तो उसको भी न प्रकट कर सकें? आखिर हमने अंग्रेजी राज्य का मुकाबिला किया है, ऐसे तानाशाही तरीके को हम नहीं चलने देंगे और हम अपने हक व सम्मान की हिफाजत के लिये अपने कर्त्तव्य का पालन जरूर करेंगे (चारों तरफ से आवाजें) हम इस तरह की डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तरह से हमारा जायज अधिकार छीना जा रहा है...

श्री अधिष्ठाता--आप कृपा करके बैठ जायं।

(बहुत सी आवाजें और कोलाहल)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--We are not going to tolerate it.

आचार्य दीपंकर--हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम अपनी आवाज उठायेंगे।

श्री राजनारायण--हम नहीं बैठेंगे, यह हाउस का अपमान है और हमारे साथ अन्याय है....

श्री अधिष्ठाता--मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं, आप बैठ जायं।

(श्री राजनारायण के न बैठने पर)

मैं आप से फिर कहता हूं कि आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण--आप पहले हमारी सुन लीजिये।

(बहुत से सदस्य खड़े हो गये और शोर मचा)

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य शान्ति से बैठ जायं।

बहुत से सदस्य--नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे।

(इसके उपरान्त सदन में घोर अशान्ति हो जाने के कारण ५ बज कर ९ मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने १० मिनट के लिये सदन की बैठक निलम्बित कर दी और वे सदन से चले गये।

१० मिनट के पश्चात् घंटी बजायी गई, किन्तु सदन में अशान्ति का वातावरण था, अतः जब तक शान्ति स्थापित नहीं हुई तब तक घंटी बजने दी गई। ५ बज कर २६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री द्वारका प्रसाद मित्तल, सदन में पधारे और उन्होंने श्री त्रिलोकी सिंह को अध्यक्षासन पर विराजमान पाया। श्री अधिष्ठाता के सदन में आते ही श्री त्रिलोकी सिंह ने अध्यक्षासन को खाली कर दिया और तदुपरान्त श्री अधिष्ठाता के सभापतित्व में सदन का कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

सदन को ४ मई के ११ बजे तक के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन् की गैरहाजिरी में यहां जो कार्यवाही हुई है उसमें कुछ....

एक सदस्य---क्या माननीय त्रिलोकी सिंह जी को आपने आज्ञा दे दी है ?

श्री अधिष्ठाता---शान्त होइये।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं मशकूर हूं आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं यह कह रहा था कि अधिष्ठाता की गैरहाजिरी में यहां क्या कार्यवाही हुई। १० मिनट के लिये यह सदन मुल्तवी किया गया था। १० मिनट का समय बीत गया, १५ मिनट हो गये, २० मिनट हो गये। कोई यहां पर व्यवस्था नहीं की गयी कि १० मिनट की जगह ११ मिनट तक ऐडजर्न रहेगा। कोई संदेश नहीं मिला अध्यक्ष महोदय की तरफ़ से या श्रीमन् की तरफ से। इस सदन की एक अजीब हालत थी, कोई बात कर रहा था, खड़ा था, बोल रहा था, अथवा चिल्ला रहा था। ऐसी दशा में मैं उस स्थान पर गया, जो अध्यक्ष पद का स्थान है और श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह इस आदरणीय सदन के किसी भी सदस्य का हक है कि जब सभापति का आसन खाली हो और सदन बैठा हुआ हो तो किसी सदस्य के लिये नाम तजवीज कर सके कि वह जब तक अध्यक्ष महोदय, या उपाध्यक्ष, या जो साहब इस काम के लिये अथोराइज्ड हों वह न मोजूद हो जायं उस समय तक के लिये सभापति का चुनाव कर दिया जाय। चुनांचे मैंने श्रीमन् की गैरहाजिरी में यह तजवीज किया कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जो कि पैनल आफ़ चैयरमैन में हैं इस सदन के आज के सेशन के लिये अधिष्ठाता चुने जायं। इसका किसी एक माननीय सदस्य ने समर्थन भी किया। माननीय सैयद अली ज़हीर ने मुझ से यह दर्याफ्त किया कि मैं किस हैसियत से बहां हूं। इसी प्रकार की कुछ और बातें माननीय सदस्यों ने कहीं जो साफ़ तौर पर सुनाई भी नहीं दीं क्योंकि शोर बहुत मच रहा था। लेकिन श्री सैयद अली जहीर की बात को सुन सका जिसमें उन्होंने यह पूछा कि कौन से नियम के अनुसार मैं वहां चला गया अध्यक्ष महोदय के स्थान पर और वहां जा कर तजवीज़ किया कि इस सदन की आज की बैठक के लिये फलां साहब सभापति चुन लिये जायं ? इसी बीच में फिर यहां काफ़ी गर्मागर्मी की बातें हुईं और श्रीमन् तशरीफ लाये।

यह तो बीच की कार्यवाही है। इस पर जो व्यवस्था आप मुनासिब समझें, दें, लेकिन पेश्तर इसके कि श्रीमन्, कोई व्यवस्था दी जाय मैं एक प्रस्ताव जो नियम के अनुसार बिना किसी सूचना के लाया जा सकता है वह इस सदन की सेवा में श्रीमन्, की आज्ञा से पेश करना चाहता हूं, और वह यह है कि यह सदन ४ मई, १९५७ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित किया जाय।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाबवाला, मुझे अफसोस है कि आज इस सदन में, अपनी पिछली लेजिस्लेचर की जिन्दगी में, सबसे पहले मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि जिसको मैं समझता हूं.....

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---कौन जिम्मेदार है इसके लिये ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---आन दी प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जाइये।

श्री राजनारायण---मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---पहले आप उनको बोल लेने दीजिये। मैं आप को बाद में मौक़ा दे दूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने अभी एक फिक़रा ऐसा सुना जिससे मुझको यह खयाल हुआ शायद मेरे बुजुर्ग माननीय पालीवाल जी को यह खयाल हुआ कि मैं उसी के मुताल्लिक यह तजवीज करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इसमें फलां का कसूर है, फलां का कसूर है और फलां ने यह किया है। मुझको इसका कोई हक नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं जानता हूं यह नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तो वह सवाल ही नहीं होता। यह जो आप ने बीच में फरमाया, उसे फरमाते ही नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सवाल दूसरी वजह से है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लेकिन मैंने एक हकीकत बयान की। जब से यू० पी० में यह लेजिस्लेचर चला आज तक इस तारीख में अगर कोई ऐसा वाकया पेश आया हो तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसके जवाब में कोई इरशाद फरमाने वाले कोई तारीख फरमा देंगे। मैंने अपनी जिन्दगी में अपनी आंखों के सामने इस क़िस्म का वाक़या कतई नहीं देखा और चूंकि मैंने नहीं देखा और मैं यह समझता हूं इस किस्म के वाकयात का होना हमारे इस नेशन की जिल्लत है, इस मुल्क की जिल्लत है, इस ऐवान की जिल्लत है जिसमें कि हम बैठते हैं, जिसको हम सदन कहते हैं और जिसमें हम यह अहसास लेकर बैठते हैं कि हम इस मुल्क के नुमाइन्दे हैं और हमको लोगों ने उनकी खिदमत अंजाम देने के लिये और इस मुल्क की शान व इज्जत बढ़ाने के लिये इस सदन में भेजा है। मैं समझता हूं कि उनकी तबियतें कभी इस किस्म के मंजरों को देखना गवारा नहीं कर सकतीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—आमीन।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—और उनको कुछ रिसेंट्मेंट ही हो सकता है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—फिर आमीन।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो कुछ मैंने देखा वह तो एक निहायत रंजीदा और तकलीफदेह बात थी। मुझको उसकी तकलीफ है और उसके साथ मैं यह समझता हूं कि इस सदन के जितने मोअज्जिज़ मेम्बर हैं उनको भी जिस कदर मेरे दिल को इस वक्त तकलीफ है उसी तरह से उनके दिल को भी तकलीफ होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—बिल्कुल दुरुस्त।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—आखिर इस वक्त क्या हो उसके मुताल्लिक मेरे भाई लीडर आफ अपोज़ीशन साहब ने यह तजवीज़ पेश की है कि इस हाउस को चार तारीख़ तक के लिये एडजर्न कर दिया जाय। मैं तो अपनी तरफ से जनाब के ज़रिये से इस सदन के मोअज्जिज़ मेम्बरान की ख़िदमत में यह अर्ज़ करूंगा कि जिस क़िस्म की बात हमारे सामने हुई उसे हमको इस तारीख़ के सफे से धोना है जो इस मुल्क और इस लेजिस्लेचर की तारीख में बन रही है और लिखी जा रही है। उसके लिये तो इससे ज्यादा बेहतर और मौजूं कोई बात नहीं हो सकती कि चाहे हम कितनी ही देर बैठ कर के काम करें, हम यहां बैठ कर के कुछ काम करें। यह मेरी गुज़ारिश है और मैं जनाब के ज़रिये से अपने मोअज्जिज़ भाई लीडर आफ़ अपोज़ीशन की तवज्जह दिलाता हूं, उस काम के इंट्रेस्ट में नहीं जो काम इस वक्त यहां होने वाला था या और किसी चीज के इंट्रेस्ट में, बल्कि अपने दिलों से उस बात को भुलाने के लिये हमारे नज़दीक यही हो सकता है कि हम आपस में भाई-भाई की तरह इस ऐवान में बैठ कर दुनिया को दिखा दें कि इस किस्म की बातें हमारी नजरों में कोई वकअत नहीं रखती हैं और जिस काम के लिये हम लोग यहां आये हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते। यह मेरी दरख्वास्त है सिर्फ जनाब से नहीं है, इधर के बैठने वालों से नहीं बल्कि उधर के बैठने वालों से है जिनकी इज्जत मेरे दिल में उतनी ही है जितनी कि हो सकती है और जितनी कि होनी चाहिये। उनसे तवक्को मैं उतनी ही करता हूं इंसाफ की भी और हमदर्दी की भी और सभी बात की और उनकी खिदमत में इस बात की दरख्वास्त करता हूं कि वह मेरी इस बात को मंजूर करें और कुछ देर यहां बैठ करके इस काम को अंजाम दें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय के भाषण को बहुत ध्यान से और समुचित आदर से सुना। उन्होंने इस सदन में इससे पहले जो कुछ हुआ, उसके सम्बन्ध में जो दुःख और अफसोस प्रकट किया है उससे मैं सवा सोलह आने उनके साथ हूं और मैं भी सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के दृश्य हमारे इस सदन में कभी नहीं होने चाहिये, लेकिन मेरा निवेदन यह है आप से भी और माननीय वित्त मंत्री महोदय से भी कि जो कुछ हो चुका है और हमारे मन में है उसको दूर करने के लिये मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है। माननीय अधिष्ठाता जी, क्योंकि मैं वह दृश्य नहीं होने देना चाहता हूं इसीलिये इस बात में आज नहीं जाना चाहता। ज्यादा अच्छा मैं यह समझता हूं कि हम फिर एक नए अध्याय से शुरू करें। जो कुछ हो गया है, उसे भूल जायं, उसे माफ करें, लेकिन इस समय के जो सेंटीमेंट हैं, जज्बात हैं, उसमें यह तभी संभव हो सकता है जब कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी के सदन स्थगित करने के प्रस्ताव को मान लिया जाय। मैं आप से निवेदन करूं कि अगर सदन की कार्यवाही ढंग से की जाय और अपनी संख्या की शक्ति के बल पर विरोधी दलों का अपमान करने के बजाय जो विरोधी दल के राइट्स ऐण्ड प्रिविलेजेज हैं उनको भी माना जाय। जहां डिसीजन हाथ में रहता है मेजारिटी के और उस फैसले के सामने विरोधी दल का कर्त्तव्य है कि सर झुकावें, वहां उतना ही जरूरी, उतना ही लाजिमी कर्त्तव्य मेजारिटी पार्टी का है कि विरोधी दल की भावनाओं को इस तरह से आघात न पहुंचाये कि उन्हें विद्रोह और सत्याग्रह करने के लिये मजबूर और प्रेरित करें। अब मैं धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से---अपनी तरफ से तो पूरा धन्यवाद देता हूं, दूसरी पार्टियों से मैं कोशिश करूंगा कि वह इस समय की बात को मान लें और रात भर के रहने की बात भी आ पड़े तो आज के वातावरण के बाद सद्भावना से यह बात कही जाय तो मैं उसका समर्थन करूंगा और मान लूंगा। लेकिन जो आज हो चुका है अगर यह कार्यवाही जारी रहती है और यह प्रस्ताव नामंजूर होता है तो हमारा निर्णय है कि हम विरोध करेंगे और जब तक पुलिस आ कर हमें नहीं हटायेगी, हम नहीं हटेंगे और सदन से नहीं जायेंगे और कार्यवाही नहीं होने देंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, जो कुछ यहां हुआ है उस पर माननीय वित्त मंत्री जी ने दुःख प्रकट किया है। मैं उससे सहमत हूं। यह हमारी परंपराओं के लिये भी कोई स्वस्थ चीज यहां नहीं हुई। उस में किस की जिम्मेदारी थी। और क्यों यह चीजें हुईं, उन पर बहस का मौका आज नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपनी भावनाएं प्रकट कीं कि आज की सदन की इस मानसिक स्थिति में इस सदन का काम न चलाया जाय, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं।

मैं समझता हूं कि हम लोगों के जीवन में विधान और टेक्निकैलिटीज और एक या दो दिन के आगे-पीछे के समय का बहुत स्थान न दे कर ज्यादा इस बात में और ऐसे मौकों पर व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाना चाहिये। आज व्यवहार और यथार्थ का यह तकाजा है, मैं आपसे अपील करूंगा और सरकार से भी, कि इस स्थिति में इस सदन को न चलाया जाय और इसको स्थगित कर के चार तारीख को ११ बजे जब हम बैठें, नई परिस्थितियों में और नयी मानसिक स्थिति लेकर, तो जो बिल हमारे सामने है उस पर तभी विचार करें। मैं आप से निवेदन करूंगा, जोरदार तरीके से कि अब इस प्रश्न को आगे चलाने में बहुत संभव है कि इससे कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सदन में हुई घटनाओं पर जो दुख प्रकट किया है, उसके प्रति हमारी भी हार्दिक समवेदना है और हम लोगों को भी उतना ही दुख है, परन्तु यह मैं अवश्य कहूंगा कि इसके ऊपर विचार करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि किस की जिम्मेदारी कितनी है? परन्तु यह सत्य है कि आज एक बड़ा वैसा ऐटमासफियर पैदा हो गया है और इन भावनाओं का सरकार को आदर करना चाहिये जिससे भविष्य में इस तरह की घटनायें सदन में

न हो सकें। इस आदर का प्रतीक, मैं समझता हूं कि यही होगा कि जो प्रस्ताव इस समय यहां पर आया है कि सदन ४ मई के सुबह ११ बजे तक के लिये स्थगित कर दिया जाय, इसको सरकार स्वीकार करे। अगर सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है तो जो भावनायें उभरी हुई हैं, उनके कारण फिर हम लोगों को, हो सकता है कि दुखद दृश्य देखने को मिलें, जो मैं समझता हूं, कि गणतंत्र पद्धति के लिये अच्छा नहीं होगा। इसलिये गणतंत्र पद्धति को स्वस्थ रखने के लिये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसको निभाते हुये, सरकार हम लोगों की भावनाओं का आदर करते हुये, इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं पांच बार खड़ा हो चुका हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैंने श्री दीपंकर जी को बुला लिया।

*आचार्य दीपंकर—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने, जो हमारे सदन के एक बहुत बुजुर्गवार सदस्य हैं और जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, जो बात कही है कि यहां जो कुछ हुआ है, वह अफसोसजनक बात है। मैं कम से कम कहना चाहता हूं कि जो कुछ यहां हुआ है, उससे मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। इसलिये कि इन्हीं वजूहात से सत्ता के उन्माद में जो सरकार जनता की एक बात भी नहीं मानती और संशोधन करने के लिये तैयार नहीं है तो यह परिणाम निकलेगा ही और इन गलत परिणामों को रोकने के लिये उचित तरीका यही है जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने कहा है कि बहुमत के फैसले को माना जाना चाहिये, लेकिन उसके लिये भी आवश्यक है कि अल्पमत को कुचलकर सत्ता के उन्माद में आगे बढ़ने का प्रयास न करे। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चकबन्दी में जो बात बार-बार कही गई है और जो इधर सत्ता पार्टी की तरफ से रुख देखा गया है, उससे हमें बहुत ही असंतोष है और हमारे बहुत से साथियों को भी जो कांग्रेस के अन्दर हैं और बाहर भी मौजूद हैं लेकिन वह अनुशासन में बंधे हुये हैं और बोलने से चुप रखे जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस परिस्थिति में इस समय जो प्रस्ताव आया है, वह बिल्कुल सही है और इस सदन को इसे पास करना चाहिये।

*श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपकी मुझ पर दृष्टि आखीर में पड़ी, उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। माननीय हाफिज जी ने जिन जजबात का इजहार किया है उसमें मैं उनके साथ हूं। यह सही है कि सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से होनी चाहिये। सदन की मर्यादा तभी सुरक्षित रह सकती है जब कि हर एक व्यक्ति अपने कर्त्तव्य-ज्ञान और अधिकार ज्ञान, इन दोनों के प्रति सचेत होगा। हमको कर्त्तव्य ज्ञान का सबक तो पढ़ाया जाता है, लेकिन अधिकार ज्ञान को भुला दिया जाता है। मैं उन सदस्यों में से हूं जो यह समझते हैं कि सदन के सम्मानित सदस्यों का क्या अधिकार है और यदि हमारे उन अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो हम चित्त की दुर्बलता के कारण सहन नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अन्याय वहीं पैदा होगा, अन्याय वहां पनपेगा और फूलेगा जहांकि अन्याय के बर्दाश्त करने वाले होते हैं। इसलिये हमने हमेशा के लिये अपने दिल से इस बात को निकाल दिया है कि अन्याय को बर्दाश्त करेंगे। श्रीमन्, आपकी विशेष अनुकम्पा है कि आपने मुझे मौका दिया। मैं फिर आपके द्वारा इस सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि संख्या के बल पर किसी अल्प मत के अधिकार को कुचलने की कोशिश न करें।

आज जितनी कार्यवाही यहां पर हुई है अगर कोई इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बैठा दिया जाय, इस सदन के सम्मानित सदस्य बैठा दिये जायं, हमारे अध्यक्ष, माननीय श्री खेर साहब के सामने सारी बातें रख दी जायं और मैं चाहता हूं कि इस सदन में जितनी कार्यवाही हुई हैं उस पर विचार किया जाय। क्यों जब हम कहते हैं कि समय बढ़ा दिया जाय तो नहीं बढ़ाया जाता है और वाक आउट होने पर बढ़ाया जाता है? क्यों जब हम कहते हैं कि बात को इस रूप

---

*सदस्यों ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

में माना जाय तो नहीं माना जाता है और बाद में उसी रूप में माना जाता है ? यह सब क्या है ? मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, अपने समकक्ष विचार रखने वालों की ओर से और इस सदन में जितने सचेत लोग हैं उनकी ओर से, आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से आपके सम्मान की रक्षा सर्वदा होगी, हमारी ओर से इस सदन के सम्मान की सुरक्षा सर्वदा होगी, इस सदन के सम्मान की सुरक्षा यहां से घसीटे जाकर के भी हम कर सकते हैं। मगर अगर यह धमकी दी जाय और इस सदन में श्रीमन्, यह हो चुका है और वह गौरव हमें प्राप्त है और मैं यह भी कह दूं कि उस गौरव के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिये हाई कोर्ट ने इजाजत भी दी थी। हाई कोर्ट के दो जजों की दो रायें हैं। एक जज कहता है कि विधान सभा के अन्दर की कार्यवाही पर हमें राय देने का हक होता तो मैं मानता कि श्री राजनारायण जी के साथ अन्याय हुआ। दूसरा जज कहता है कि मैं उसको अन्याय नहीं मानता मगर मैं अपना भी यह हक मानता हूं कि विधान सभा के अन्दर की कार्यवाही के बारें में राय दूं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा फिर चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य समझ लें कि यह सही है कि कोई व्यवस्था हो मगर व्यवस्था देने का ढंग भी होता है। हम व्यवस्था के प्रति नतमस्तक हो सकते हैं। इसलिये श्रीमन् मैं आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि मैं किसी भावना से प्रेरित नहीं होता, मैं तो खूब सोच समझ-कर अपने कर्त्तव्य का निर्धारण करता हूं और ऐसा ही मैंने किया और मैंने समझ लिया कि इस समय जिस पशु बल की बदौलत हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है उसका मुकाबला हमें करना है। जनतंत्र की सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है।

जरा सोचिये तो श्रीमन्, कि यदि सरकारी पक्ष के लोग वहां से ढेला मारने लगें या आज जिस तरह से हुरियां दी जा रही थीं, जिस तरह से हाथ चलाये जा रहे थे, सरकारी पक्ष की ओर से, मैं उठता नहीं मगर मैं आपको बताता हूं कि हमारे शरीर में भी ताकत है, हालांकि उस ताकत का प्रयोग हम यहां नहीं करेंगे क्योंकि हमने गांधी जी की बात मान कर अहिंसा का व्रत धारण कर लिया है। श्रीमन्, सन् ४२ के जमाने में जब बहुत से सम्मानित मंत्री बगीचों में भाग कर गिरफ्तार हो गये थे तो हम भागे नहीं थे, बल्कि अंग्रेजी शासन का मुकाबला करने के लिये और अपने विश्वविद्यालय की रक्षा करने के लिये हमने हथियार उठाये थे। इसलिये मैं फिर बता देना चाहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत अन्याय के रास्ते हमें दबा नहीं सकती।

अब हो क्या ? हम कर्त्तव्य प्रधान हैं। उसके नाते हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार को श्री त्रिलोकी सिंह जी के प्रस्ताव को मान लेना चाहिये। कर्त्तव्य प्रधान के नाते ही कहता हूं, भाव प्रधान के नाते नहीं, क्योंकि जब भावना चल जाती है तब तो उसकी गति बड़ी वेगवती होती है। जो लोग भावनाओं से खेलना चाहेंगे उनके लिये मैं कहूंगा नहीं, वह तो यही कहेंगे कि नहीं, कार्यवाही अभी हो, मगर जो कर्त्तव्य प्रधान हैं वे यही कहेंगे कि कार्यवाही अविलम्ब स्थगित होनी चाहिये। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ माननीय वित्त मंत्री जी की भावनाओं को सामने रखते हुये, यह आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही आपको अवि-लम्ब स्थगित कर देना चाहिये। फिर माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मालमंत्री जी शुद्ध और परिष्कृत बुद्धि से यहां पर आयेंगे। यानी अपनी शुद्ध बुद्धि से विधेयक को सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने प्रस्तुत करेंगे।

मैं आपके बारे में साफ कह दूं कि यद्यपि यह मेरे निजी स्वार्थ में होगा कि कार्यवाही आज ही आगे बढ़े, क्योंकि ३ तारीख को दफा १८८ में एक मुकदमा गोरखपुर में है और हो सकता है कि मुझे वहां सजा हो जाय और क्योंकि हमारी पार्टी के १० मई के सत्याग्रह को सामने रखते हुये, हम जुर्माना अदा न करेंगे, न जामनत लेंगे। तो अगर सजा होगी तो मैं ४ को यहां नहीं हूंगा। लिहाजा, मेरे निजी स्वार्थ में होगा अगर आज की कार्यवाही चलेगी। और अगर आज की कार्यवाही चलेगी और अगर गिलोटीन होगा तो नहीं, नहीं तो आज १२

बजे के बाद भी माननीय चरण सिंह अपने कंसालिडेशन आफ होल्डिगस बिल को पास नहीं करा पायेंगे, और इस सदन को इस बात का मौका मिल चुका है। एक बार यहां तक सदन चला कि अध्यक्ष महोदय को कहना पड़ा कि मैं घड़ी को रोक दूं। १२ बजे रात तक कार्य-वाही पूरी नहीं हुयी, तब अध्यक्ष महोदय को कहना पड़ा कि घड़ी को रोक दूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं ब्रिटिश परम्परा को फालो नहीं करता, बल्कि यह रहेगा कि जब तक इस पर कार्यवाही चलती है, चलती रहेगी। तो ऐसा इन्सीडेंस इस सदन ने देखा है। इस समय कर्त्तव्य भाव से प्रेरित होकर कह रहा हूं कि सदन की कार्यवाही अविलम्ब स्थगित कर दी जाय और ४ तारीख को हम बैठें।

मैं साफ कह दूं कि मैं अपने हृदय में किसी भी सम्मानित मंत्री के प्रति कभी भी कटुता का भाव नहीं रखता हूं। जब भी हम यहां पर आते हैं तो हम उनके प्रति श्रद्धा, आदर और सम्मान रखते हैं मगर आदर, श्रद्धा और सम्मान रखने के अर्थ यह नहीं होते कि चित्त की दुर्बलता हो। मेरे हृदय में बुजदिली कभी नहीं रही है और मैं सिद्धान्त को इन चीजों के सामने झुकने नहीं देता। इसलिये मैं फिर माननीय मंत्रीगण से कहना चाहता हूं कि उनके किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आदर का भाव रखते हुए भी मैं कर्त्तव्य बुद्धि से प्रेरित हो अबाध गति से चलने वाला व्यक्ति हूं और यही बात हमारे सोशलिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं और करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सदन की कार्यवाही अविलम्ब स्थगित हो।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे गलत समझने की कोशिश न की जाय कि सदन की प्रतिष्ठा जो है उसकी आवश्यकता सरकार से कम इस तरफ के लोगों को है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस सदन की प्रतिष्ठा की आवश्यकता सरकार को उतनी नहीं है जितनी विरोधी पक्ष को है। हमारा जो कुछ भी हक है वह बस यहीं तक है। सरकार तो मजबूर होकर यहां आती है। कुछ अधिकार लेने के लिये आती है और उसके लेने के बाद जब उसके हाथ में सारी शक्ति चली जाती है, फिर वह हम से या जनता से कुछ भी पूछने के लिये मजबूर नहीं है। अपने हाथ में उस शक्ति को लेकर वह काम कर सकती है। तो इसलिये हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इस सदन की जितनी ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा विरोधी पक्ष की भी बढ़ेगी। इसलिये इसमें मुझे ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं मालूम पड़ती।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक अपील करना चाहता हूं हाउस से कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कल एक कमिटमेंट किया था और मैंने देखा कि कितने झकोरों के बीच में उन्होंने उस कमिटमेंट को निभाने की कोशिश की। शायद मेरी हिम्मत उतनी नहीं थी। उन्होंने निभाने की कोशिश की, परन्तु मैं सरकार से और खासतौर से माननीय माल मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर हम आधी रात तक बैठें और माननीय राजनारायण जी और श्री पालीवाल जी, जो भी कुछ कहें उसके बावजूद, इस कानून को पास भी हो जाने दें, लेकिन जिस मूड में हम हैं उस मूड में इस कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स जैसे बिल को लेना, जिसका ताल्लुक लाखों और करोड़ों किसानों से है, कहां तक उचित है? उसका कुछ कुप्रभाव पड़ेगा या नहीं? हम ४ तारीख को, एक घंटे, आध घंटे के जिक्र को निकाल करके अपने दिमाग से आयें और इस कानून को पास करें, तो मैं समझता हूं कि वह अधिक उचित होगा।

एक बात मैं और कहूं कि सरकार को कभी-कभी यह जरूर सोचना चाहिये कि कुछ उत्तरदायित्व तो इस पक्ष का भी है। बहुत अच्छा काम है चकबन्दी का, बहुत नुकसान हो जाने वाला है एक-दो दिन की देर में, लेकिन इस जिम्मेदारी को आप क्यों नहीं इस विरोधी पक्ष की ओर छोड़ देते हैं? सारे नुकसान का जिम्मेदार विरोधी पक्ष है। विरोधी पक्ष डंका पीटकर यह कह रहा है कि हम नहीं पास होने देंगे। हम आपका काम सुगमतापूर्वक नहीं चलने देंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। सरकार यह कह सकती है कि जनता के इतने बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

हित का जो काम था उसको विरोधी पक्ष ने नहीं करने दिया। बहुत कुछ इसका दोष हमारे सिर पर भी हो जायगा। सिवाय इसके और हम क्या कह सकते हैं? मैं सोचता हूं कि यह दोष हमारे ऊपर छोड़कर सरकार इस बात को स्वीकार कर ले कि आज हम इसपर बहस मुबाहिसा नहीं करेंगे और हम इसको ४ तारीख को पास कर लेंगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता और इससे ज्यादा हम बोल नहीं सकते। मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी हमारे हठ को आज जरूर मान लेंगे। कभी-कभी तो मानना चाहिये। इसमें कोई अधिक हानि या लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं लाभ-हानि की बात छोड़कर यही कहता हूं कि वे हमारे हठ को स्वीकार कर लें।

श्री त्रिलोकीसिंह---अधिष्ठाता महोदय, साधारणतौर पर श्रीमन्, जो प्रस्ताव सदन के स्थगित करने के लिये रखा जाता है उसमें कोई वाद-विवाद नहीं होता, लेकिन श्रीमन् ने सभी को मौका दिया जिन्होंने कि इस सिलसिले में अपनी राय को जाहिर करना चाहा। इसके लिये मैं खास तौर पर श्रीमन् बहुत ज्यादा मशकूर हूं।

बड़ी मुसीबत का जमाना मेरी निगाहों से भी गुजरा है। कभी-कभी ऐसी तारीकी से भी मैं गुजरा हूं कि जहां एक सेकिन्ड के लिये भी इसकी उम्मीद बाकी नहीं रही थी कि कभी रोशनी होगी, कभी उजाला होगा। आज जो इस सदन में वाकयात हुए हैं वह हद के बाहर निकल गये थे। मैं श्रीमन् की सेवा में और श्रीमन् के द्वारा इस आदरणीय सदन की सेवा में, इतना कहना चाहता हूं कि १० मिनट के लिये सदन स्थगित हुआ। १० मिनट के बाद, जितने माननीय सदस्य यहां उपस्थित थे उनमें से हर एक को इस आदरणीय सदन के मान का और उसके हितों की रक्षा का पूरा-पूरा ज्ञान था और उनका इरादा और नीयत भी उस मान की रक्षा करने की है। लेकिन १० मिनट के बाद कोई व्यवस्था नहीं हुई और सदन एक ढुलमुल यकीनी की हालत में यहां पर जमा रहा। बहुत अफसोस की बात है कि किसी भी पार्लियामेंट या असेम्बली के इतिहास के पन्ने अगर पलटे जायं तो ऐसे मौके बहुत कम आयेंगे कि सदन इकट्ठा है, सदर गायब हैं। १० मिनट की व्यवस्था हुई किन्तु ११ वें मिनट क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है।

श्रीमन्, इन सब बातों का लिहाज करके और गौर करके मैंने बहुत नम्रतापूर्वक सदन की सेवा में, अधिष्ठाता महोदय की आज्ञा से, यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय। ४ तारीख इसलिये कही थी कि जो कार्य-क्रम इस सदन के सामने रखा गया है उसमें आज के बाद इस असेम्बली की बैठक ४ तारीख को होने वाली थी। बीच के दिनों की छुट्टी हो रही है। माननीय वित्त मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं कि ईद का चांद आज निकलेगा या कल निकलेगा इसका कोई अन्दाज नहीं हो सकता। इसलिये ४ तारीख का प्रस्ताव किया था। मुझे अफसोस है कि मेरे प्रस्ताव का माननीय उपनेता सदन ने समर्थन नहीं किया है। उन्होंने महज इस आदरणीय सदन की मान और मर्यादा की रक्षा और उसकी इज्जत बढ़ाने के लिये मेरे प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया। जो कारण उनका मेरे प्रस्ताव की मुखालफत का है वही कारण मेरे इस प्रस्ताव को पेश करने का है। माननीय उपनेता सदन की सेवा में, जब यहां पर वैकुअम था, मैं स्वयं अपनी लंगड़ी टांग को लेकर उपस्थित हुआ था और मैंने उनसे दस्तबस्ता यह गुजारिश की थी कि इस सदन की मान मर्यादा की रक्षा के लिये मैं यह प्रस्ताव करने जा रहा हूं कि आज इस सदन को स्थगित कर दिया जाय। जो दृश्य यहां पर उपस्थित हुआ उस दृश्य पर काबू पाने के लिये यहां पर यह नौबत आये कि सभापति अपने स्थान से उठकर बाहर चले जायं और कोई भी माननीय सदस्य इस बात का साहस न करे, सभापति को इतना सहारा दे कि वह अपना स्थान न छोड़ें और सदन की कार्यवाही ठीकतौर पर चलती रहे। यह सब खेद की बात है। मैं फिर नम्रतापूर्वक और इन्तहाई अफसोस के साथ जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी तारीकी के जमाने से मैं गुजरा हूं लेकिन आज का वाकया ऐसा है, जिसे भुला देना चाहिये, लेकिन

इसको भुला देने में समय लगेगा। मैं इसलिये बार-बार यह निवेदन करूंगा कि आज इस सदन की बैठक के संबंध में जो मेरा प्रस्ताव है उसको सदन स्वीकार करने की कृपा करे।

श्री अधिष्ठाता---आज इस सदन की बैठक में जो वाक्या इस सदन में हुआ उसके लिये सबसे ज्यादा अफसोस मुझको है। आपको यह मालूम है या नहीं, लेकिन मैं एक बड़े ही शांतिमय जीवन का आदमी हूं। निर्बल मनुष्य हूं। मुझे बार-बार यह खयाल आता है कि कहीं यह आपका गुस्सा केवल मेरी जानिब तो नहीं था? कहीं मेरे फेल से आपने यह मुजाहरा तो नहीं किया? मैं जब इस सभापति के आसन को लेता हूं तो अपनी अक्ल, अपने विचार, अपने ईमान और सबके साथ निष्पक्ष रहने के विचार से ही इस जगह पर बैठना चाहता हूं और बैठता हूं। मुझे इसका बड़ा दुख है और खसूसियत से कुछ अपने दोस्तों के उन विचारों पर जो बाद में उन्होंने अपनी तकरीरों में एक किस्म से खेद की बात कही---श्री त्रिलोकी सिंह ने तो नहीं लेकिन कुछ और मित्रों ने, ऐसे शब्द कहे थे---जो उनके लिये मौजूं नहीं थे और न इस सदन के लिये ही मौजूं थे।

खैर, जो कुछ हुआ सो हुआ। मैं एक मामूली इंसान हूं। मेरा तो कोई अपमान नहीं है लेकिन इस कुरसी का अपमान है, इस सदन का और सदस्यों का अपमान है। मुझे इसके लिये बड़ा दुख है। मैं इस बातका बिल्कुल ख्वाहिशमन्द नहीं था कि सारा काम, चाहे जोत चकबन्दी हो या और हो, आज ही खत्म हो। लेकिन कल विरोधी दल के नेता ने यह कहा था कि अगर पारित होने के बाद और कोई चौथा रीडिंग भी होता हो तो वह उसके लिये तैयार होंगे और चाहे जितना समय गुजर जाय, ऐसा होगा। मुझे पिछले दिन की अगर ठीक याद है तो माननीय नेता विरोधी दल ने एक मिनट के गुजर जाने पर यह कहा कि वक्त गुजर गया है, प्रोसीडिंग्स कन्टीन्यू नहीं की जा सकती है। मुझे वह दृश्य याद था। मैंने सदन की तवज्जह उस तरफ दिलाई और यह कहा कि यह ख्याल हो सकता है कि ज्योंही ५ बजे त्यों ही कहा जाय कि घड़ी में ५ बज गये हैं और समय बढ़ाने का प्रस्ताव आना चाहिये, चाहे वह मंजूर हो या गिर जाय। बहरहाल, जो कुछ भी हुआ वह हुआ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मौके की हालत को देखकर, सदन के वातावरण को देखते हुये, जो मुनासिब समझें इस सदन को अपनी राय से अवगत करावें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, जो तकरीरें इस वक्त हुई वे मैंने सुनीं। सदन को याद होगा कि मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी। मगर आज जो सदन की मर्यादा को बट्टा लगा उसका रंज जो किसी इंसान को हो सकता है वह मुझे भी हुआ। मैंने उस दुख और तकलीफ़ के साथ उन धमकियों को भी सह लिया जो मैंने इस वक्त की तकरीरों में सुनीं। मेरे दोस्त लीडर आफ अपोजीशन ने कुछ कहा और उसका आखरी फिकरा उन्होंने छोड़ दिया। मैं यह नहीं कहता हूं कि उन्होंने खुदानख्वास्ता किसी बदनीयती से छोड़ा। वह उसे शायद भूल गये। उनको उस तजवीज से मैंने अपने कुछ लफ्जों में उनके सामने ही उनसे इत्तिफाक किया था। लेकिन दिलों में दिल नहीं डाला जा सकता है। दिलों से बुग्ज और आदतें नहीं निकाली जा सकती हैं। मेरे दिल की सच्ची बात है जो मैं फिर दोहराये देता हूं कि मैंने यह समझा था अगर्चे मैं उसका कायल नहीं हूं, कि जो एबनार्मल्टी यहां पैदा हुई हम उसको नार्मल्टी में बदल कर उठें तो वह कुछ और ही बात हो सकती है। तो वह बात बिलकुल और ही होती। इतनी देर जितनी देर कि हम लोगों ने तकरीर कीं, अगर हम उस पर तकरीर करते तो इस वक्त और ही बात होती। नार्मल बिजनेस थोड़ी देर डिसकस करके यह सदन उठ जाता तो ज्यादा अच्छा होता। जहां तक मेंबर साहबान अपोजीशन का इरशाद और इकराम है, इस हाउस के सामने मैं यह अर्ज करने के लिये तैयार हूं कि अपोजीशन के मेंबरान की ख्वाहिश को कभी मैंने ठुकराया नहीं है और कभी भी ठुकराना नहीं चाहता। मुझे इस बात में कोई ऐतराज नहीं है कि आज यह बैठक चार तारीख तक के लिये उठ जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोकी सिंह---बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---अब लखनऊ में यह शुक्रिया का लफ्ज कितना वजन रखता है वह मैं कहना नहीं चाहता। मैं तो एक कस्बे का रहने वाला हूं। यह शुक्रिया की जैसी यहां रस्म है वह हमारे यहां है नहीं और इसीलिये मेरी यह बदकिस्मती है कि मेरे दिल की सच्ची बात भी सच्ची दिखायी नहीं दी। अफसोस तो मुझको उसका भी है। लेकिन फिर भी मुझको इसमें कोई ऐतराज नहीं है और मैं गवर्नमेंट की तरफ से यह ऐलान करता हूं कि अब उठ कर यह हाउस ४ तारीख को ११ बजे फिर मिले।

श्री अधिष्ठाता---इस प्रस्ताव पर सदन एक मत है, अतः अब हम उठते हैं और ४ मई को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १५ मिनट पर शनिवार, ४ मई, १९५७ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१० वैशाख शकाब्द, १८७९
(३० अप्रैल, १९५७ ई०)

विधान परिषद